C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No.13, Thursday, August 18, 2011/ Sravana 27, 1933(Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.241 to 243	2-21
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.244 to 260	22-68
Unstarred Question Nos.2761 to 2947 2949 to 2990	79-448

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **449-454**

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS **455**
19th Report

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE **455**
6th Report and Minutes

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT **455**
19th and 20th Reports

BENAMI TRANSACTION (PROHIBITION) BILL, 2011 **456**

MATTERS UNDER RULE 377 **460-478**

(i) Need to increase the Minimum Support Price of Sugarcane

Shri N.S.V. Chitthan 460

(ii) Need to set up a National Sports University in Haryana

Shri Deepender Singh Hooda 462-463

(iii) Need to open Public Health Centres in Uttarakhand

Shri Satpal Maharaj 464

(iv) Need to increase the rate of subsidy on construction of Community Toilets and Individual Household Toilets in Vizianagaram Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi 465

(v) Need to provide copies of judgements of courts in Hindi and regional languages

Shri Narayan Singh Amlabe 466

(vi) Need to divert the Amaravati-Narkhed rail line passing near the ancient Well 'Jagtik Manvata' worshipped by the followers of Mahanubhav Panth in Maharashtra

Shri Datta Meghe 467

(vii) Need to expedite the construction of bypass road on the proposed National Highway No. 49 from Kundanoor to Puthencruz in Kerala

Shri Charles Dias 468

(viii) Need to constitute a Committee for setting up of a National Memorial in honour of freedom fighters who laid down their lives for the country

Shrimati Jayshreeben Patel 469

(ix) Need to provide better rail connectivity to Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sudarshan Bhagat 470

(x) Need to provide employment to temporary employees of erstwhile State Bank of Indore after its merger in SBI on priority basis

Shrimati Sumitra Mahajan 471

(xi) Need to provide a dedicated road for civilian use near Army Firing Range in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Arjun Ram Meghwal 472

(xii) Need to accord approval to the proposal of electrification under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Gwalior, Madhya Pradesh

Shrimati Yashodhara Raje Scindia 473

(xiii) Need to make Mathabhanga river in West Bengal free from effluents discharged by industrial units in Bangladesh

Dr. Sucharu Ranjan Haldar 474

(xiv) Need to construct a Road Over Bridge in Asansol Parliamentary Constituency, West Bengal

Shri Bansa Gopal Chowdhury 475

(xv) Need to increase the allotment of kerosene under PDS to Tamil Nadu

Shri C. Rajendran 476

(xvi) Need to declare Gandhi Ashram of Hajipur, Bihar as a national heritage and build a memorial in honour of freedom fighters Jubba Sahni, Baikuntha Shukla, Yogendra Shukla and others

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 477

(xvii) Need to provide a financial package for the drought-hit Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Kameshwar Baitha 478

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2011 479-556

Motion to Consider 479

Shri Ghulam Nabi Azad 479-483
539-556

Dr. Sanjay Jaiswal 484-491

Dr. Jyoti Mirdha	492-495
Shri R. Thamaraiselvan	496-498
Shri Shailendra Kumar	499-501
Shri Gorakhnath Pandey	502-503
Shri Maheshwar Hazari	504
Dr. Ratna De	505-506
Dr. Pulin Bihari Baske	507-509
Shri Lalu Prasad	510-512
Shri Kalikesh Narayan Singh Deo	513-516
Shri Prabodh Panda	517-518
Shri K. Sugumar	519-520
Dr. Kirit Premjibhai Solanki	521-524
Dr. Prabha Kishor Taviad	525-527
Shri Prasanta Kumar Majumdar	528-529
Dr. Tarun Mandal	530-532
Shri Prem Das Rai	533
Shri S.K. Bwiswmuthiary	534-536
Shri Thol Thirumaavalavan	537-538
Clauses 2, 3 and 1	551-556
Motion to Pass	556
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PUDUCHERRY (AMENDMENT) BILL, 2011	**557-560**
Motion to consider	557
Shri Ghulam Nabi Azad	557-560
Dr. Sanjay Jaiswal	558
Clauses 2 and 1	559
Motion to Pass	560

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 587
Member-wise Index to Unstarred Questions 588-594

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 595
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 596-597

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 18, 2011/ Sravana 27, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 241 ।

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): महोदया, मैंने क्वेश्चन ऑवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है, कृपया मुझे बोलने की इजाजत दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें, बहुत दिनों से नहीं चला है और मैं शून्य प्रहर में इस विषय पर बोलने के लिए सबसे पहले आपको मौका दूंगी।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, हरियाणा में 12 जनपदों में किसान उद्वेलित हैं और इस समय आंदोलन चल रहे हैं। इस विषय को मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि वहां के पांच गांवों में प्रत्यक्ष जाकर मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा हैं, वहां के पीड़ितों की बातें सुनी हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऑवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत ज्वलन्त समस्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है।

श्री राजनाथ सिंह : साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक ट्रस्ट के माध्यम से, वहां के किसानों से जमीन हड़पने के लिए दबाव डाला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए। Let us continue with the Question Hour.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : निस्संदेह यह अत्यंत ज्वलन्त समस्या है, किसानों की समस्या है और हम सभी इसको लेकर बहुत चिन्तित हैं, पूरा सदन चिन्तित है। लेकिन कई दिनों से प्रश्नकाल नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने दें, शून्य प्रहर में इस विषय को आप अवश्य उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग इस विषय को शून्यकाल में उठाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

(Q. No. 241)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर दें।

यह देखा गया है कि आजादी के 64 साल बीत गए हैं, आजादी के पहले 67,000 किलोमीटर रेल लाइन थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We will definitely have it in the 'Zero Hour'.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। श्री अनंत कुमार जी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आजादी के बाद केवल 12,000 किलोमीटर रेल लाइन बन पाई है और गाड़ियों की संख्या सौ गुनी बढ़ी है। लाइनें, पुल-पुलिया वही हैं। तीन-चार घंटे ट्रेन्स लेट रहती हैं। आप प्लेटफार्म्स पर सौन्दर्यीकरण पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं,...(व्यवधान) जो कॉस्मेटिक चेंजेज हैं, वही करते हैं और रेलवे के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। आज भी कुण्डा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जो वीआईपी क्षेत्र है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, वहां आज भी सिगनल दिये से जलाए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एनसीआर जोन है, उसमें ग्वालियर (गुना) से इटावा और इटावा से मैनपुरी लाइन, जिसका वर्ष 1996 में महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने शिलान्यास किया था और रेल मंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी में रेल लाइन बिछाने की बात कही गयी थी। तब से लेकर आज तक उस पर मिट्टी पड़ी है, गिट्टी भी पड़ी है और कुछ पुलिया भी बनी हैं, लेकिन अभी तक ट्रैक नहीं बिछाया गया। नीतीश जी ने यह भी कहा था कि माननीय अब्दुल कलाम साहब इसका शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन भी करेंगे।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि इस परियोजना में कितना पैसा खर्च हुआ और कब तक यह पूरी हो जाएगी, इसका अथॉटिक जवाब दें तथा यह भी बताएं कि किसानों की कितनी जमीन इस काम के लिए ली गई?...(व्यवधान)

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI DINESH TRIVEDI) Hon'ble Member has asked us on specific line. I would be very happy to provide him the specific information which he has asked.

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न रेल मंत्री जी है कि मालभाड़ा कोरिडोर में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के 39 गांवों को जोड़ा गया है,...(व्यवधान) जो प्रभावित हो रहे हैं।

11.06 hrs.

At this stage Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

इसमें किसानों की खेती लायक जमीन पर कब्जा करके उसका अधिग्रहण किया गया है। सन् 2008 रेलवे एक्ट के आधार पर रेलवे द्वारा उन किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह कहा भी है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मौजूदा सर्कल रेट की दरों पर किसानों को भुगतान किया जाए।...(व्यवधान) मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रेल फ्रेट कोरिडोर में किसानों की जो जमीन ली गई है, क्या उसका मुआवजा मौजूदा रेट पर उन्हें भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये 39 गांव मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में हैं और यह क्षेत्र प्रभावित हो रहा है?

SHRI DINESH TRIVEDI: This supplementary does not arise out of the main question. However, I would like to give him information separately as this is not the part of the main question.

श्री रमाशंकर राजभर : अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां गोरखपुर से भटनी रेल लाइन पर समपार पर दुर्घटना हुई। जिस ट्रेन से दुर्घटना हुई, उस ट्रेन की लाइट नहीं जल रही थी। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मानवरहित फाटकों से जो आपकी रेलगाड़ियां गुजरती हैं, उनमें लाइट अवश्य हो, इसकी जांच कराई जाए। मेरे ही प्रश्न के उत्तर दिनांक 11.0.2011 को इनके विभाग ने जवाब दिया है कि पूर्वांचल से एक भी प्रस्ताव नहीं आया है..(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इनके मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं...(व्यवधान) ये लोग क्या मांग कर रहे हैं...(व्यवधान) अपनी-अपनी प्रांतों में इनके मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं, यह बताएं।...(व्यवधान) इन्होंने प्रण कर लिया है कि संसद को चलने ही नहीं देना किसी भी वक्त। ये बताएं कि इनके मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं अपने-अपने राज्यों में...(व्यवधान)

श्री रमाशंकर राजभर : मैं पूछना चाहता हूं किजय प्रकाश नगर से बपीयहा रेलवे स्टेशन से बैल्थरा रोड, औड़ीहार वलिया छपरा लाइन, पठनों वाराणसी लाइन दोहरीकरण विद्युतीकरण व वरहज दोहरी घाट, फैजाबाद नई लाइन का सर्वे मंत्रालयों, सासंदों, प्रदेश सरकारों की सहमति से हुआ है..(व्यवधान) इंदारा से दोहरीघाट बड़ी लाइन का सर्वे पर इतना खर्चा करके...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री रमाशंकर राजभर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना खर्चा करके सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण के बाद उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं वह बनता है?...(व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI: The process of survey is a continuous one. Depending on the terrain, depending on the geographical location, the survey cost is on an average Rs.40,000 a kilometre or it could be more than that also. So it all depends on terrain. There is no specific rule but the thumb rule is that it could be Rs.40,000. It could be little more than that. All depends on terrain. If the terrain is hilly, obviously it takes a little longer time and it takes a little more money.

श्री मदन लाल शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। सारे देश के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से जारी है। ...(व्यवधान) सारे देश में रेल विभाग ने बहुत काम किया है। लेकिन मैं जिस प्रदेश जम्मू-कश्मीर से आता हूं, खासकर मेरा पार्लियामेंटरी हलका जो है, उसमें साम्बा-से जम्मू तक महज 40 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से इस हाउस के अंदर अपनी बात कहता रहा हूं और मैं रेलवे मिनिस्ट्री के साथ भी संपर्क में हूं। मेरा पिछड़ा एरिया रजौरी-पूंछ डिस्ट्रिक्ट है जो बार्डर के साथ लगता हुआ एरिया है जहां गुर्जर और बकरवाल की आबादी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे डिपार्टमेंट ने यह यकीन दिलाया था कि जो सोशली बैकवर्ड एरियाज हैं, उन्हें प्रीओरिटी पर लिया जाएगा। ...(व्यवधान) अतः मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जब रजौरी-पूंछ-अखनूर लाइन का सर्वे हो गया है तो क्या आप उसे 12वें प्लान में शुरू करने जा रहे हैं या नहीं।

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, the intention of the Railway Ministry is to ensure that whatever survey takes place, the project gets completed. However, I would like to mention the criteria. There are five different criteria. The first criteria is the project oriented lines which would serve the new industries for tapping minerals and other things. One of the other criteria is that any line which is strategically important to the country, like the border areas or the backward areas,

even if it is economically not viable, the effort of the Railway Ministry is to give priority to that sector. Hon. Member has asked about the area which also comes under that criteria.… (*Interruptions*) I can also mention that out of 129 new lines with the ongoing projects, only 14 projects are economically viable. So, it is not necessary that the Railway Ministry only goes for economically viable projects. I can assure the hon. Member that whatever he has mentioned, I will personally have this examined and as soon as possible we will try to complete it.

SHRI ABDUL RAHMAN : Madam, it is almost more than five years since the Railways have suspended the train services between Mayiladuthurai and Karaikudi in Tamil Nadu following the commencement of 188 kilometre stretch of BG conversion work. During this five year period, very little earmarked amount was sanctioned to complete a small distance of 38 kilometres between Mayiladuthurai and Thiruvarur. The balance of 150 kilometre distance is left out without even initiating the BG work in between Thiruvarur and Karaikudi.

This being the coastal line covering places of historical importance and of religious significance across this region, this line connects the temple city of Rameshwaram. The place is also known for the 13th century Muslim shrine Dargah and *en route,* this covers many holy places like Nagore, Velankanni, Kumbakonam, Muthupet, Adirampattinam, Ammapet and tourist spot like Manora built by the King of Thanjavur. When I brought this matter to the kind attention of the Railway Ministry, our hon. Minister of State for Railways Shri Muniyappa has replied to it on 22nd September, 2009.

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI ABDUL RAHMAN : The balance estimate of this project amounting to Rs. 533 crore is under consideration for the sanction. Now a period of five years is over. I would like to ask the hon. Minister through you whether we can expect that our Railway Ministry would pay immediate attention to start the BG line from TVR to Karaikudi. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI ABDUL RAHMAN: I am asking the question. Can we expect that our Railway Ministry would pay immediate attention to start the BG conversion work in between Thiruvarur to Karaikudi at least in two different phases in terms of its distance to cover that 150 kilometres?

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam, it is one of the important projects. It is connected to one of the pilgrim centres between Nagore and Valankanni. We are very seriously considering this project. The metre gauge is already converted and we will take up the remaining work stage by stage. This is under consideration.

SHRI M.B. RAJESH : Thank you, Madam Speaker, a coach factory at Palakkad was announced at the time of the first UPA Government and the State Government of Kerala had offered land. The land is made available to the Railways, but the work has not yet been started. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has fixed any timeframe for completion of this. And can the hon. Minister assure the House as to when the work will be started? What will be the fate of that railway coach factory?

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, you can see that this question does not relate to the main question. However, I can assure the Member that the work is on a fast track and very soon we will be happy to get some good news.

MADAM SPEAKER: Q. 242 - Dr. Bhola Singh – Not Present

Shri Ravneet Singh

(Q. No.242)

श्री रवनीत सिंह: महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में मेरे संसदीय क्षेत्र नांगल में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का सबसे पुराना प्लांट 1974 में शुरू हुआ था, उसे वर्ष 2012 में गैस बेस्ड किया जा रहा है। जैसे भटिंडा में प्रोडक्शन है, जैसे मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन है या पानीपत में है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नांगल में जो प्रोडक्शन है, वह दूसरे नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट्स से क्यों कम है, जबकि यह सबसे पुराना प्लांट है?...(व्यवधान)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे बायो फर्टिलाइजर की बात करें, तो रोज हमें बहुत महंगा यूरिया और खाद बाहर से मंगानी पड़ती है। हम नांगल प्लांट से इन्हें क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आज हार्टिकल्चर के लिए नीम कोटिड खाद है, वह भटिंडा में भी बन रही है और मध्य प्रदेश में भी बन रही है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि नीम कोटिड खाद नांगल में बनाने के लिए सरकार का भविष्य में कोई प्रोजेक्ट है?...(व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: Madam Speaker, this is purely about the Nangal plant of the National Fertilisers Limited. इसमें दो चीजें हैं। एक प्रश्न था कि जो यूनिट्स बंद पड़ी हैं, उन्हें रिवाइवल करना है। नांगल प्रोजेक्ट के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं देखूंगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ पाएगा।

श्री रामकिशुन : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली के साहूपुरी में स्थित मैसर्स हरी फर्टिलाइजर बंद पड़ा है, जबकि वह अमोनिया क्लोराइड जैसी रासायनिक खाद का उत्पादन करते थे, जो कि आलू व प्याज जैसी सब्जियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खाद है तथा यह धान व गेहूं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खाद है।...(व्यवधान) अब यह फैक्टरी बंद कर दी गई है। इस फैक्टरी को खोलने के लिए सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करेगी या नहीं?

अध्यक्ष महोदया : आप अपना सवाल पूछिए।

श्री रामकिशुन: महोदया, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं। क्या सरकार इस बंद पड़ी फैक्टरी को खोलने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन करेगी या जो जमीन किसानों से ली गई है, उस जमीन को किसानों को वापिस करने का काम करेगी?...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदया, जहां तक प्लांट्स के रिवाइवल का प्रपोजल है, वह रिवाइवल प्रपोजल सिंदरी, गोरखपुर, तालचेर, रामगुंडम और कोरबा है, जो कि एफसीआईएल का है और एचएफसीआईएल के तीन प्लांट्स हैं। हमने आठ प्लांट्स के रिवाइवल का निर्णय लिया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Q. 243 – Shri Harishchandra Chavan – Not present.

Dr. Jyoti Mirdha

(Q. No. 243)

डॉ. ज्योति मिर्धा : अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल यह है कि हम आज की तारीख में वॉल्यूम्स की टर्म्स में थर्ड और वैल्यूज की टर्म्स में फोर्टीन्थ नम्बर पर आ रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जितने मैजर्स दिये जा रहे हैं, वे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों फार्मास्युटीकल्स कंपनीज के लिए एक साथ दिये जा रहे हैं।...(व्यवधान) जो टैक्स कंसैशन्स दिये जाते हैं, वे इंटरनेशनल और डॉमैस्टिक दोनों कंपनीज को मिलते हैं, लेकिन इसमें यह आ रहा है कि जो दवाइयां हमें बनानी चाहिए, वे शायद हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ...(व्यवधान) हम रीवाइटल 150 करोड़ रुपये की बेच रहे हैं, हम कफ सीरप 800 करोड़ रुपये की बेच रहे हैं और केंसर की दवाइयां मात्र 150 करोड़ रुपये की बेच पा रहे हैं।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक जानना चाह रही हूं कि डॉमैस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बूस्ट करेंगे ताकि जिन दवाइयों की जरुरत है, उन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हिन्दुस्तान में हो सके?...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : अध्यक्ष महोदया, जहां तक डॉमैस्टिक प्रोडक्शन का सवाल है, डॉमैस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और सरकार इंसेंटिव भी दे रही है।...(व्यवधान) जहां तक केंसर ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, उसे कई जगह से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान) जो सस्ती केंसर ड्रग्स यहां मिल रही हैं, उनका कैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उस बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

11.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAFUL PATEL): I beg to lay on the Table a copy of the each of the following Papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Richardson and Cruddas (1972) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4852/15/11)

(2) Memorandum of Understanding between the Triveni Structural Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4853/15/11)

(3) Memorandum of Understanding between the Tungabhadra Steel Products Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4854/15/11)

(4) Memorandum of Understanding between the Bharat Pumps and Compressors Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4855/15/11)

(5) Memorandum of Understanding between the Bridge and Roof Company (India) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4856/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI VINCENT H. PALA): On behalf of Shri Salman Khursheed, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 47th Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, for the period from July, 2008 to June, 2010 under article 350(B) of the Constitution.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Minorities Development and Finance Corporation and the Ministry of Minority Affairs for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4857/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): On behalf of Shri Paban Singh Ghatowar, I beg to lay on the Table to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Minister during various sessions of Tenth, Eleventh, Thirteenth Fourteenth and Fifteenth Lok Sabha :-

TENTH LOK SABHA

1. Statement No. XXIX Fifteenth Session, 1995

(Placed in Library, See No. LT 4858/15/11)

ELEVENTH LOK SABHA

2. Statement No. XL Third Session, 1996

(Placed in Library, See No. LT 4859/15/11)

3. Statement No. XLI Fourth Session, 1997

(Placed in Library, See No. LT 4860/15/11)

THIRTEENTH LOK SABHA

4. Statement No. XXXV Seventh Session, 2001

(Placed in Library, See No. LT 4861/15/11)

5. Statement No. XXXI Eleventh Session, 2002

(Placed in Library, See No. LT 4862/15/11)

6. Statement No. XXIX Fourteenth Session, 2003

(Placed in Library, See No. LT 4863/15/11)

FOURTEENTH LOK SABHA

7. Statement No. XXVI Second Session, 2004

(Placed in Library, See No. LT 4864/15/11)

8. Statement No. XXIV — Third Session, 2004

(Placed in Library, See No. LT 4865/15/11)

9. Statement No. XXV — Fourth Session, 2005

(Placed in Library, See No. LT 4866/15/11)

10. Statement No. XXII — Fifth Session, 2005

(Placed in Library, See No. LT 4867/15/11)

11. Statement No. XXI — Sixth Session, 2005

(Placed in Library, See No. LT 4868/15/11)

12. Statement No. XXI — Seventh Session,2006

(Placed in Library, See No. LT 4869/15/11)

13. Statement No. XVIII — Eighth Session, 2006

(Placed in Library, See No. LT 4870/15/11)

14. Statement No. XVIII — Ninth Session, 2006

(Placed in Library, See No. LT 4871/15/11)

15. Statement No. XVII — Tenth Session, 2007

(Placed in Library, See No. LT 4872/15/11)

16. Statement No. XV — Eleventh Session, 2007

(Placed in Library, See No. LT 4873/15/11)

17. Statement No. XIV Twelfth Session, 2007

(Placed in Library, See No. LT 4874/15/11)

18. Statement No. XII Thirteenth Session, 2008

(Placed in Library, See No. LT 4875/15/11)

19. Statement No. X Fourteenth Session, 2008

(Placed in Library, See No. LT 4876/15/11)

20. Statement No. IX Fifteenth Session, 2009

(Placed in Library, See No. LT 4877/15/11)

FIFTEENTH LOK SABHA

21. Statement No. VIII Second Session, 2009

(Placed in Library, See No. LT 4878/15/11)

22. Statement No. VI Third Session, 2009

(Placed in Library, See No. LT 4879/15/11)

23. Statement No. VI Fourth Session, 2010

(Placed in Library, See No. LT 4880/15/11)

24. Statement No. III Fifth Session, 2010

(Placed in Library, See No. LT 4881/15/11)

25. Statement No. II Sixth Session, 2010

(Placed in Library, See No. LT 4882/15/11)

26. Statement No. I Seventh Session, 2011

(Placed in Library, See No. LT 4883/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table a copy of the Railways (Punitive Charges for overloading of wagon) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 595(E) in Gazette of India dated the 1st August, 2011 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

(Placed in Library, See No. LT 4884/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Engineers India Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4885/15/11)

(2) A copy of the Notification S.O. 567(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 15th March, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 789(E) dated 20th March, 2009 issued under sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949.

(Placed in Library, See No. LT 4886/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

(i) Notification No. EL-2011/16 published in Gazette of India dated the 24th March, 2011, containing corrigendum to the Notification No. EL-2011/1 to EL-2011/9 (in English version only) dated 3rd March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4887/15/11)

(ii) Notification No. EL-2011/25 published in Gazette of India dated the 25th May, 2011, regarding election to the Council and the Regional Council, 2011-extension of last date and time for receipt by post of Ballot Papers back from Voters.

(iii) Notification No. EL-2011/26 published in Gazette of India dated the 14th June, 2011, regarding Members declared elected to the Eighteenth Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India for the term 2011-2015.

(iv) Notification No. EL-2011/27 published in Gazette of India dated the 14th June, 2011, regarding Members declared elected to the four Regional Councils of the Institute of Cost and Works Accountants of India for the term 2011-2015.

(Placed in Library, See No. LT 4888/15/11)

(4) A copy of the Chartered Accountants (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 110(E) in Gazette of India dated the 25th February, 2011, under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 372(E) dated the 10th May, 2011.

(5) A copy of the Company Secretaries (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 111(E) in Gazette of India dated the 25th February, 2011, under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 373(E) dated 10th May, 2011.

(6) A copy of Cost and Works Accountants (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 112(E) in Gazette of India dated the 25th February, 2011, under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 196(E) dated 8th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4889/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 642 of the Companies Act, 1956:-

(i) The Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 429(E) in Gazette of India dated the 3rd June, 2011.

(ii) The Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 430(E) in Gazette of India dated the 3rd June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4890/15/11)

(8) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Independent Inquiry Committee on MHN Platform Fire on 27th July 2005 (Volume I and II) along with Action Taken Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 4891/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI VINCENT H. PALA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4892/15/11)

12.01 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
19th Report

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): I beg to present the Nineteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolution.

12.01 ½ hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
6th Report and Minutes

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): I beg to present the Sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table and Minutes relating thereto.

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
19th and 20th Reports

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Nineteenth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water & Sanitation).

(2) Twentieth Report on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

12.03 hrs

BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) BILL, 2011*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 11 – Shri Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to benami transactions, prohibit holding property in benami and restrict right to recover or transfer property held benami, and provide mechanism and procedure for confiscation of property held benami and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to benami transactions, prohibit holding property in benami and restrict right to recover or transfer property held benami, and provide mechanism and procedure for confiscation of property held benami and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-2, Section – 2, dated 18.08.11.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सिंह।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, इस विषय पर दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक सदस्य बोलेगा। पहले इन्हें बोलने दीजिए। अगर सब बोलेंगे तो डिबेट हो जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ राजनाथ जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी और किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदया ने इन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा का किसान उद्वेलित है और जो कुछ भी मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है और वहां के पीड़ितों की...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदया ने इन्हें बोलने की अनुमति दी है, इसलिए इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

श्री राजनाथ सिंह : कुछ भी सुनाई नहीं देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड हो जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप पहले इन्हें शांत करायें तथा हाउस ऑर्डर में आ जाए, फिर मैं बोलूंगा।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी, सिर्फ श्री राजनाथ सिंह जी की बात रिकार्ड में जायेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। जब शुरू में यह मामला उठाया गया था तो अध्यक्ष महोदया ने यह अनुमति दी थी कि शून्यकाल में इन्हें बोलने दिया जायेगा। इसलिए अब इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, इस समय हरियाणा राज्य के 12 गांवों के किसान उद्वेलित हैं और जो कुछ भी हरियाणा राज्य में जाकर मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है और पीड़ितों की करुण गाथा को सुना है...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सर, मैंने एक बात कही थी कि हम स्टेट्स के विषयों को न लें...(व्यवधान) अभी जिस ढंग से आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, सुबह आपने भी देखा है कि सभी के लिए मुश्किल हो जाती है। जो स्टेट्स सब्जैक्ट्स हैं...(व्यवधान) हां, आपके लिए मुश्किल नहीं होती है, क्योकि आपको आगे आना है और शोर कर देना है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल है...(व्यवधान) हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाउस चले।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि हाउस चले, इसलिए हमारे लिए मुश्किल है। हमने कल आपका तजुर्बा देख लिया, जब बिना किसी बात के भी हाउस को विभाजित किया जाता है। हमारे लिए मुश्किल होती है। ...(व्यवधान) अब आप फिर से हरियाणा की बात कर रहे हैं, यही बात सुबह हुई थी।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : जिस हरियाणा राज्य के लैंड एक्यूजिशन एक्ट की कांग्रेस के द्वारा सराहना की जाती है, आज वहां का किसान कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, मैं उसकी चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मैंने वहां प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदया ने शून्य काल में यह मामला उठाने की अनुमति दी है, इसलिए इन्हें बोलने दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : जिन गांवों का मैंने दौरा किया था, उनमें उल्लावास गांव भी सम्मिलित है और उस उल्लावास गांव में ग्राम पंचायत की एक जमीन को जिस तरीके से ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा जबरन हस्ताक्षर कराकर, फोर्सिबली हस्ताक्षर कराकर राजीव गांधी ट्रस्ट को वह जमीन दी गई है और जिसकी अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस की अध्यक्षा हैं ...(व्यवधान) और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम संसद के समक्ष इस मामले को उठाना चाहते हैं।...(व्यवधान) उल्लावास का किसान बहुत उद्वेलित है, दुखी है। इसके साथ-साथ हरियाणा राज्य के ऐसे सैकड़ों गांव हैं...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हाउस में बोलने के अधिकार का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : जहां पर धारा-4 और धारा-6 के अंतर्गत लैंड एक्यूजिशन एक्ट की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाती है और किसानों में दहशत पैदा की जाती है, ताकि किसान अपनी जमीन को बिल्डर्स के नाम औने-पौने दामों पर बेच दें

...(व्यवधान) और फिर बाद में भूमि अधिग्रहण की धारा 4 और धारा 6 की कार्यवाई को ...(व्यवधान) वहां की हरियाणा सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। ...(व्यवधान) इस समय सरकार बिल्डरों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। ...(व्यवधान) इस समय हरियाणा राज्य का किसान आंदोलित है।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूँ।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

12.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time; and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to increase the Minimum Support Price of Sugarcane

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Sugarcane is one of the main cash crops for agriculturists. In our country, it is grown in almost all the states. As sugar is consumed by almost all the people, naturally the need to grow sugarcane has gained momentum. At the same time though it is grown in large areas and it is supposed to be one time cash crop, but the remunerative price of sugarcane does not help the farmers. The minimum support price of sugar cane is not at all helping the farmers to meet their loans which they have obtained from banks and other financial institutions. Agricultural inputs prices like manure , fertilizers have increased considerably besides labour and coolie charges have gone up with the result the farmers are facing lot of money problem. Hence, I urge upon the

* Treated as laid on the Table.

Agricultural Minister to fix up more than Rs. 2500/- per tonne as Minimum Support Price for sugarcane plus cutting charges and transport charges.

(ii) Need to set up a National Sports University in Haryana

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Recent years have witnessed growing role of sports other than cricket in our nation. Media attention, national honour and international prestige have made participation and winning of medals in competitive sports a matter of great significance. Recently, the Haryana government has adopted various innovative and landmark features in its Sports policy. The most recent of these is the Employment Guarantee Scheme which spells 'bring a medal and get job' offer to the sporting fraternity.

With this policy, Haryana Government has successfully marshaled its sportsmen in CWG 2010 as well as the Asian Games. What they achieved for the country is known to all. Just to outline, 55% of the Gold medals and 35% of the total Indian medals in CWG-2010 and 36% of the Gold medals and 33% of the total medal in Asian Games were bagged by sportsmen of Haryana.

These results highlight the abundant natural talent present in Haryana. Still there remains various shortcomings on the infrastructure side that need to be addressed.

There is a visible shortage of training infrastructure, facilities and world class coaches.

Though there are few sports training facilities operational in the state, need of the hour is to have a pick and chose approach and train amateurs for a longer duration under specialized experts with modern training aids along with training of coaches as per the global standards.

With an intention to bridge this talent and infrastructure gap, I request Hon'ble Minister of Sports & Youth Affairs to consider afresh, sanctioning of a National Sports University for Haryana.

I can assure the House that if a proper policy frame work addressing these infrastructural shortfalls is provided, it will further motivate these sportsmen to perform better and bring more laurels to the country.

(iii) **Need to open Public Health Centres in Uttarakhand**

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं इस सदन का ध्यान जन औषधि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उपचार महंगा हो गया है। सरकारी अस्पतालों में लम्बी वेटिंग लिस्ट है और ब्रांडेड दवाइयां काफी महंगी हो रही हैं। सरकार द्वारा जन औषधि के केन्द्र स्थापित करने व उनके व्यापक प्रचार--प्रसार से रोगियों को विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सस्ती औषधि उपलब्ध हो सकती है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पर्वतीय राज्य विशेषकर उत्तराखंड राज्य में वैसे ही समुचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। ज्यादातर वन क्षेत्र होने, जंगली जानवर तथा दुर्गम रास्तों के चलते वहां रोगियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। आय स्तर कम होने से वहां के निवासी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि वहां जन औषधि केन्द्र खोल दिए जाएं तो रोगों का समय से निदान हो सकता है। ब्रांडेड दवाइयों की कीमत से 100 से 400 प्रतिशत कम कीमत पर जन औषधि उपलब्ध हो जाती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अधिक से अधिक जन औषधि केन्द्र खुलवाने के लिए एवं उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समुचित कार्यवाही करे।

(iv) Need to increase the rate of subsidy on construction of Community Toilets and Individual Household Toilets in Vizianagaram Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): I appreciate the scheme for constructing toilets and community toilets in villages. It is important for the purpose of sanitation. It will not only protect the honour of women and girls but will also provide a healthy environment.

I have received representations from women for constructing community toilets as well as individual toilets from my constituency. Government of India is allocating some funds to the State and districts for constructing community toilets, but the allocation of funds is very less. In this connection, the subsidy for construction of Individual Household Latrines should be increased from Rs. 3,200 to Rs. 6,000 for plain areas from Rs 3700 to Rs. 6500 for hilly and difficult areas due to hike in rates of construction materials. As Vizianagaram is most backward district and inhabited by the poorest of the poor, they need more subsidy. The unit cost of community toilets should be increased from Rs. 2 lakhs to Rs. 4 lakhs as per the demand and need-based. At the same time, the number of units for community toilets may be increased from ten to hundred, that is, three community toilets for each Mandal or Block.

I request the Ministry of Rural Development to accede to this proposal as it would improve the sanitation in backward rural areas.

(

(v)Need to provide copies of judgements of courts in Hindi and regional languages

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): देश की 125 करोड़ की आबादी में लगभग आधे लोगों को कभी न कभी किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा कई बार लोअर कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय की आशा में जाना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया में एक छोटी से विसंगति यह है कि माननीय न्यायालय के निर्णय अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में आते है। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में न्याय की आशा में उपस्थित है और उसके प्रकरण का निर्णय उसी के समक्ष माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है तो अंग्रेजी भाषा में होने के कारण उसको यह आभास नहीं हो पाता है कि उक्त प्रकरण में उसे न्याय मिला या नहीं। जब वह निर्णय की प्रति माननीय न्यायालय के प्रतिलिपिकार से प्राप्त करता है तो काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा महाराष्ट्र से मिजोरम तक उक्त निर्णय की प्रति उसे अंग्रेजी भाषा में प्राप्त होती है व दुर्भाग्य से उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो वह जब तक किसी दुभाषिये के पास न जाए उसे यह पता ही नहीं चल पाता है कि उसके प्रकरण में क्या निर्णय हुआ है। सिविल प्रकरण में कई बार निर्णय से पक्षकार को अवगत होने में ही काफी समय लग जाता है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी न्यायालय निर्णय की नकल पक्षकार लेने हेतु आवेदन करें तो उक्त आवेदन में यह विकल्प होना चाहिए कि किस भाषा में लेना चाहता है, उसी भाषा में उसे निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाए। तकनीकी रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दांश का अर्थ कुछ अलग होता है लेकिन ऐसी स्थिति में यह सुझाव भी प्रेषित किया जा सकता है कि माननीय न्यायालय के निर्णय की कापी अंग्रेजी के साथ-साथ पक्षकार को उसके द्वारा मांगी गई क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए।

(vi)Need to divert the Amaravati-Narkhed rail line passing near the ancient Well 'Jagtik Manvata' worshipped by the followers of Mahanubhav Panth in Maharashtra

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान मेरे चुनाव क्षेत्र के महानुभाव पंथ के आंदोलन की तरफ दिलाना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है। 12वीं सदी में श्री चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। यह पंथ सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखता है और जात-पात के घोर विरोधी है। इसी पंथ के श्री गोविंद प्रभु ने 8वीं सदी में दलित समाज के लिए एक पानी के कुएं का निर्माण किया था जिसे मातंग विहीर नाम से जाना जाता है। आज इसे जागतिक मानवता स्मारक नाम दिया गया है। यह कुंआ महानुभाव पंथ के लिए ऐतिहासिक धरोहर है तथा सामाजिक जागृति का प्रतीक है अब यही कुंआ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इस कुंए के 5 फीट की दूरी से गुजर रही अमरावती-नारखेड रेल लाइन। महानुभाव पंथ के लोगों का मानना है कि जब भी यह रेल इन पटरियों से गुजरती है तब उसके कंपन से यह कुंआ प्रभावित होता है और समय के साथ यह नष्ट भी हो सकता है। इसी कारण पिछले 12 वर्षों से महानुभाव पंथ के अनुयाई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

माननीय पूर्व रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि रेल की पटरी और कुंए में उचित दूरी रखी जाएगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ और रेल लाइन सिर्फ 5 फीट की दूरी पर डाल दी गई। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस रेल लाइन को कुए से 15 मीटर दूरी पर डाला जाय और इस मानवता के स्मारक को नष्ट होने से बचाया जाए।

(vii) Need to expedite the construction of bye-pass road on the proposed National Highway No. 49 from Kundanoor to Puthencruz in Kerala

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): National Highway No. 49 which is proposed between Cochin and Madurai is a very beneficial project to lakhs of people of both the States of Kerala and Tamil Nadu. The starting point of this Highway in Kerala is Cochin and there is a bye-pass proposed from Kundanoor at Cochin to Puthencruz, which extends upto 10 Kilometers only. But the importance of this bye-pass is the benefits that it gives to reduce the congestion in Cochin and adjoining areas.

The bye-pass is proposed to start from Kundanoor and to pass through Mattakuzhi, Tripunithura and extends up to Puthencruz covering only ten Kilometers. It is learnt that, already in some areas the survey has been done and land is marked for this project. But the process is very slow and people are anxious about the alignment and their land as well as that when this project will be completed. People of these areas are in difficulty because of the lack of road facility towards the eastern part of Ernakulam district as thousands of people are working in Cochin city and besides trouble to reach their work spots, much time and money are wasted. I would, therefore, urge the Government to take urgent necessary measures to complete the bye-pass at the earliest and to extend the Highway upto Madurai in the near future.

(viii)Need to Constitute a Committee for setting up of a National Memorial in honour of freedom fighters who laid down their lives for the country

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आजादी के दशकों बाद आजाद भारत के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले सैनिकों के सम्मान में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण नहीं हो सका है। अपने प्राणों की आहूति देश के लिए देने वाले सैनिक को याद करना एक तरह से देश की भावी सुरक्षा के लिए होने वाले निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य देशों में स्मारक बनाए गए हैं। सरकार इस हेतु एक स्मारक समिति का गठन करें।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि "शहीद सैनिकों के" स्मारक अतिशीघ्र ही बनाया जाए। स्मारक के स्थान चयन में स्मारक समिति का निर्णय सर्वोपरि रखा जाए।

(ix)Need to provide better rail connectivity to Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां की जनता आवागमन के साधनों विशेषकर रेल यातायात के अभाव में जीवनयापन करने लिए विवश है। इस क्षेत्र में रेल यातायात की कमी के कारण यहां की जनता के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैसेकि व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिलाओं और इलाज के लिए शहरों की ओर जाने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेल लाइनों की कमी के कारण यहां की जनता शहरों से नहीं जड़ पा रही है जिसके कारण यहां की जनता के जीवनस्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए सरकार से निम्नलिखित समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान की अपेक्षा रखता हूं।

(1) लोहरदगा से कोरबा, वाया-गुमला, जसपुर रेलवे लाइन बनाई जाए।

(2) लोहरदगा से झाड़सूगड़ा, वाया-गुमला, जशपुर रेलवे लाइन बनाई जाए।

(3) लोहरदगा से दूरी रेलवे परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

(4) धनबाद ऐल्लेपी एक्सप्रेस का ठहराव पोकला स्टेशन पर अवश्य कराया जाए।

(5) लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का पुलिस स्टेशन अविलंब बनाया जाए।

रेलवे से जुड़ी उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान होने से क्षेत्र के विकास में गति आएगी और क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकेगी।

(x)Need to provide employment to temporary employees of erstwhile State Bank of Indore after its merger in SBI on priority basis

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय को मेरा शुरू से ही विरोध रहा है। इस विलय से हम इन्दौर की पहचान जरूर खो रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के विलय से बैंक के अस्थाई कर्मचारियों को जरूर नुकसान हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अस्थाई कर्मचारी जो कि विगत 10-15 वर्षों से अस्थाई (व्हावचर पेमेंट) रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो जाने से अस्थाई कर्मचारियों का भविष्य अधर में रह गया है। इन अस्थाई कर्मचारियों में 330 कर्मचारी 10 और 15 साल एवं कुछ कर्मचारी तो 25 वर्ष से अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का विलय होने के पूर्व इन कर्मचारियों को कहा गया था कि इनकी सेवाएं यथावत जारी रहेगी। परन्तु इसके विपरीत बैंक द्वारा कई कर्मचारियों की सेवाएं बंद कर दी गई है। इतने साल बैंक में अपनी सेवाएं देने के बाद इन कर्मचारियों पर रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह एक प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तथा उनके परिवार का पालन पोषण भी बंद होने के कगार पर है। बैंक का विलय होने के पूर्व इन कर्मचारियों को कहा गया था था कि बैंक में नई भर्ती के समय उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, परन्तु उस पर भी गंभीरता से कोई विचार नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विषय में योग्य कार्रवाई कर वर्षों से बैंक के लिए कार्य कर रहे कर्मचारियों को नई भर्ती के समय प्राथमिकता देकर पुनः उनकी सेवाएं उन्हें प्रदान कर उन्हें स्थायी करें ताकि उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके।

(xi)Need to provide a dedicated road for civilian use near Army Firing Range in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना द्वारा नियमित अभ्यास के दौरान किसानों के खेतों में अभ्यास किया जाता है। इस दौरान सैन्य वाहनों की बहुतायत में आवाजाही होती है जिसके कारण किसानों के खेत खराब हो जाते हैं। खेत की मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है और मिट्टी का उपजाऊपन भी समाप्त होता है, खड़े पेड़ों को नुकसान होता है और सेना द्वारा ग्रामीण किसानों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है। सेना के अभ्यास के दौरान उस ग्रामीण इलाके की सभी आर्थिक गतिविधियां जैसे दूध को बेचने के लिए परिवहन द्वारा कस्बों की ओर ले जाना, कस्बों से सब्जियां व खाद-बीज के कट्टों को ग्रामीण इलाकों में ले जाने में प्रायः या तो रास्ता बहुत दूर से तय करना होता है या कभी-कभी सेना के अधिकारियों की मनाही के कारण 2-3 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले ग्रामीण प्रायः अशिक्षित होते हैं तथा उनको इस समस्या के समाधान के लिए कहां आवेदन करना है इसकी भी जानकारी नहीं होती है। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में कभी कभार परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं यहां पर यह जोड़ना चाहता हूं कि सेना का अभ्यास देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों की जमीन खराब होना और किसानों को नुकसान होना भी देश की कृषि उत्पादकता को कम करता है तथा अन्य ग्रामीणों को परेशानी होने पर सेना के अधिकारियों एवं ग्रामीणों में कभी कभार छोटी-मोटी कहासुनी होने के समाचार भी समाने आते रहते हैं। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र के महाजन और अर्जुनसर कस्बें के पास एक डैडिकेटेड सड़क बना दी जाए और कुछ एरिया सेना के अभ्यास के लिए सुरक्षित कर दिया जाए जिससे किसानों की भूमि का भी नुकसान नही होगा और सेना के प्रति जो एक आदर का भाव होता है उसमें भी कमी नहीं आएगी।

(xii)Need to accord approval to the proposal of electrification under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Gwalior, Madhya Pradesh

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): ग्वालियर जिले की तहसील मुरार, घाटीगांव, भितरवार एवं डबरा के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को हो रही विद्युत समस्या के निराकरण हेतु इन क्षेत्रों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु मेरे पूर्व में पत्रों द्वारा एवं समय-समय पर मंत्री जी समक्ष भेंट कर अनुरोध किया गया था।

मेरे पत्रों के तारतम्य में संबंधित माननीय मंत्री जी के पत्र दिनांक 16.12.10 एवं 25.04.11 द्वारा यह अवगत कराया थ कि 11वीं योजनावधि में आरजीजीवीवाई के चरण-2 के अंतर्गत ग्वालियर जिले को सम्मिलित किए जाने हेतु विचारार्थ शामिल किया जा सकता है।

ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जून, 2011 के प्रथम सप्ताह में ग्वालियर, भिण्ड, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास खंडवा, खरगोन, मंदसोर, नीमच और शाजापुर को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए रु. 964/-करोड़ के संशोधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज गए हैं।

ग्वालियर जिले के समीपवर्ती जिला शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर को पूर्व में ही इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करके विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, परन्तु इस योजना में अभी तक ग्वालियर को सम्मिलित नहीं किया गया है।

ग्वालियर जिले के लंबित प्रस्ताव को प्राथमिकता पर शीघ्र स्वीकृत किए जाने हेतु आग्रह है ताकि ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों की विद्युत समस्या का निराकरण हो सके।

(xiii)Need to make Mathabhanga river in West Bengal free from effluents discharged by industrial units in Bangladesh

DR. SUCHARU RANJAN HALDAR (RANAGHAT): I represent Ranaghat (SC) parliamentary constituency in West Bengal. In its eastern part it makes the international border with Bangladesh. At its northern part, the Mathabhanga river from Bangladesh enters in my constituency. This river bifurcates into two rivers (1) Ichhamati (2) Churni at Papakhali in Krishanagunj Assembly Constituency-northern most assembly constituency of my Parliamentary Constituency. Ichhamati river flows down and criss-crosses the international boundary with Bangladesh and drains into the Bay of Bengal. Thousands of fisherman used to earn their livelihood from this river by fishing. However, since partition the river Mathabhanga is having scanty water to feed its two branches as mentioned above. Moreover, while constructing a railway bridge over the Icchamati at Banpur Railway Station, the water flowing from Mathabhanga was diverted to Churni resulting in complete stoppage of water supply at the head of Ichhamati, thereby causing drying up at its head. Thus the fishermen lost their livelihood.

The river Churni is carrying black poisonous water which is drained into the Ganges. This is because of discharge of waste materials from a sugar factory in Bangladesh causing death of the fishes and all other biological flora in the river.

I urge the Union Government to negotiate with Bangladesh to stop drainage of industrial waste into the river Mathabhanga and also to release sufficient water into the river Mathabhanga so that it can feed both the rivers. The Indian Railways authorities may be approached to open the head of Ichhamati so that water could flow into it also.

(xiv)Need to construct a Road Over Bridge in Asansol Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): The condition of Railway tunnel connecting one part of Asansol Town with the other part is in a very bad shape for a long time. Asansol is an important Railway Divisional Head Quarters of Eastern Railway.

Eastern Railway Authority is aware of the problem. After Independence, Railway Authority has constructed many R.O.B. etc but Asansol has been neglected.

People who are living in Rail par Area of Asansol are basically poor and under privileged. Slum dwellers and others suffer mostly due to disadvantage of transport facilities. Rail par Area is underdeveloped because this area is facing transport problem as the area has the single Railway tunnel. Passengers also suffer due to irregular bus services. As the Government Hospital is situated in the middle of the town, the poor patients also face problem to come to the hospital. The condition of the area becomes worst during the Rainy season.

Railways Ministry should come forward to construct R.O.B. to avoid the problem which is a long standing demand of Asansol.

(xv)Need to increase the allotment of kerosene under PDS to Tamil Nadu

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH):Kerosene is one of the essential commodities supplied under the Public Distribution System. Tamil Nadu is implementing Universal PDS. As per the latest statistics about the cardholders, the actual requirement of kerosene in Tamil Nadu is 65, 140 kilo litres per month.

The Government of India was allotting 52,804 KL of Kerosene per month till March 2011 for supply through PDS. But the Government of India has drastically reduced the allocation by 8,226 KL for June 2011; this means, from 52,804 KL of kerosene per month in March 2011 to 44,580 KL of kerosene per month for June 2011.

Otherwise also, there has been a gradual reduction of allotment of kerosene to Tamil Nadu over the last two years and this is putting severe stress on the PDS. It is becoming very difficult for the State Government of Tamil Nadu to meet the genuine needs of the poor cardholders. The poor people in both urban and rural areas of Tamil Nadu depend on the kerosene supplied through PDS. The poor people are put to severe hardship.

The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu also made a request to the Hon'ble Prime Minister a few months back for enhancing the supply of PDS kerosene. But so far, nothing is heard from the Government of India.

I, therefore, request the Union Government to issue necessary orders to enhance the allotment of kerosene to 65,140 KL per month to Tamil Nadu.

(xvi)Need to declare Gandhi Ashram of Hajipur, Bihar as a national heritage and build a memorial in honour of freedom fighters Jubba Sahni, Baikuntha Shukla, Yogendra Shukla and others

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के श्री जुब्बा साहनी और वैशाली जिला के श्री बैकुंठ शुक्ल आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे और श्री योगेन्द्र शुक्ल को काला पानी की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी की इच्छानुसार हाजीपुर में एक गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी वह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रान्तिकारियों का केन्द्र था, लेकिन अभी तक अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के अमरत्व के लिए कोई भी स्मारक नहीं बना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः आग्रह है कि हाजीपुर के गांधी आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने एवं अमर शहीद जुब्बा साहनी, बैकुंठ शुक्ल व योगेन्द्र शुक्ल और अन्य मशहूर स्वतंत्रता सेनानियों के अमरत्व के लिए स्मारक आदि बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(xvii)Need to provide a financial package for the drought-hit Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): मेरा संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखंड) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी तथा पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र विगत पांच वर्षों से लगातार सुखाड़ की चपेट में है। छोटी-बड़ी सभी नदियां सूख गई हैं तथा पूरे संसदीय क्षेत्र का जलस्तर बिल्कुल नीचे चले जाने के कारण सारे नदी, तालाब तथा कुएं सूख गए हैं। फलतः न पीने का पानी है और न ही खेती एवं न ही सिंचाई के लिए पानी है।

जिसके कारण मेरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रोजी-रोटी के लिए मजदूरों का अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है।

अतः, केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं सरकार से मेरे संसदीय क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाकों हेतु 500 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग करता हूं।

14.01 hrs.

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up Item No.13.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): मान्यवर, जीरो ऑवर का क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर शाम को होगा।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

Sir, Medical Council of India (MCI) has been a statutory body created by an Act of Parliament empowered to carry out inspection of Medical Colleges as per the provisions of Indian Medical Council Act, 1956 and make recommendations to the Central Government for grant of permission to establish a new Medical College or start a new course of study or increase intake of students, etc. The MCI was also entrusted with the responsibility of maintaining the highest standards of medical education in all medical teaching institutions, whether Government or private.

The IMC Act, under Section 10(A), empowered the Central Government to grant permission to the Medical Colleges on the basis of recommendations of Medical Council of India. The Medical Colleges which were found deficient of the requirements of the MCI were given an opportunity to rectify the deficiencies. In such cases, MCI carried out re-inspection for verification of any compliance report submitted by them.

From time to time, there were complaints as well as representations against the nature of the recommendations made by Medical Council of India to Government. In some cases, it was alleged that permissions and recommendations had been given, despite inadequate infrastructure and faculty. In other cases, it was alleged that though the faculty and infrastructure had been adequate, yet these

were not recommended by the Medical Council. Such complaints and representations were forwarded to the Medical Council for appropriate remedial action. The Ministry of Health and Family Welfare had always been of the opinion that the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956, were inadequate to ensure transparent, credible and constructive decisions making in the erstwhile Council.

Therefore, my Ministry had introduced a comprehensive Bill in the Parliament in August 2005 to amend various provisions of Indian Medical Council Act, 1956. The purpose was to make the Council more responsible in its functioning and to empower the Central Government to take steps to make the Council more transparent and accountable. We had suggested some changes in the Bill which included restricting the number of terms in offices of the President and Vice President of the Medical Council because there were no fixed terms. Any person could continue for 20 years or 30 years and as long as he is elected. So, in 2005, it was suggested that the time should be restricted. … (*Interruptions*) I am giving the details as there will be hardly any time for more questions because today's amendment is just a formality. I would like to give a little background about the Medical Council, which otherwise for the amendment is not required, but for the benefit of the hon. Members, I am giving it. I am giving the background of the previous Act of the Medical Council when we wanted to make some changes; and where do we stand today? Therefore, the speech will take a little longer. … (*Interruptions*) I am talking about the provision of 2005 when I was not the Minister, but the Ministry had moved this proposal. There was no provision in the Act for the removal of the President and the Vice President. As I said, they could continue in spite of whether they could do good job or bad job; and there was no provision whatsoever for removing them or any member of the Medical Council on the ground of misconduct, incapacity or abuse of power. So, the Ministry could not remove them even for misconduct, incapacity or abuse of power. That was the provision in which the Government wanted to make some

changes in 2005. The Bill was introduced at that time on the floor of the House. The proposed amendments also included a clause empowering the Government to issue directions to the Medical Council of India because the Ministry of Health had no power to issue any direction, should they like to issue any direction. So, with all these changes, the Bill was introduced in 2005 and the proposed Bill was referred to the Departmentally-Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare which submitted its report in December, 2006. The Committee, however, did not agree with most of the amendments proposed in the Bill. So, they did not agree with the amendments made by the Government. I think there was no progress on that. Meanwhile, in 2010, certain developments involving the Medical council of India and its former President took place. I think all of you are aware of that. This was followed by extensive media coverage both print and electronic. This evoked public demand for immediate action by the Ministry of Health and Family Welfare.

This issue was also debated during my response to the Calling Attention Notice on 4th May, 2010 in the Rajya Sabha. During the discussion in the Rajya Sabha, I had assured the hon. Members that the Government would revisit the issue and also drew their attention towards a need for reform in all aspects of the structures governing Medical Education including Medical Council of India.

I had also assured the House that the Government would take all necessary steps to restore the credibility of the Medical Council of India.

To achieve this, the Ministry had held detailed deliberations to explore various possible measures for improving the functioning of MCI which only brought forth many divergent views and suggestions.

One possibility was to wait for the creation of National Commission for Human Resources for Health (NCHRH) as an overarching regulatory body in health sector, which was also part of Presidential speech of 3rd June, 2009. After the UPA came into being, the Cabinet approved one overarching body, both in the

health and education, and subsequently it was reflected in the speech of the *Rashtrapatiji.*

So, we had two options: either to wait for that or to make some alternate arrangements because, I think, the Rajya Sabha wanted, at that point of time, that we should take immediate action. So, this was one option: to wait for the over-arching body.

The other option was to strengthen the existing IMC Act with appropriate amendments. More time was, therefore, needed to harmonise these different views and to come up with an implementable and feasible model that has the consensus of all the stakeholders. Meanwhile, the Ministry was of the firm opinion that certain immediate steps must be taken in respect of the Medical Council of India.

Under the prevailing circumstances at that time, the Ministry of Health and Family Welfare *vide* an Ordinance, Notification dated 15th May, 2010 dissolved the Medical Council of India and constituted the six-member Board of Governors to oversee the work of the Council for one year. What I have come for before this House is relating to this particular line. So, this particular amendment was made that the Board of Governors will oversee the work of the Medical Council for one year hoping that the over-arching body would be in place by that time.

However, during this period, the Government was unable to introduce the over-arching body in view of the fact that it required much more consultations with the stakeholders including the Central Ministries to resolve some important issues. So, who are the stakeholders? The stakeholders are all the Medical Colleges of the country. The stakeholders are all the Universities of the country because each Medical College is affiliated with a particular University in its respective State. So, the stakeholders are the State Governments. We wanted the State Governments also to be taken on board. So, this whole exercise was not a small exercise. We had not anticipated it in the beginning. You will appreciate that since we are proposing a paradigm shift to the regulatory framework, the process has taken more time than we had anticipated for this over-arching body. Of

course, we had also to take the Central Ministries, particularly the HRD Ministry on this Board.

We expect the entire process of the NCHRH Bill - this is the over-arching body - would require more time, at this moment, anywhere between four to six months. The term of the Board of Governors was ending on 14th May, 2011. So, last year, the Ordinance was only for one year. That ended on 14th May this year. Since the Parliament was not in Session, immediate steps were again required to be taken to continue the present arrangement beyond 14th May, 2011. Hence the Ministry of Health and Family Welfare, with the approval of the President of India, promulgated an Ordinance under Clause (1) of Article 223 of the Constitution to amend the sub-Section (2) of Section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 so as to increase the period for reconstitution of the Medical Council from one year to two years, that is, up to 14th May, 2012. So, Sir, this is the amendment. Earlier, it was for one year, which one year we completed this May. Since the over-arching body could not come up, since we had to continue and since the Parliament was not in Session, we had to go for the second Ordinance. The second Ordinance lapses on 14th May, next year.

I have come with the amendment and with the request that the permission should be granted. This will continue for one more year. It is in this background that I would request the House to consider the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 2011 बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं कि मुझे इस डिबेट पर इनिशिएट करने का मौका दिया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उन सभी पर मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल इन्होंने बिल रखा है, यह बिल बिल्कुल सीधा है कि एक साल के बदले इन्हें दो साल के लिए बढ़ाना चाहिए। वर्ष 1950 में जब भारत एक गणतांत्रिक देश हुआ था, तब संविधान निर्माताओं ने देश के साथ यह वायदा किया गया था कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का और इस संविधान में सवैधानिक संस्थाओं की जो भी शक्तियां हैं, उन सभी की हम लोग रक्षा करेंगे। यही बात कल इसी लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा और आज ही एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें एक लोकतांत्रिक चुनी हुई संस्था को खत्म करके उसके बदले ये अपना राज चलाना चाह रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर देखकर बोलिए, उधर देखकर नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल : एम.सी.आई. की स्थापना वर्ष 1934 में अंग्रेजों के समय में हुई थी। वर्ष 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी के विजन से और राजकुमारी अमृत कौर के विजन से अमेन्डमेंट, 1956 आया था कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहने देंगे और इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी रहने देंगे। वर्ष 1956 से वर्ष 2000 तक इसमें छः बार संशोधन हो चुके हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें भविष्य में संशोधन नहीं किए जा सकते थे। यह सही है कि *एमसीआई का पूर्व अध्यक्ष बहुत ही भ्रष्ट था। उसे हर हालत में जाना चाहिए था। पिछले साल किसी ने भी इस पर एतराज नहीं किया था। पर, इससे क्या एक चुनी हुई ऑटोनोमस बॉडी भी खत्म हो जाती है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नाम हटा दीजिए।

डॉ. संजय जायसवाल : ए.आई.सी.टी.ई के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो क्या आपने ए.आई.सी.टी.ई. खत्म कर दिया? सेबी में करोड़ों का घोटाला पाया गया तो क्या आपने सेबी को खत्म कर दिया? एक मंत्री ने दूरसंचार विभाग में लाखों-करोड़ों का घोटाला कर दिया तो क्या आपने दूरसंचार मंत्रालय खत्म कर दिया? क्या आपने श्री सुरेश कलमाड़ी के कारण भारतीय ओलम्पिक संघ को खत्म कर दिया? ...(व्यवधान) तो फिर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्था को खत्म करने का आपको क्या हक़ था?

---

* Not recorded.

सरकार ने एक तरफ तो बिल को नाम दिया है एन.ए.आर.एच. फॉर एच.आई.बी.ए.। यह एक अज़ीबोगरीब नाम है। इसको पढ़ने में भी दिक्कत है। इसी के बहाने हर बार वे लोकसभा और राज्य सभा में बच जाते हैं कि हम इस बिल को लाने वाले हैं। लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी भ्रष्टाचार है। वहां इससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपकी सरकार एक साल से बिल्कुल चुप बैठी है। वह इस पर एक शब्द भी नहीं बोलती है। यह ठीक है कि पूर्व अध्यक्ष * बहुत भ्रष्ट था, आपने उसे हटा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिए।

डॉ. संजय जायसवाल : एम.सी.आई. का पूर्व चेयरमैन बहुत भ्रष्ट था। इसलिए आपने उन्हें हटा दिया। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन, पिछले साल जो आपने छः गवर्निंग बॉडी के मेम्बर खुद चुने थे, उन सबको क्यों हटा दिया? क्या वे भी एक साल में बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे या बहुत ज्यादा निकम्मे थे? क्योंकि पिछले साल आपने ही उन्हें चुना था और इस साल सभी को हटा देते हैं। क्या एक को भी आप इस लायक नहीं समझते हैं कि उसे दोबारा रखा जाए? मंत्री जी यह बताएं कि उसमें क्या मामला था? आई.एम.सी. (अमेन्डमेंट) बिल, 2010 में जो क्लॉज है, उसमें आपने ही यह लिखा है। इस बिल को मैं उद्धृत करता हूं कि "the Central Government shall by notification in the official Gazette constitutes the Board of Governors which shall consist of not more than seven persons as its members who shall be persons of eminence and of impeccable integrity in the field of medicine and medical sciences" आप की ही तरह मैं भी जोर देकर कुछ शब्द बोल रहा हूं- 'eminence and impeccable e integrity in medical sciences' हिन्दुस्तान में मेडिकल एजुकेशन का मतलब है एम.बी.बी.एस. कोर्स, एम.डी. कोर्स, एम.एस. कोर्स इत्यादि। माननीय मंत्री जी ने कैसे लोगों को इस बार चुना है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। डॉ. के. के. तलवार को चुना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। इन्होंने डॉ. के. एस. शर्मा को चुना है, ये टाटा मेमोरियल अस्पताल में एनेस्थीसिया में काम करते हैं। इन्हें एम.बी.बी.एस. पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। डॉ. पुरूषोत्तम लाल को चुना है। ये भी कॉरपोरेट हॉस्पीटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस., एम.डी. और एम.एस. कोर्स को इन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। ये सब कॉरपोरेट हैं।

* Not recorded.

एच.एस. रिसम को चुना है, ये भी मेक्स हर्ट इंस्टीट्यूट, एस्कोर्ट्स में, बत्रा होस्पिटल में अटेच्ड हैं। किसी मेडीकल कॉलेज के किसी एमबीबीएस, एमएस, एमडी को नहीं पढ़ाते। आपने डॉ. राजीव चिंतारमण को चुना है, यह एमिटी इंस्टीट्यूट में हैं। इसका कोई मेडीकल कॉलेज नहीं है, ये किसी भी मेडीकल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। आपने उन छ: लोगों को हटा कर इतने बढ़िया लोगों को चुना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये कैसे चुना गए, यह भी मैं आपको बता देता हूं। जब पिछली बार आपने एमसीआई को खत्म किया और दूसरी जो टीम बनाई, उसमें आपने कह दिया कि अब एमएस, एमडी और डीएनवी की डिग्री बराबर होगी। डीएनवी की डिग्री किसी मेडीकल कॉलेज में नहीं होती है, वह प्राइवेट अस्पतालों में पढ़ाई जाती है। अब एमडी एमएस के बराबर डीएमवी हो गई तो प्राइवेट कार्पोरेट अस्पताल, जो डोनेशन के मेडीकल कॉलेज हैं, उसी तरह से ये भी डोनेशन ले रहे हैं और पास कराने में भी डीएनवी में आराम से पैसे देकर पास करा रहे हैं। आपने एक शिखंडी को रख दिया, यह कह कर कि एमडी एमएस और डीएनवी सब बराबर होता है। एमबीबीएस का कोर्स सचमुच में मेडीकल का कोर्स है, चेयरमैन को छोड़ कर उसके एक भी व्यक्ति को आपने नहीं चुना। आपने जो यह टीम चुनी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि अमेटी ने पहली बार अपना पैरा मेडीकल कोर्सेस भी शुरु कर दिया है और जल्दी ये पांचों अपना-अपना कार्पोरेट मेडीकल कॉलेज खोल देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है - ''करेला पर नीम चढ़ा।'' उसी तरह से इसी परम्परा का हैल्थ मिनिस्ट्री ने पालन किया। सैक्रेट्री के रूप में आपने एक ऐसी महिला को चुना है, आपने नाम लेने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ...*...(व्यवधान) उन पर वॉयोलेशन ऑफ रिक्रुटमेंट रूल्स का एलिगेशन है। सीबीआई इन पर करप्शन चार्जेस की जांच कर रही है और हैल्थ मिनिस्ट्री के अंडर सैक्रेट्री भी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं कि ... के पास सैक्रेट्री बनने का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह नाम डिलीट कर दें। आप सैक्रेट्री बोलिए।

डॉ. संजय जायसवाल : ठीक है सर। सैक्रेट्री बनने का दस साल का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसे ये फुलफिल नहीं करती हैं। उसके बाद आपके यहां क्लियर कट नियम है कि एप्रूवल बॉय एपाइंटमेंट कमेटी ऑफ केबिनेट के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि सैक्रेट्री का जो लेवल है, वह ज्वाइंट सैक्रेट्री के बराबर है। इसका एपाइंटमेंट कमेटी ऑफ केबिनेट द्वारा होना चाहिए था, इसे क्यों नहीं इनके द्वारा किया गया, यह भी मैं मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा। सन् 2010 के एमसीआई बिल को लोक सभा में पिछले साल बिना डिसकशन के पास कर दिया गया था। इसे उस समय हल्ले में पास कर दिया गया था और उसके बाद

* Not recorded.

लोक सभा में जो हुआ, वह भी बहुत दुखद था। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। इसका डिसकशन 26-8-2010 को राज्यसभा में हुआ था। मंत्री जी ने 16 पेज का भाषण दिया था। मंत्री जी का राज्यसभा का भाषण बहुत लम्बा था। इसमें पहले 14 पेजों में एमसीआई (अमेंडमेंट) बिल के बारे में एक शब्द भी नहीं था। इसे मैं सभा पटल पर रखने जा रहा हूं। 15वें पेज पर इन्होंने एक बात लिखी है, उन्होंने जो लिखा है मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि यह एक मुकम्मिल बिल नहीं है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, यह मेरे पास है। 15वें पर इन्होंने कहा कि यह मुकम्मिल बिल नहीं है, 16वें पेज पर इन्होंने कहा है, उसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं, यह 26-8-2010 का है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो नया बिल आएगा, उसे हम अगले सत्र में यहां सभा पटल पर रखेंगे। उस वक्त हमारे जितने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी आशाएं एवं आकांक्षाएं पूरी करेंगे। उसके बाद यह स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, वहां हमारे एमपीज़ होंगे। अमेंडमेंट में एक चीज देखी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रजंटेटिव हो।

सर, कोई भी शक्ल में अगला बिल आए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रजंटेटिव होंगे। यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह बिल पास किया जाए।...(व्यवधान) यह एक साल पहले आपने दिया था।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, वह बिल अभी आया ही नहीं, अभी तो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। एमसीआई में जो एक साल के लिए बढ़ा था, उसे एक साल के लिए और बढ़ाया था। मैं जो बिल की बात कर रहा हूं, जो कॉम्प्रीहेंसिव आएगा, वह अभी आया ही कहां है।

डॉ. संजय जायसवाल : आपने वायदा किया था कि अगले सत्र में आएगा।...(व्यवधान)

मुझे यह बता दिया जाए कि अगला सत्र अगली लोक सभा, 16वीं लोक सभा या इसी में अगले सत्र में आएगा।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अगर आपने मेरा भाषण पूरी तरह से सुना होता तो मैंने अपने भाषण में उस वक्त कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे। या तो इसको भंग किया जाये, या हम वेट करेंगे, इन्तजार करेंगे, जो नया बिल आयेगा। लेकिन नये बिल की क्या रूप-रेखा है, वह उस वक्त हमें मालूम नहीं थी। जब मालूम हुई कि इसमें हिन्दुस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लेना है, मैडीकल कालेजेज़ को ऑन बोर्ड लेना है, प्राइवेट कालेजेज़ को भी लेना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी चर्चा करनी है। स्टेट गवर्नमेंट्स से भी चर्चा करनी है। स्टेट गवर्नमेंट्स से जब हम चर्चा करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एकाध स्टेट से ही पूरे 6 महीने उनसे ही मीटिंग करने में लग गये और जब स्टेट्स से आप चर्चा करते हैं तो आपकी मर्जी के अनुसार या मेरी मर्जी के अनुसार रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जिस

तरह की हमारी डैमोक्रेसी है। जो हम सोचते थे कि एक साल में बनेगा, वह एक साल में नहीं बना। ये आएंगे, उसके बाद सेमीनार हुए। उसके बाद रीजनल कंसलटेशंस हुए, वाइस चांसलर्स के साथ कंसल्टेशंस हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशंस हुए, वह लम्बा दौर लगा और अब पिछले 6 महीने से वे तमाम कंसल्टेशंस खत्म हो गये हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी हैं, खास करके एच.आर.डी., जिसके बारे मे बड़ा पेपरों में छपा, शायद आपने नहीं पढ़ा। एच.आर.डी. एक परिवर्तन चाहती थी, हम दूसरा परिवर्तन चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी मिनिस्ट्रीज़ से भी चर्चा करनी थी। अब हमारी तरफ से बिल तैयार है और लॉ मिनिस्ट्री को गया है। लॉ मिनिस्ट्री में जो इंटर मिनिस्टीरियल प्रोब्लम्स थीं, एच.आर.डी. और हैल्थ मिनिस्ट्री की, वे सार्ट आउट हो गये हैं। वह कैबिनेट में पास हो कर आ जायेगा, लेकिन मैंने अपनी स्पीच इसीलिए लम्बी की कि वह क्यों नहीं आया और क्यों हमें एक साल और एक्सटेंड करने की और जरूरत पड़ी।

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय मंत्री महोदय, मैं कोई अपनी तरफ से भाषण नहीं दे रहा था। आपने राज्य सभा में जो भाषण दिया था, मैं वही पढ़ रहा था।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं।...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : वह ठीक है, लेकिन, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला था, जो आपने पढ़ा, वही मैं पढ़ रहा था।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैंने उसको क्लियर भी किया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आसन की ओर देखकर बोलें।

डॉ. संजय जायसवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद। उसमें आपने राज्य सभा में कहा था कि अगले सैशन में और अभी आपने लोक सभा में कहा कि चार से 6 महीने में।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: और लग सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : अब आपकी लोक सभा में आप अपनी कही हुई बात को मानिएगा या राज्य सभा में कही बात बात को मानिएगा?...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैंने आपको परिस्थिति बताई।

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में बात नहीं। कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

डॉ. संजय जायसवाल : दो साल के लिए बढ़ाएंगे। हम इनको देखकर बोल रहे हैं। यह 2005 की जो इन्होंने बात की थी, यू.पी.ए.-वन की सरकार में माननीय उस समय के मंत्री जी भी बिल लाये थे। स्टेंडिंग कमेटी में भी इन्हीं की मैजोरिटी होती है। जिसकी सरकार होती है, स्टेंडिंग कमेटी में उसी की मैजोरिटी होती है, विरोधी दलों की मैजोरिटी नहीं होती। उसके बाद भी थोरोली उस बिल को रिजैक्ट कर दिया गया।...(व्यवधान) उसमें चेयरमैन भी हमारे नहीं थे, चेयरमैन भी आपके थे। उसमें अमर सिंह जी, जो चेयरमैन थे, इसलिए आज इससे मत पलटिये कि चेयरमैन आपके नहीं थे। उस समय चेयरमैन भी आपके थे, स्टेंडिंग कमेटी भी आपकी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइये।

डॉ. संजय जायसवाल : 2005 में आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने रिजैक्ट किया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध होगा कि जब भा आप कुछ बोलिये, यहां पर फिर आपने 4-6 महीने की बात कर दी और बिल में आप दो साल का पीरियड बढ़ा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि *

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम मत लीजिए, आपको बोल दिया है न।

डॉ. संजय जायसवाल: मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो * और भ्रष्टाचार की गंगा बहाते थे, वह अब दूसरे लोग बहाना चाहते हैं, आप उसके लिए मदद कर रहे हैं। उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आपके एम.सी.आई. में दो डिप्टी सैक्रेटरी थे।* इन दोनों का स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल साफ-साफ पकड़ लिया गया। उसके बाद जस्टिस एस.के. महाजन की कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील की कमेटी बनाई गई। उन्होंने 90 परसेंट अपना काम खत्म कर लिया था और इस स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट देने वाले थे।

लेकिन जैसे ही आपने नयी कमेटी बनायी, वैसे ही जस्टिस एस. के. महाजन की कमेटी को खत्म कर दिया। उसके बदले कोई दूसरी कमेटी भी आपने नहीं बनायी। वे दोनों आज भी एमसीआई में डिप्टी सेक्रेटरी हैं और आराम से मजे मार रहे हैं जो कि स्टिंग आपरेशन में पकड़े हुए हैं। पूरी दुनिया भारत के डाक्टर्स का लोहा मानती है। आप कहीं भी जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, तो पता चलेगा कि आप इंडियन डाक्टर से ही इलाज करा रहे हैं। आपने जो पिछली कमेटी बनायी थी, उसने विजन 2015 ऐसा दिया ...(व्यवधान) लगता है कि हिंदुस्तानी डाक्टर्स जो इतने सालों तक पढ़े हैं, सब बेकार पढ़े हैं। यह जो छः लोग बिना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने एक विजन 2015 निकाला और ऐसा निकाला कि लगा कि सारे डाक्टर, चाहे अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कहीं भी जाइए, सबसे बढ़िया अस्पताल में जाइए, 90 परसेंट चांस है कि आपका इलाज करने वाला डाक्टर भारतीय होगा, लेकिन वह सारी पढ़ाई

* Not recorded.

बेकार है। अब जो पढ़ाई वे लोग विजन 2015 में करेंगे, जो पूरा स्टैंडर्ड कोर्स है, उसको खत्म करके चार साल का कर दिया, एफएमटी जैसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, गांव में अगर डॉक्टर जाकर पोस्टेड होता है तो वह इंजरी रिपोर्ट ही नहीं दे पायेगा क्योंकि आपने इंजरी रिपोर्ट का सब्जेक्ट हटा दिया। वह कैसे कोई मैडिकल लीगल काम करेगा? जो डैमोक्रेटिकली इलेक्टिड नहीं है, वह विजन दे रहा है, जो डैमोक्रेटिकली सिलेक्टेड है, 100 लोगों की कमेटी से है, वह विजन नहीं देती है। आपके यहां भोरे कमेटी में, नियम है कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल कॉलेज का एप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बिहार में 9 करोड़ 20 लाख की आबादी है, वहां प्राइवेट और सरकारी मिलाकर नौ मेडिकल कालेजेज हैं, जबकि चार मेडिकल कालेजेज के लिए बिहार सरकार रोज विनती कर रही है। मेडिकल कालेज खोलने की परमीशन देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी का है। बिहार के लिए चार कालेजेज का आर्डर नहीं देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रदेश पुदुचेरी है, जिसके लिए नौ मेडिकल कालेजेज खोलने की परमीशन इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। ...(व्यवधान) बिहार और उत्तर प्रदेश में रूरल डाक्टर कैसे नहीं आएंगे? आप यहां परमीशन नहीं दीजिएगा, लेकिन पुदुचेरी की पांच लाख की आबादी के लिए नौ मेडिकल कालेजेज खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि परमीशन देने की पॉवर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि किस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुले। ...(व्यवधान) एमसीआई तो उसके बाद देती है, इनीशियल परमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ...(व्यवधान) मेरा यही कहना है कि इस संस्था को डेमोक्रेसी संस्था को बहाल कीजिए। बहुत हो चुका है, हर डेमोक्रेटिक संस्था जो आपके विरूद्ध है, वह गलत है, जो कहती है, वह गलत है, कोई आदमी आंदोलन करता है, तो वह गलत है। सब लोग गलत हैं और आप सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी संवैधानिक संस्था है, उन सभी को बहाल कीजिए। जो भी नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, उनको भी बहाल कीजिए और इस कमेटी को वापस बहाल कीजए। मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। जो आपने कहा कि एमसीआई प्रेसीडेंट दो साल से ज्यादा का नहीं होगा या तीन वर्ष जितने का भी हो, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स लिमिटेड हों, यह सब बहुत अच्छी चीज है। माननीय अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं हम चाहेंगे आप भी ऐसा करें, लेकिन आप एक साल का extention करिए, फिर दो साल का करने जा रहे हैं। उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। वर्ष 2014 बीत जाएगा। आप राज्य सभा में कहे, आज उसे रिफ्यूज कर गए। अभी आपने लोकसभा चार से छः महीने कहा, वह भी आप रिफ्यूज कर गए। कम से कम एक फाइनल हमें बताइए कि कब इसकी डेमोक्रेसी फिर से बहाल होगी। हमेशा संस्थायें जो डेमोक्रेटिक हैं, जवाहर लाल नेहरू जी का विजन था, जिसे वर्ष 1956 में उन्होंने दिया था कि एमसीआई बहाल हो, जवाहर लाल नेहरू जी का विजन

था कि हिंदुस्तान में एमबीबीएस डाक्टर्स और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर्स, झोलाछाप डाक्टर्स दोनों नहीं चल सकते हैं। वर्ष 1950 में जवाहर लाल नेहरू ने आरएमपी की डिग्री बंद कर दी कि हमारे देश में झोलाछाप डाक्टर्स नहीं चलेंगे। हम अपने यहां गरीब मरीजों का इलाज दो तरह के डाक्टर्स से नहीं करा सकते हैं। आज सरकार को न जाने नेहरू जी के विजन से क्या दुश्मनी है कि उनके आरएमपी के विजन को भी पलटने के लिए सरकार परेशान है, एमसीआई के विजन को भी, पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री और जो जवाहर लाल जी का विजन था, क्या वह पूरा गलत था और क्या अभी सही है? कृपया करके मंत्री जी इसके बारे में बतायें, धन्यवाद।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हालांकि यह सिर्फ एक जो प्रोमलगेशन आया था और जिसमें एमसीआई को खत्म करके एक आर्डिनेंस के तहत उसे एक काउंसिल ऑफ गवर्नर्स के अधीन ले लिया गया था। जहां एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना था, जहां छह मेंबर्स थे, उसे एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी आज इस सदन में इसे लेकर आये हैं कि इसे हम एक साल के लिए और एक्सटेंड करना चाहते हैं। मेरी पहली उम्मीद यही है कि यह शायद पहला और आखिरी एक्सटेंशन होगा। इसके बाद मंत्री जी जो रेग्युलर इनएक्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, चाहे वह ओवरआर्चिंग काउंसिल का हो या ओवरआर्चिंग कमीशन जो बनाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन इन ह्युमैन रिर्सोसिंग हैल्थ के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले अब कोई दूसरा एक्सटेंशन मंत्री जी इस सदन में नहीं लेकर आयेंगे। ताकि इस सिस्टम को रिस्टोर किया जा सके। मेरे कलीग ने अभी बोला था कि एमसीआई एक डेमोक्रैटिक टाइप की ऑरगनाइजैशन थी जिसे सरकार द्वारा भंग कर इसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को दे देना एक अनडेमोक्रैटिक डिसिजन था। इस संबंध में मैं अपने परम मित्र को कुछ बताना चाहूंगी कि लास्ट टाइम जब यहां पर एमसीआई पर डिस्कशन होने वाला था तब लोकसभा में हंगामा हो गया था और वह डिस्कशन हो नहीं पाया था और जिस तरीके से पास हुआ था वह बहुत कन्विन्सिंग तरीका नहीं था। जब ऑर्डिनेंस ले कर आए थे उसको पार्लियामेंट में रेक्टफाइ कराना चाहते थे। जिस प्रिसीडेंट की यह बात कर रहे हैं उन्होंने एकछत्र बीस साल एमसीआई पर राज किया। जब उनको 22 अगस्त 2010 को दो करोड़ रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, तब उन पर ऐलिगेशन यह था कि आठ करोड़ रूपये लेकर पंजाब में एक मेडिकल कॉलेज को वे अप्रूव करने वाले थे और यह उसकी एक किश्त थी अलेजेड्ली दो करोड़ रूपये। यह वर्ष 2000 के बाद लगभग वर्ष 2002 की बात है जिस समय एमसीआई के अंदर इलेक्शन हुए थे। इन्होंने भी चुनाव लड़ा था। 73 वोट्स में से 69 वोट्स सेड प्रिसीडेंट को मिले थे और कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेन्स ली थी और कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें एकतरफा वोटिंग होना अपने आप में यह दर्शाता है कि किस तरह का कंट्रोल उस प्रिसीडेंट का उस बॉडी के ऊपर रहा था। वह नए मेडिकल कैरिकुलम डिजाइन करे, उनके स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करे, नए मेडिकल कॉलेजों को अप्रूवल दे, डिग्रीज को अप्रूवल दे। मेडिकल कालेजों को रिकॉग्नाइज करे और उसको डिरिकॉग्नाइज करने की जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई थी, इसका अंदाजा हमें आज नहीं है। माना कि उनके ऊपर मुकदमें चलाए गए, सीबीआई ने रेड डाल दी। आगे भी न्याय होगा, इस मुद्दे पर मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आज की वास्तविक स्थिति यह है कि जिन मेडिकल कॉलेजों को उन्होंने एप्रूव किया, उन्होंने बीस साल के अंदर 60 मेडिकल कॉलेज जिसमें लगभग सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, को एप्रूव किया, वहां पर सेकेण्ड ग्रेड स्टुडेन्टस आज

डॉक्टर बन कर निकल रहे होंगे और न जाने कितने आगे निकलेंगे? न जाने वे कितने समय तक अपनी पुअर क्वालिफिकैशन की वजह से, पुअर प्रैक्टिसेज की वजह से कितने लोगों की जान लेंगे, इस बात का अंदाजा आज भी हम नहीं लगा सकते और आने वाले समय में भी इसका एक्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वे रहते-रहते कितना नुकसान करेंगे । इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में एथिक्स कमेटी की एमसीआई की जो मीटिंग हुई थी उसको बिना कारण बताए दूसरी दफा एडजॉर्न करना पड़ा। पहली दफा उसे एडजॉर्न करने से पहले गुजरात मेडिकल काउंसिल को एमसीआई के एथिक्स कमेटी ने उन्हें हिदायत दी थी कि इन पर एक्शन लिया जाए। ये जो बंदे हैं इनके ऊपर कुछ एक्शन लो। इनकी डिग्री लेने का जो काम है वह करो। गुजरात मेडिकल काउंसिल ने उसके लिए साफ मना कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनका कितना शिकंजा था। हमारी मायथोलॉजी में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह बात ब्रह्मा जी और विष्णु जी के डिपार्टमेन्ट के पार जा चुकी थी। महेश जी के आने की बारी थी, जब तक इसको शुरु से सफाया न किया जाए और दुबारा रिसेलेक्ट न किया जाए तो मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल कॉलेजों के एथिक्स का डॉक्टरों के ऊपर एमसीआई की जो ऐक्चुअल मेन्डेट थी वह काम कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए नई इनैक्टमेंट ले कर आने तक यह व्यवस्था की गई है। जहां पर बोर्ड ऑफ गवनर्स आए उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए थे। पिछले बोर्ड ऑफ गवनर्स ने जो एक बहुत बढ़िया डिसिजन लिया जिसमें कोर्ट ने उनको सपोर्ट किया था कि एक कॉमन एन्ट्रेन्स टेस्ट होना चाहिए जिससे हम मेडिकल एजुकेशन को स्टैन्डर्डाइज कर सके, यह सारे मेडिकल कॉलेजों के लिए था, पर आज भी एक या दो स्टेट्स हैं जो अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करना चाहते हैं। इसलिए वे उस को रिफ्यूज करते रहे। पर कोर्ट ने इस चीज के आदेश आज भी दे रखे हैं कि अगली दफा जब मेडिकल एंट्रैन्स होगा उसके अन्दर एक नेशनल एन्ट्रैन्स टेस्ट लिया जाएगा। जहां पर कॉमन एन्ट्रैन्स टेस्ट की बात आती है तो एक चीज और आती है कि वह बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। अब बात आई कि उसे एक साल के लिए एक्सटेन्ड क्यों करना पड़ा? वह एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि आप को पूरे देश में जो कैरिकुलम है वह कैरिकुलम आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा ताकि आप एक कॉमन एन्ट्रैन्स इग्जाम ले सकें। वह एक इतनी ह्यूज एक्सरसाइज़ होगी। कौन सी एजैंसी ऐसी है जो पूरे देश में एक ही दिन, एक ही समय पर कॉमन ऐंट्रैंस इग्ज़ाम ले सके। उसके लिए भी उन्होंने चिन्हित किया था कि सीबीएसई के पास कैपेसिटी है कि वह दस लाख बच्चों के इग्ज़ाम एक साथ ले सकती है। उन्हें करिकुलम रीडिज़ाइन करने का जिम्मा सौंपा गया था ताकि अगली बार जब इग्ज़ाम हो तो वह कॉमन ऐंट्रैंस इग्ज़ाम ले सकें। इतना कुछ गलत चल रहा था कि एक साल में कोशिश करने के बावजूद भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसे करैक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए सदन में एक साल की एक्सटैंशन मांगी गई है।

संजय जी ने जो एक मुद्दा उठाया, वह जरूर मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। उन्होंने एक ऐलिगेशन लगाया जिसे हम अपने तरीके से कहें तो वह पॉज़िटिव भी हो सकता है। आज की तारीख में जो पांच बोर्ड ऑफ मैम्बर्स बने हैं, जिन छ: को हटाया गया, उन्हें हटाने का क्या कारण था, यह ऐग्जैक्टली मैं नहीं जानती, लेकिन जो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है, उसमें प्रोविजन है कि उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सात मैम्बर्स लिए जा सकते हैं। आज की तारीख में पांच ऐप्वाइटमैंट्स हुई हैं। मेरा मंत्री जी से कहना है कि हमारे देश में आज एक तरह से लगभग 52 प्रतिशत मेडिकल कालेज पब्लिक सैक्टर के हैं, 48 प्रतिशत मेडिकल कालेज प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं। एक तरह से थोड़ा लॉप साइडेड सा लगता है कि कम से कम तीन आदमी प्राइवेट सैक्टर से आ रहे हैं और बाकी दो लोग पब्लिक सैक्टर से आ रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो दो और स्लॉट्स हैं, उन पर अपनी तरफ से पब्लिक सैक्टर के अच्छे इमपैकेबल रिकार्ड वाले लोगों को जरूर ऐप्वाइंट करें ताकि हमें उनके एस्कपीरिएंस का फायदा मिल सके। कॉरपोरेट से आने से सिर्फ जिस चीज़ का खतरा मुझे महसूस होता है, पॉज़िटिव यह है कि वे सिस्टम में ऐफिशिएंसी लेकर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नेगेटिव दिखाई देता है, वह कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट है। संजय जी ने अभी जिन ग्रुप्स की बात की कि मैक्स ग्रुप, मैट्रो ग्रुप, एमईटी या सिमबॉयसेस आता है, उसमें यह बात जरूर सामने आती है कि मेडिकल काउंसिस ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी और है कि जो इथिक्स हैं, उन्हें भी वे डील करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट है और इससे सेफगार्ड करने के लिए मंत्री जी क्या प्रोविजन करेंगे, यह मैं उनके उत्तर में जरूर जानना चाहूंगी।

इसके अलावा हम यहां एक बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे सकते हैं। मंत्री जी को ध्यान होगा कि ब्रिटेन में इनकी इक्विलैंट काउंसिल जो जनरल मेडिकल काउंसिल कहलाती है, उस पर वर्ष 2000 में बहुत सीरियस ऐलिगेशन्स लगे थे, जैसे ऐलिगेशन्स हमारी मेडिकल काउंसिल पर लगे हैं। उनका कहना था कि पुअर क्वालिटी ऑफ डाक्टर्स की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है। सरकार ने इस चीज का बहुत सीरियस कौगनिज़ैंस लिया था और डिसाइड किया कि जो उनकी 24 मैम्बर बॉडी है, उसमें से लगभग आधे एज़ ले मैम्बर्स होंगे और 24 के 24 हमारी यूपीएससी के इक्विलैंट वहां जो बॉडी है, उसके थ्रू सलैक्ट होकर आएंगे ताकि उसमें पारदर्शिता रहे, कम्पीटैंस हों और वे लोग गवर्निंग काउंसिल की रैगुलेटरी बॉडी को मैनेज कर सकें। आज की तारीख में उन्होंने यह व्यवस्था कर रखी है कि ओवर आर्चिंग काउंसिल है जिसके नीचे 14 कमेटीज़ हैं और वे लोग इस मैनडेट को चलाते हैं कि मेडिकल एजुकेशन को स्टैन्डर्डाइज़ करें। किस तरह अच्छे डाक्टर आएं, नए कोर्सेज़ किस तरह बन सकें, नए मेडिकल कालेज को कैसे रिकगनाइज़ किया जा सके। मैं उसी तर्ज पर मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जिस दिन हम इस सिस्टम को

रीवैंप करने आएं तो ब्रिटेन वाले मॉडल से जरूर कुछ अपनाएं ताकि एक अच्छा रोबस्ट सिस्टम बना सकें, क्योंकि आज बहुत ही दयनीय स्थिति है कि टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, आपने नेशनल नर्सिंग काउंसिल, डैंटल काउंसिल की बात की। इससे पहले एमसीआई के पूर्व प्रैज़िडैंट पर इल्ज़ाम लगा। उससे नौ महीने पहले टेक्नीकल एजुकेशन की ऑल इंडिया काउंसिल के अधिकारियों पर भी इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तब उसे रीवैंप करने की जरूरत, वह एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता था, हैल्थ मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता था, लेकिन एक बहुत सीरियस कन्सर्न है कि जब तक हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन का स्टैन्डर्ड सैट नहीं करेंगे, आज हमारे डाक्टर्स की सारी दुनिया में इज्जत की जाती है, हमारे यहां से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उनकी सारी दुनिया में इज्जत की जाती है। इसका बहुत ही सीरियस नोट सारे मंत्रालयों को और सरकार को लेना चाहिए। इस बारे में कड़े कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। मै मंत्री जी से चाहूंगी कि अपने उत्तर में वे सदन को यह आश्वासन जरूर दें कि उस तरीके के कुछ कड़े कदम उठाने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब यह मुद्दा गया था, उस समय आप भी शायद मैम्बर नहीं थे। मैं भी उस समय नहीं थी, क्योंकि मैं पहली दफा सदन में आयी हूं। मैं सदन को एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय हैल्थ कमेटी के चेयरमैन अमर सिंह जी थे। जिस दिन वे रिटायर हो रहे थे, यानी उनकी टर्म खत्म हो रही थी, उस दिन आखिरी मीटिंग के बाद उनको फेयरवेल में लंच दिया जा रहा था। उस समय मेरा उनसे इंट्रक्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थीं। मैंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा था, इसलिए उस समय मैंने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, कमेटी ने ऐसी रिकमैंडेशन्स क्यों दीं? उन्होंने अपने कुछ तर्क बताये। मैंने फिर उनसे एक चीज पूछी थी, जिसे मैं रिकार्ड में लाना चाहती हूं। मैंने उनसे कहा था कि ठीक है सर, मैं अपना क्वश्चेन रीफ्रेज करती हूं और आपसे दोबारा यह पूछती हूं कि क्या * इस देश के इंटरस्ट में काम कर रहे थे? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : . यह नाम निकाल दिया जाये।

डॉ. ज्योति मिर्धा : आप उसे डिलीट कर दीजिए। ...(व्यवधान) उस समय उनका यह जवाब आया था कि नहीं। ...(व्यवधान) हां, बात करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। यदि सबको अलग तरीके से एड्रैस करना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी। ...(व्यवधान) आज उसका क्या स्टेटस है, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपने अमर सिंह जी से क्वश्चेन पूछा था, तो उनका जवाब क्या था?

...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : उनका जवाब था कि नहीं, वह देश के हित में काम नहीं कर रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं और पूरी उम्मीद करती हूं कि इसके बाद मंत्री जी हमारे बीच में एक और एक्सटेंशन लेकर नहीं आयेंगे, क्योंकि अबकी बार सारी पावर्स सैंट्रल गवर्नमैंट ने बोर्ड ऑफ गवर्नैंस से ले ली है। उनके एक्सटेंशन में खर्चे के बारे में जरूर आया है। इस बिल के आखिर में फाइनेंशियल मेमोरेंडम जुड़ा है। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ एलीगेशन्स पिछले बोर्ड ऑफ गवर्नैंस पर लगे थे? उनके टीए, डीए के एलाउंसेज थे, वे एक लिमिट के बियोंड जा रहे थे। इस वजह से उसे इसमें इनक्लूड किया गया है और इस बार क्या उसे लिमिट करने के लिए आपने प्रयास किया है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very much thankful to you for allowing me to participate on this important Bill concerning the common man.

I really appreciate the Government that it has come up with this Bill at a right time. The Medical Council of India is envisaged primarily as a recommendatory body. One of its objectives is to maintain standard in the medical education through curriculum guidelines, inspections and to grant permission to start colleges, courses or increasing number of seats.

Why I touched about the objective of the Medical Council of India was to bring to the notice of the Government that the country now, needs more than 100 medical colleges to fulfil the requirement of doctors. Many medical colleges in the country are facing acute shortage of faculty. I must thank the Government that it has realised the importance to implement various recommendations made in the past on the need for reforms in regulation of medical education in the country. I am sure that the Government will achieve its objective through this Bill.

Sir, many medical professionals in the country had expressed their view that the Medical Council of India has become a non-representative body with a gross disparity in the representation of Members from various States. There are sections of the medical fraternity like the Army, Indian Council of Medical Research that are under-represented. Moreover, in the MCI, there has to be a uniformity in representation of States. The new system would put an end to the overarching, extra-constitutional authority resting in the national policing body, courtesy which doctors enjoyed prolonged tenures, with Members serving even their fourth or fifth terms.

Sir, I stress that the terms of Members should be fixed for not more than two times; and each term should be of four years. Similarly, a provision of removal of the President as in the case of other important posts, has to be brought in. Members of both the Houses of Parliament should also be considered for the *ex-officio* posts. This well help to make the MCI more effective.

When we talk about an institution, which represents the health sector, it is of paramount importance to mention here about some problems relating to health sector in the country.

Today, health and education are the two sectors which are growing in a rapid manner keeping in view the hefty return involved in these two new found segments.

Today in every nook and corner of the country, we can see hospitals run by private sector sponsored by leading hospital chains as well as medium and small business groups. It is really a welcome step. I appreciate that by way of these hospitals we can certainly bring the pressure on the Government hospitals down. But at the same time, what I am surprised to find is that there are no regulatory bodies to keep a control on these hospitals run by the private sector. I have information that in one of the hospitals of Fortis, a patient was allowed to die due to cardiac arrest on the bed within the hospital, and it shows their inability, their carelessness and the quality of the doctors employed. That is why, I am demanding for a regulatory body to keep an eye on the hospitals in the private sector.

There should be something to take note of the reasons for large scale casualties in the private hospitals. There should be some analyzing method to ascertain why such large scale casualties are taking place in private hospitals. There should be some stipulation about the recruitment of doctors and other para-medical staff in private hospitals. There should also be some condition of pay and allowances to doctors/employees working in the private hospitals. Unless you have qualified doctors and staff with relevant qualification and experience, they cannot deliver the goods. We cannot allow the rising unwanted casualties in private hospitals. There should also be some stricture on the charges these private hospitals are charging from the patients. I hope the hon. Minister will take note of it and come with necessary action in this regard.

There is another most important thing which I consider very much relevant to say here when we debate on an issue concerning the health sector. According to a report, health expenditure at nearly five per cent of GDP is not enough considering the health problems the country is facing. Health is largely financed by the private sector. Whereas in a reply to my Starred Question No.238 on 12th March, 2010, the hon. Minister had admitted that the total public expenditure on health incurred by the Central and State Governments was around 1.1 per cent of GDP during the year 2008-09. Therefore, I urge upon the hon. Minister to put all his efforts to enhance the GDP on health sector keeping in view its demand as the hon. Minister is well aware that the chronic diseases related to heart, cancer, diabetics and kidney are on the rise as well as vector borne diseases like dengue, malaria, chikungunya, etc., all over the country. To fight both chronic and vector borne diseases, we need huge financial resources. Therefore, I urge upon the hon. Minister to pay special attention to it as the lives of the people of this country are in your hands.

With this, I support the Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी सम्मानित सदस्यों को मैंने सुना, हमारी कॅलीग मिर्धा जी ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत अच्छे सुझाव दिए। यह बात सत्य है कि मेडिकल काउंसिल को लेकर एक संशय सा हमेशा बना रहा। उसके भ्रष्टाचार पर हमेशा सवालिया निशान उठा। आज यह संशोधन विधेयक केवल समय बढ़ाने के लिए है, मुझे याद है कि इसी सदन में हंगामे के बीच बिल पास कर दिया गया था जबकि उस पर विस्तार से चर्चा होनी थी। भारतीय संविधान में यह प्रदत्त है कि सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन आज की स्थिति बहुत खराब है। डाक्टरों की कमी को लेकर यहां पर ज्यादातर बातें हो रही हैं। आज तमाम ऐसी नई बीमारियां जनित हो रहीं हैं, जिनसे मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। समय-समय पर सम्मानित सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखा है, उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल की स्थिति बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी इस समय नहीं बैठे हैं, हमेशा उन्होंने इस समस्या को उठाया है। अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि शहरों में 2000 व्यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 व्यक्तियों के पीछे केवल एक डाक्टर नियुक्त है। यही कारण है कि आज देश में मृत्यु दर बढ़ी है। जैसा अभी सुझाव दिया गया कि मेडिकल कालेजों में फैकल्टी कम है, उसे बढ़ाने से ही इस समस्या का समाधान सम्भव है। अगर फैकल्टी बढ़ती है तो कोशिश होनी चाहिए कि योग्य डाक्टरों की भर्ती हो। शिक्षक डाक्टरों को मैरिट के आधार पर लिया जाना चाहिए। उसमें कम से कम 16 वर्ष के अनुभव को और प्रोफेसर्स के लिए और तीन वर्ष के अनुभव को देखा जाना चाहिए। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में कम से कम शैक्षिक योग्य दस वर्ष हो, तब ही हम अच्छे डाक्टरों की खेप दे सकेंगे।

मंत्री जी ने बताया है कि दो वर्षों में फैकल्टी की संख्या वह बढ़ाने जा रहे हैं और विभिन्न मेडिकल कालेजों में 4,000 सीटें बढ़ाएंगे। आज देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में करीब साढ़े पांच लाख डाक्टर्स हैं और इतनों की ही और आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्रावधान करना होगा। एक आंकड़ा यह है कि दो वर्षों में 6,000 सीटें विभिन्न मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थानों में बढ़ाएंगे और फैकल्टी में एमडी की भी दस हजार सीटें बढ़ाए जाने की बात कही है। यह काफी कठिन कार्य है, इसके लिए आपको बजट की भी व्यवस्था करनी होगी और कड़ी मेहनत भी करनी होगी। जब फैकल्टी बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो एमबीबीएस की भी संख्या बढ़ेगी। इसलिए अनुभवी डाक्टरों को शिक्षण देकर निकालना होगा। आपने कहा है कि डाक्टर्स की कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। आपने एक बात और कही कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, और पहाड़ी इलाकों में डाक्टर्स की काफी कमी है, वहां बड़ी दिक्कत होती

है। मैदानी क्षेत्रों में भी, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र में जो टोटल ग्रामीण क्षेत्र है, डाक्टर्स जाने को तैयार नहीं होते और यही वजह है कि पीएचसी, (सीएचसी) में वे मौजूद नहीं रहते, क्योंकि वहां सुविधाएं मुहैया नहीं हैं। वहां जो डाक्टर्स होते भी हैं, रात को नहीं रुकते। आज स्थिति यह है कि गांवों में डाक्टर्स दस-पन्द्रह दिनों में एक दिन के लिए वहां जाते हैं बाकी दिनों में कम्पाउंडर काम करता है। इस वजह से जो अच्छी-अच्छी मशीनें हैं, वे पड़ी-पड़ी, रखरखाव के अभाव में, खराब हो रही हैं। यह स्थिति हमारे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की है।

मैं एक बहुत ही गम्भीर बात मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इलाहाबाद मेडिकल कालेज के एससी और एसटी छात्रों का एक डैलीगेशन अभी मुझसे मिला था। उन्होंने बताया कि जहां दूसरे छात्र चार-पांच साल में कोर्स पूरा करके निकलते हैं, फिर पांच साल हाउस जॉब करते हैं, डाक्टर बन जाते हैं, तो हम एससी और एसटी छात्रों को दस-दस साल में निकाल रहे हैं। जानबूझकर हमें प्रेक्टिकल में फेल कर दिया जाता है और वह भी आधे एक नम्बर या दो नम्बर से। इस देश का दुर्भाग्य है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने इस बात को शून्य काल में भी उठाया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे इस बिल पर चर्चा के समय उठाऊं या स्वास्थ्य विभाग पर कभी डिसकशन के समय उठाऊं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे गम्भीरता से लें। आज एससी और एसटी छात्रों के भविष्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो प्रोफेसर्स मंडली है, जो एक्जाम लेती है, उनके द्वारा ऐसा हो रहा है। क्या कारण है कि दस साल उन्हें लग जाते हैं, जबकि जनरल स्टूडेंट्स पांच साल में ही मेडिकल की पढ़ाई करके निकल जाते हैं।

15.00 hrs.

ये भेदभाव नहीं चलेगा, इसे आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा।

दूसरी बात जो सारे सदस्यों ने उठाई है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर जो तमाम सवालिया निशान उठाए हैं कि जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीबीआई की इंक्वायरियां चल रही हैं। *

इन्होंने भ्रष्टाचार की एक तरह से दुकान खोल रखी है। सीबीआई के अलावा जो जांच चल रही हैं उनमें उजागर हुआ है कि जबर्दस्त इसमें भ्रष्टाचार पर घमासान हुआ है और तमाम महंगे लैपटॉप, ब्लैकबेरी मोबाइल, अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को बिना केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के उन लोगों ने वहां पैसा खर्च किया है। आवागमन के लिए 30 लाख रुपये पर भी सम्मानित सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है।

* Not recorded.

मैं चाहूंगा कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे गंभीरता से आप देखें और स्वास्थ्य सुविधा हिंदुस्तान में बेहतर हो, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और जो छात्रों की बात मैंने आपसे कही है, उसे गंभीरता से लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): उपाध्यक्ष जी, आपने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, मैं उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डाक्टर साहब ने और उधर के माननीया डा.साहब ने भी अपनी बात रखी। हमारे माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार पर आकर अपनी बात को समाप्त किया है और मैं वहीं से अपनी बात शुरु करना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य ने इस परिषद् के गठित 6 सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त किया जाता है जो देश के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इससे बड़ा स्वास्थ्य से संबंधित और कोई विभाग हो नहीं सकता है और ऐसी फैकल्टी जहां हम डाक्टर का निर्माण करते हैं, जहां हम डाक्टर बनाते हैं, जिनसे देश की स्वास्थ्य सेवाएं हम लेते हैं और वहां अगर हम भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के संरक्षण में वह फैकल्टी चलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का बीज हम डालेंगे उसी तरह की पौध हमें प्राप्त होगी। वही डाक्टर वहां से निकलते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए लोगों के माध्यम से डिग्रियां पाते हैं। जब वे गांव या शहर में अपनी सेवाएं देने जाते हैं तो उनके ऑपरेशन के बाद मरीज घर आता है और महीने-दो महीने बात उसे फिर पेट में दर्द होता है और जब उसका एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि ऑपरेशन के वक्त उसके पेट में रुई छूट गयी थी, ऑपरेशन के वक्त इंस्ट्रूमेंट छूट गया, यह उस संस्थान से निकले डाक्टरों की योग्यता का एक प्रमाण है।

अब बात यह आ रही है कि स्वास्थ्य परिषद् के सदस्य ठीक होने चाहिए, वहीं एक दूसरा बिंदू भी है कि देश में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से ऐसी फैक्लटियां, संस्थान और यूनिवर्सिटियां भी खुलनी चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे राज्य जिनकी आबादी तो कम है वहां 9-9 संस्थाएं, फैकल्टियां खोलने की इजाजत दी जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है वहां संस्थानों की, डाक्टर्स की और स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों की जरूरत है, वहां आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है। चाहे यूपी हो, बिहार हो या अन्य पिछड़े प्रदेश हों, वहां भी आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि वहीं से डाक्टर्स निकलते हैं। आपने डाक्टर्स की कमी को माना है और आपने यह भी कहा कि अभी देश में 5.50 लाख डाक्टर्स हैं और उतने ही डाक्टर्स की कमी है। आपने कहा कि शहरों में दो हजार की आबादी के ऊपर एक डाक्टर है और गांव में 10 हजार की आबादी पर एक डाक्टर है। क्या गांव में लोग बीमार नहीं होते हैं, क्या गांव में बीमारियां नहीं आती हैं?

क्या गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए, क्या गांवों के लोग भारतीय नहीं हैं, क्या गांवों के लोग इन सुविधाओं से वंचित रहना चाहते हैं? आपका ध्यान गांवों की तरफ क्यों नहीं जाता है? क्या आप शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की ही चिंता करेंगे? भारत गांवों में बसता है। गांव का गरीब, गांव का मजदूर, गांव का मजबूर, इन लोगों को भी तो ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए।

महोदय, आज देश में झोला छाप डाक्टर बहुत ज्यादा हैं। इनकी सेवाएं लेना गांव के लोगों की मजबूरी है। जब आप उन्हें व्यवस्था नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वे इन झोला छाप डाक्टरों की सेवाएं लेने के लिए मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग भदोही, इससे सटे आस-पास के कई क्षेत्र, मैंने वहां की गरीबी को देखा है। वहां की बीमारी को देखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मलेरिया, टीबी या जो भी आधुनिक बीमारियां हैं, जिनके लिए ग्रामीण अंचलों में डाक्टर नहीं हैं या स्वास्थ्य की दूसरी सेवाएं नहीं हैं, उनके पास कोई यंत्र, संयंत्र या परीक्षण करने का कोई साधन नहीं है, आपका ध्यान वहां भी जाना चाहिए। इस परिषद को दो वर्ष की एक्सटेंशन देने की बात कह रहे हैं, वहीं अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे डाक्टर हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों और गांवों को डाक्टरों से परिपूर्ण कीजिए तथा गांवों के लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, तभी इस एक्सटेंशन का कोई मतलब होगा।

इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसकी स्थायी व्यवस्था की जाए, इसे आप कब तक बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों को देखते हुए परिषद का पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। एमसीआई में चारों तरफ लूट-खसोट मची हुई थी। पैसा ले कर जो कालेज पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते थे, उन्हें भी मंजूरी दे दी जाती थी। परिषद के अध्यक्ष के यहां सीबीआई के छापे के दौरान करोड़ों रुपयों की नगदी मिली। कई जगह मकान और प्लाटों के दस्तावेज मिले। लॉकर में सोना-चांदी मिला। इस कारण सरकार को अपराध की गम्भीरता एवं व्यापकता को देखते हुए परिषद को भंग करना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था चलानी थी। बिना परिषद के कामकाज नहीं चलता, इसलिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। ये ठीक बात है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कड़ा कदम उठाया। ये जरूरी था। अगर हम भ्रष्टाचार की जड़ में कड़ा प्रहार नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ये ढिलाई का ही नतीजा था कि एमसीआई में इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल गया।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कालेज है, उसमें दलित छात्रों के प्रति बेरुखी देखी जाती है। दलित छात्रों के लिए जो आरक्षण है, वह भी नहीं दिया जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एससी और एसटी छात्रों को उसमें नामांकन के लिए आरक्षण दिया जाए। जो दलित छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए जो प्रायोजित परीक्षा होती है, उसमें भी मनमाने ढंग से फेल कर दिया जाता है, जिससे कि वे छात्र दर-दर भटकते रहते हैं। चार साल की पढ़ाई के बदले छह या सात साल उन्हें पढ़ना पड़ता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि विषय की गंभीरता को देखते हुए सभी कालेजों में जांच कराने का काम करेंगे। जो एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, इन सभी के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं बिहार राज्य से आता हूं। हमारे बिहार में लगभग साढ़े नौ करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन वहां मेडिकल कालेजों की संख्या बहुत ही कम है। मैं मांग करता हूं कि समस्तीपुर, बेतिया और अन्य जगहों पर कम से कम दस मेडिकल कालेज खोले जाएं। नालंदा में भी मेडिकल कालेज नहीं है, वहां भी मेडिकल कालेज खोला जाए।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की स्थिति एमसीआई में थी, वैसी नहीं होनी चाहिए और अच्छे पदाधिकारी बहाल किए जाने चाहिए। गांवों में कोई डाक्टर जाना नहीं चाहता है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी भी लोग शहर में रहने का काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि गांवों में डाक्टरों को भेजने का काम करे और अच्छी पढ़ाई करके छात्र अच्छे डाक्टर बनें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, I would like to thank you for allowing me to speak on this very important Bill.

As is well-known, the Indian Medical Council Act, 1956 came into being to provide reconstitution of the Medical Council of India (MCI), and the maintenance of a Medical Register for India and for matter connected therewith. But, as we all know, the MCI has been mired into non-compliance of guidelines from time-to-time. There has been a case of granting parity of Diplomat of National Board Degree to MD/MS Degree by the MCI, which MCI has not complied with. This had happened in December 2010.

15.11 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

I would like to bring certain important facts before the hon. Minister, which have drawn the attention of everyone in the recent past. We were expecting a vision document by the MCI as it is long overdue. By bringing out this important document, we would come to know as to what are the objectives of MCI in the current scenario, and whether any amendments have been brought about in the MCI guidelines.

In spite of the claims of MCI, there seems to be lack of transparency and accountability in the functioning of the premier institution. This Bill too envisages that MCI would be bringing in transparency and accountability in its functioning. I hope that renewed efforts would be made to ensure that transparency and accountability is in place, in letter and spirit, in the MCI in the days ahead. The MCI, an apex body in the Indian medical arena, is supposed to look after the premier work proceedings of one of the most important area, that is, health. They should be duty-bound enough, and understand that their contribution to the nation is of great importance.

IMA is the largest non-Governmental organization of the medical practitioners in the country. MCI is a body that truly represents the members of the medical community. In a way, I can say that it is very important that for efficient working of any professional body its autonomy bears utmost importance. This will instill confidence among the medical professionals and the society. It represents the voice of the medical practitioners from all over the country.

I would request the hon. Minister to give some power to the functioning of the MCI in a manner beneficial for the medical community, and the general public. I hope that transparency and accountability would be in place in letter and spirit. However, I want to know the guidelines for selection of the members of the Board of Governors. With these words, I conclude my speech.

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the chance to speak on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011. The way the Medical Council of India was dissolved was not a democratic process, and it is an attack on the autonomy of the institute. So, I oppose the Bill.

The then President of the Medical Council of India was arrested on 22nd April, 2010, and the Parliament was in Session at that time. The Government should have taken the Parliament into confidence before dissolving an autonomous body formed under an Act of Parliament.

It is well-known that there was rampant corruption in the then Medical Council of India. The same person was removed from office by order of the Delhi High Court in the first part of this decade. However, as CBI gave him a clean chit, he was reinstated. My question is this. Why did the Government take so much of time to take the corrupt people in the MCI to task? I am not pleading for him as corruption is corruption, and it must be removed.

Clause 3A (4) of the Amendment indicates that : "The Central Government shall, by notification in the official Gazette constitute the Board of Governors which shall consist of not more than seven persons as its members, who shall be persons of eminence and of unimpeachable integrity in the fields of medicine and medical education."

Earlier, the Board of Governors was headed by Dr. S.K. Sarin, and now the Board of Governors is being headed by Dr. K.K. Talwar. हमने इसमें देखा कि बोर्ड आफ गवर्नेंस एक साल के लिए है लेकिन इसे एक्सटेंड करने जा रहे हैं। दूसरे बोर्ड आफ गवर्नेंस में डॉक्टर कहां से आते हैं?

May I know how the members of the Board of Governors are selected? What is the criterion? Do they fulfil the criterion? Most of them are coming from private medical colleges and also from the corporate sector, and some of them have a controversial history.

Now, I wish to stress that in the present Bill, there is no representation from the States. As it is, the State has a responsibility. There should be representatives

from each State. Otherwise, it will be a violation of the federal principle and it will be injustice to the States.

Under the Act of 1956, the Medical Council of India is to make recommendations to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, regarding granting permission/recognition to the medical colleges. One of the provisions of the Bill, clause 3 (b) has made a serious departure having a very prejudicial effect on this mechanism. It is shocking that the Board of Governors have also been vested with and given the official authority by the Government of India to issue orders for permission and recognition of medical colleges. The mechanism of counterchecking by the Government of India in regard to the recommendation made by the Medical Council of India has completely been eliminated. There should be some mechanism for counterchecking.

I agree that there should be some stringent mechanism to check corruption in the Medical Council of India. At the same time, there is a need to not only secure but also strengthen the autonomous character of the institution of Medical Council of India. Corrective measures, proper checks and balances within and outside MCI, ensuring sincere, efficient, public-minded healthcare professionals at the helm, will restore dignity to the MCI and enable it to function in a clean, transparent and accountable manner. Then it will ensure that the country produces maximum number of best doctors who not only serve in the rural/urban areas of the country but also abroad, bringing fame and glory to our country.

There are a total of 314 medical colleges in the country. Out of 314 medical colleges, 199 medical colleges with an annual admissible capacity of 17,382 students are in the Government sector, and the rest 165 medical colleges with an annual admissible capacity of 19,645 students are in the private sector. I would like to know why the Government is allowing more private medical colleges in this sector.

I demand that more Government colleges be established in my State. Already MCI recommended to start the colleges immediately.

MR. CHAIRMAN : Hon'ble Member, please conclude.

SHRI PULIN BIHARI BASKE : I also request that budgetary allocation should be made for the colleges. Thank you for allowing me to speak.

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, मुझे इस पर बोलना नहीं था, चूंकि यह कोई नया बिल नहीं आ रहा है। यह पुराना रिपिटीशन है, सरकार ने जो कमेटी बनाई है, यह उसका विस्तार, एक्सटैंशन है। इसलिए मंत्री जी को इसकी इजाजत लेने के लिए हाउस में आना पड़ा। मैं रूट में जाना चाहता हूं। एमसीआई का गठन, उद्देश्य, दायित्व और ड्यूटी यह है कि बेहतर शिक्षा हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो और प्रोफेसर्स कालेज में हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राइवेट कालेजों को इजाजत मिली, बहुत दिनों तक उनकी दुकान बंद थी, फीस भी निर्धारित हुई और डोनेशन भी तय हुआ। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी की जड़ यह है कि नये कालेजों को लगातार मान्यता मिल रही है, कालेज लगातार खुल रहे हैं, ठीक है खुलने चाहिए और शिक्षा को बांटना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार से लेकर अन्य राज्यों के बच्चे जो मैडिकल टैस्ट में फेल हो जाते हैं, नीचे आते हैं, प्राइवेट कालेज में उनकी एकोमोडेशन हो जाती है। इस मद में सारा पैसा पुणे, महाराष्ट्र में जा रहा है। इसमें प्रति बच्चे के हिसाब से 35-35 लाख, 40-40 लाख और 50-50 लाख रुपये वहां जा रहे हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जो हमारे पुराने मैडिकल कालेज हैं, जो सरकारी हैं या हमारे यहां पटना का मैडिकल कालेज हो या वहां के अन्य कालेज हों, उन सारे कालेजों पर भी हमेशा तलवार लटक रही है कि आपके यहां शिक्षक नहीं हैं, आपके यहां फैकल्टी भरी हुई नहीं है। आप इसे सुधारिये, नहीं तो हम आपके कालेज को डीरिकग्नाइज कर देंगे, वहां ऐसे कई कालेज हैं। इसके अलावा शिक्षकों में भी लड़ाई होती है, उनके सारे सीनियरिटी के मामले हाईकोर्ट में लिटीगेशन में लगे रहते हैं।

मंत्री जी मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आप आंख में आंख डालकर देखिये। यह ठीक है कि आपने इस मामले में कुछ किया नहीं है, आप एक्सटैंशन मांगने के लिए यहां आए हैं। लेकिन इसे जल्दी बनाइये, लेकिन यह ध्यान जरूर रखिये कि हम कालेज में शिक्षक कैसा रख रहे हैं। अभी शैलेन्द्र जी बोल रहे थे कि कालेजों में डाक्टर नहीं हैं, कहीं डाक्टर ठीक नहीं हैं, कहीं पर डाक्टरों को पीटा जा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे शिक्षक ठीक नहीं हैं और उनकी गुणवत्ता और अन्य चीजों को यदि एमसीआई नहीं देखेगा और वह क्लियरेन्स नहीं देगा तो हमारे छात्र कैसे होंगे और दवाई कैसे दी जायेगी। हमारे बिहार में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वहां अक्सर बीमारी होती है। अभी वहां बहुत से बच्चे मर गये। कुछ बच्चे मेनिनजाइटिस और कालाजार से मर गये। ऐसे में हमें बार-बार दिल्ली के पास गुहार करनी पड़ती है, आपको भी हमने गुहार की है। इन बीमारियों से जो बच्चे मरते हैं, वे कैसे ठीक हों, कौन डाक्टर लोकेट करे, कौन देखे, यह निश्चित होना चाहिए। आखिर कब तक हम उधार लेते रहेंगे।

हम एमसीआई के ऊपर कोई उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी दुधारू गाय बनी हई है और दुधारू गाय इसलिए बनी हुई है, क्योंकि मान्यता देने के समय पहला शोषण होता है। श्री जायसवाल जी कह रहे थे कि यदि सब ठीक-ठाक है तो एमसीआई बोलेगा कि लोग कैसे लेते-देते हैं, उसमें हम गवाह नहीं हैं।

दूसरी बात यह कही जाती है कि हमने यह-यह जांच की और इसमें यह-यह शार्ट है, आप अपने कालेजों में सुधार कर लीजिए। जैसे एनैटमी होनी जरूरी है। एनाटोमी में यदि मुर्दे की चीरफाड़ नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आपके एमसीआई से यह आदेश मिलता है कि आप साल-दो साल में सुधार दीजिए, नहीं तो आपको डीरिकग्नाइज करेंगे। वहां शोषण नम्बर दो होता है।

तीसरे शोषण के लिए तलवार लगी रहती है। फिर इसी चक्कर में लोग घूमते रहते हैं, इसी में सब कंट्रोवर्सी हुई है। इसलिए आप खूब अच्छी तरह से देखें कि हमारे शिक्षक कैसे हैं, उनकी डिग्री क्या है। एमसीआई का यह दायित्व होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह दायित्व है। लेकिन आप यह नहीं देख रहे हैं कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और फार्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जब आप एमसीआई को बनायें तो इसमें जो डोनेशन का खेल है, कितने बच्चे डोनेशन दे रहे हैं, वे डोनेशन कहां से लायेंगे। गरीब आदमी जिसका बच्चा पढ़ता है, सबके पास ब्लैक मनी नहीं है। ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : रंजन जी, आप जानते हैं, आप टीचर रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं है, आप लोग बात की रूट को समझिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Lalu ji, please address the Chair.

श्री लालू प्रसाद : मैं नहीं जानता कि * मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये सारे बड़े-बड़े कालेज, जितने माफिया है, अगर उनका इंट्रेस्ट नहीं सील होगा तो कोई भी एमसीआई का मेंबर या चेयरमैन बनाइए, उसको बैठने नहीं देगा। इसको कैसे ठीक करना, यह आप सोचिए। दूसरा, मैं यह समझता हूँ कि जब आप एमसीआई को चुस्त-दुरूस्त बनाने चलें तो हमारे देश का जो आयुर्वेद है, हमारे देश की जो यूनानी है, इस पर अपने कानून को पढ़ लीजिए कि आपने क्या कानून बनाया है। ये बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेद के नाम पर है और उनमें दारू बिक रही है। उसमें आपने परमिशन दे दी है और बन रहा है मृत संजीवनी सुरा, शक्ति रस, मधु रस। मतलब खाली दारू ही दारू बिक रही है। सरकारी

* Not recorded.

दुकान में बिक रही है, पनहेरी भाई के यहां पर दारू बिक रही है। जब हम बिहार में थे तो हम इसको बंद करने चले थे, लेकिन मालूम हुआ कि यह कानून तो आपका बनाया हुआ है। इस कानून को आपने बनाया है। आयुर्वेद कॉलेजों की आप जांच कराइए। उसमें प्रतिशत क्यों रहेगा? क्यों एल्कोहल की संख्या ज्यादा रहेगी? इसलिए एमसीआई के साथ-साथ आप जहां से आयुर्वेद की मान्यता देते हैं, उसको भी चुस्त-दुरूस्त कीजिए। आयुर्वेद के नाम पर जो भट्टी चल रही है, उसको बंद कीजिए। वहां पर आयुर्वेदिक दवा नहीं बिक रही है। वहां बिल्कुल दारू बिक रही है। सब लोग यह सब कर के मोटे-मोटे हो गए हैं।

मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आगे वाला कानून पेंडिंग मत कीजिए। हर राजनीतिक दल से भी राय लीजिए कि आप लोगों की क्या राय है, किस तरह से किया जाए, उनको विश्वास में लीजिए। एमसीआई और आयुर्वेद को ठीक नहीं करेंगे तो बिल्कुल एनार्की की स्थिति है। जब टीचर ही नहीं है तो हमारे लड़के कैसे डॉक्टर बन कर निकल रहे हैं, अगर लड़का डॉक्टर हो गया तो प्रिस्क्रिप्शन क्या लिख रहा है? बिमारी कुछ है और, कुछ और लिख रहा है। जैसे बिहार में मेनिंजाइटिस है और वह लिख देगा कि यह कालाजार है। आप एक्टेंशन दे रहे हैं, इस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, स्वीकृति है और आगे आप कानून जल्दी से टाइम बाउंड बना कर, सब लोगों से ले कर एमसीआई को चुस्त-दुरूस्त और इफेक्टिव बनाइए। ताकि हमारे देश में स्वास्थ सेवा ठीक प्रकार से चल सके और बीमारी से मुक्ति मिल सके।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, as per the website of the MCI, it is the mission of the MCI to develop systems which shall continuously assess the needs and enhance the quality and standards of medical education and training in India. In this context, my allegation is that the MCI has failed and deliberately failed despite or if I may suggest even with collusion from the Ministry of Health side, to have any assessment of the medical needs of India or cater to any requirements that India may have.

I give one snapshot. With your permission I quote from the National Knowledge Commission Report to the Nation 2006-2009. The NKC Report states that there are seven lakh doctors in all. The hon. Minister himself stated the number of doctors as five and a half lakhs, which is lesser than the NKC Report. Whatever it is, that makes the doctor-population ratio of India as 1:1722. I would like to give you some figures of comparative countries from which you can assess the comparative medical strength of our country.

In USA, it is 1:360 – that is, there is one doctor for every 360 people. In India, it is 1:1742; in Britain it is 1:440; in Pakistan, it is 1:1400. So, even Pakistan is better than us. All the countries in BRICS are better than us. Brazil has 1:900; China has three times the doctors that we have, with 1:950; Russia has 1: 230. These are the countries that we compare ourselves with, yet we fall miserably short. The Minister himself has admitted this.

As per the NKC Report, a mere 28 per cent of these doctors are in rural areas, which house 70 per cent of the people. As was pointed out by Shri Jaiswal, 96 per cent of the medical colleges are in urban areas. We have MCI and the Government of India; they have absolutely failed to cater to the health system of our country. I say so deliberately. There is a reason for this. By creating an artificial shortage and conditions, capitation fee which is anywhere between Rs. 40-50 lakh per student in any medical college, is being charged, and the inefficiency in the system has led to the capital fee.

As long as there is shortage, the capitation fee will exist. The moment you get more medical colleges, the moment you relax the norms and make it amenable to the current day's scenarios, we will have more doctors and the capitation fee will not be required. So, to have the system of capitation fee and corruption within the MCI, this shortage exists!

The Bill today brought by the hon. Minister is about extending the term of the Directors and having new Directors. I have no issues on that. I have no problem, despite whatever said by Dr. Mirdha and Shri Jaiswal. It is not individuals who are important to reform the health care system; it is the reformation of the MCI itself; whether you have elected members or whether you have Government nominees is not the issue. When the hon. Minister removed the Ex-Chairman, I believe, he did a good thing.

The Chairman was caught in March; the Parliament was on till 7th May that year. However, he brought the ordnance on 15th May, seven days after the Parliament Session was over. He could have as well brought this Bill, at that time, before the Parliament also, but he may have had some difficulties; I understand that and I am not blaming him.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I had no difficulty; the difficulty was with all of us, and the way we functioned.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : As I said, I have no difficulty or issues with the Government. The issue is that the Minister missed a big chance of getting any real reforms into MCI. He may have removed the Chairman or some Directors. But the same inspectors who used to go and inspect the colleges then, go even now. There is an allegation that Rs.5 crore is required to get the permission renewed every year from the MCI, even now. The reason is that not one change has been brought about in the administrative system which exists in the MCI. You have changed the Directors, but the same favoured few are still there. May I also add that out of the many inspectors that the MCI has, the

favoured 20-25 inspectors go for 90 per cent of the inspections. They were the same inspectors who used to go when the previous Chairman was there.

There is an absolute skewed distribution of medical colleges. He talked about Puducherry. It is a fact that it is easier to put up a medical college in urban areas than in rural areas – the doctors do not go. Forget the doctors, even the conditions put by the MCI and the Ministry, do not favour setting up rural medical colleges. I will give an example.

In urban areas, we require 10 acres of land to put up a medical college. In rural areas, we require 25 acres of land. In urban areas, one can link one separate hospital to a medical college, within a gap of 5-10 kms. But in rural areas, one must build a complete hospital with 350 beds and have 70-90 per cent occupancy before one gets permission. Do you think there will be more patients in urban areas or in rural areas? If you cannot address the skewed distribution of medical colleges between urban and rural areas you will not be able to address the skewed distribution of doctors in rural and urban areas.

Sir, Yashpal Committee raised a couple of points. My hon. friend, Dr. Mirdha has said that there should be a Common Admission Test. I agree that there should be a Common Admission Test but instead of trying to regulate each and every medical college through MCI over the last 20 years, which has resulted in mass scale corruption, whether in one per cent it was there or not it has resulted in absolute corruption, why can we not have in every five years a test for the doctors so we know what their competency is? We do not worry about the medical colleges. We should worry about the quality of the doctors that we have. What stops you from having a standardised test once in every five years? We can gaze the qualification of doctors? It happens in other countries. It does not happen here. Instead, what we want from the medical colleges here, what criteria they must have? They must have a museum, an auditorium and a sports complex. What does that do? It raises the cost of medical education. Why is there capitation fee? The cost of running a medical college in India is about Rs.15 crore

to Rs.20 crore, forget the capital cost. This is the actual cost of running a college because you have to give free medicine.

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is Rs.35 crore.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : I stand corrected. The cost of running a medical college is Rs.35 crore. The fee charged is Rs.3 lakh or Rs.4 lakh, as per the Government. How to recover the money? If you do not change that system there will be corruption. Anybody who puts up a medical college wants to recover his money. Why should we not incentivise people for putting up medical colleges rather than stopping them and creating inefficiency in the system? I know you are creating an overarching body, which you have mentioned. I am sure you will attempt to redress some of these problems in that. But, Sir, you can do it even now. You do not have to wait for the overarching body. The Minister is a very capable person. He has run a difficult State like Jammu and Kashmir. I have a lot of expectations from him. Unfortunately, the Government of India in its current form has failed to live up to my expectations. So, I oppose the Bill.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, IMC (Amendment) Bill has been passed in this august House. I think the Minister can recollect that I had put my objections against that kind of Bill. Times and again the charges of corruption have been raised against the Indian Medical Council but the Union Government was reluctant to interfere in the matter. But when the former Chairman got arrested then the question came whether the Indian Medical Council will be banished. This sort of attitude is very much objectionable. If we say that the former Chairman of the Central Vigilance Council is corrupt, are you in a position to banish the CVC itself? An assurance was given that they are going to form in a temporary manner a Board of Governors and the instruction was that within one year the Indian Medical Council will be constituted. But this amendment Bill is quite disappointing. It proposes to extend the constitution of the Indian Medical Council for one year. This is in a sense not only the extension of the period for formation of the IMC but in fact the extension of the Board of Governors for one year more. If it is not again proposed for further extension then it will be up to 14th May, 2013, which means almost full tenure of the UPA-II Government.

What is this Board of Governors? My previous speakers have narrated from where they are coming? Even, Dr. Mirdha also raised the question of interest. So, this sort of contradictions are there. This is an idea of corporatising the things and only giving the benefit to the Board of Governors. It is already rightly stated that you have formed a Board of Governors but you would not change the system. So, many things are happening there. What is your attitude, nothing to say? What is the logic given? The logic given is that that meanwhile the Government initiated a proposal to set up an overarching regulatory body, that is, National Commission for Human Resource for Health, which would be subsumed with the Indian Medical Council, Dental Medical Council and all these things are there. But, the Minister himself has failed to give us the time-frame.

Even, that sort of legislation has not yet been drafted. I do not know whether it is drafted or not. It has not been brought before this august House.

Even, it has not been discussed in the Standing Committee. So, there is a very doubt that by this one year the proposal for overarching body will come in this august House.

So, everything is for corporatising the things. Everything is to maintain the present system, so far as this medical council arena is concerned. That is why, this is very much disappointing. During the discussions, we have raised the point that you are going to form the Board of Governors. In fact, you are going to curtail every right of the autonomous body of the Indian Medical Council. You are strengthening the bureaucratic intervention in this arena. You are going to strengthen the Government intervention in this arena and you are attacking the basic essence of that authority of the autonomous body. This is very much disappointing. That is why, I once again put my objections, oppose this sort of Bill, oppose the very attitude of the Government in this regard, particularly, the very report on the medical arena of our country. That is why I think the Government would think over it. At least, the Government would assure before us that it is not going to extend further and it will not bring another amendment in the next Parliament Session or the next year for extending the year. By this time that sort of overarched regulatory body will be formed and that will be constituted. With these words, I express my gratitude and thank you, Sir.

*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the Indian Medical Council (Amendment) Bill.

When new members are nominated to the Medical Council, we need to identify whether such persons are suitably qualified. I would like to insist through this august House that such persons must contribute their best to the Medical Council.

In the past years we have witnessed the Indian Medical Council behaving with a step-motherly attitude. As far as Tamil Nadu is concerned, when we were establishing Government Medical Colleges in backward districts like Theni, Dharmapuri, Thiruvarur and Villupuram, the Indian Medical Council put spokes in their being commenced. The Council delayed the necessary permission thereby denying the rural people the much needed medical service and the rural youth the much sought after medical education. Indian Medical Council made the Government of Tamil Nadu to wait for several years to get the necessary permission to run these medical colleges. I would like to urge upon the Government to see that such bottlenecks are removed in the days to come.

In Tamil Nadu, the Medical Colleges run by the Government are catering to the needs of rural people fulfilling the aspirations of bright students from the rural areas. Indian Medical Council must give top priority to grant permission to the Government run Medical Colleges in the interest of the poor and the rural people. Private medical colleges get the permission quickly. Permission to have more than 250 seats is given to private medical colleges. Even new medical colleges get sanction for 150 seats at the initial stage itself whereas the Madras Medical College, Stanley Medical College and Government Medical Colleges like the one

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

in Dharmapuri get permission to have only 100 to 170 seats in all these years. I would like to urge upon the Government to see that more seats are made available in Government run colleges so that the medical education facility can be extended to students hailing from rural areas.

At this juncture, I would like to bring to the notice of the Government that our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma has decided not to have any entrance examination for medical college admission. But at the same time, the Union Government is proposing to have uniform common entrance test for medical college admissions throughout the country. I would like to urge upon the Government to rescind the move.

Our leader Puratchi Thalaivi Amma envisages a plan to have Government Medical Colleges in all the districts of Tamil Nadu. This would ensure proper medical care to the needy, poor rural people. This would also enable the students from the rural areas to have access to medical colleges and get medical education. Hence I urge upon the Government to see that more Government Medical Colleges are started and ensure that the private players do not get undue encouragement to start medical colleges.

Whenever we point out to the lapses on the part of the Indian Medical Council, the Government of India seeks umbrage under the plea that it is an autonomous organisation. This has resulted in the people at the helm of affairs in the Indian Medical Council resorting to corrupt means and amassing crores of wealth. So, I would like to urge upon the Government to see that the image of the Indian Medical Council is refurbished and its functioning becomes noticeably unblemished. With these words, I conclude.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे इंडियन मेडीकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2011 पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक सांसद भी हूं और अपने अहमदाबाद चुनावी क्षेत्र से एक मेडीकल टीचर भी हूं। इस बिल पर मुझे अपनी बात रखने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने नेताओं आदरणीय आडवाणी जी और सुषमा जी और आपका ऋणी हूं। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1933 में हुआ था। जैसे अभी-अभी हमारे मित्र ने जिक्र किया, इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से 1956 में मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि मेडीकल काउंसिल का जो वर्तमान स्वरूप है, इस बात को छोड़ दें, आपने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इम्पोज़ किया है। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो वर्तमान स्वरूप है, वह सौ प्रतिशत लोकतांत्रिक है। यहां जो चुने हुए मेम्बर्स आते हैं, वे हर यूनिवर्सिटी और हर स्टेट से चुन कर आते हैं तथा नोमिनेटेड मेम्बर्स की संख्या से चुने हुए मेम्बर्स की संख्या ज्यादा होती है, उनका प्रभुत्व ज्यादा होता है, इसीलिए मैं उसे लोकतांत्रिक मानता हूं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा एक स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। इसी तरह मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते केन्द्र सरकार भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अभी-अभी यहां इस बात का जिक्र हुआ कि मैडीकल काउंसिल के पूर्व प्रमुख पर जो कुछ एलीगेशंस आये, इसके तहत उनको हटाया गया। मैं इससे सहमत हूं। भारत के संविधान के तहत, भारत की कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध जो कुछ भी काम करना है, वह कानून को अपनी ओर से करने देना चाहिए।

इस वक्त मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आर्डिनेंस के तहत लाना और वह भी बजट सत्र पूर्ण होने के बाद एक हफ्ते में सरकार आर्डिनेंस लाई, यह एक संदेह पैदा करता है। जो पहले थे, उनको हटाया गया। वर्तमान मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है, इसमें यह बात कही गई है, There is a provision for Commission of Inquiry. सरकार उस वक्त कमीशन ऑफ इन्क्वायरी रख सकती है। इन्हीं प्रेसीडेंट पर कुछ साल पहले भ्रष्टाचार की उंगली उठी थी। उस वक्त उनको हटाया गया था और उनकी जगह और किसी को प्रेसीडेंट बनाकर मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वरूप को यथावत् रखकर काम किया गया था। मुझे आश्चर्य और हैरानी इस बात की है कि सरकार ने यह आर्डिनेंस लाकर सारी की सारी मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिजोल्व करने की क्या जरूरत थी और उसके बाद उसको 6 लोगों का बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने की क्या जरूरत सरकार को थी? मैं इसी पर अपना प्रश्न उठाना चाहता हूं।

मैं इसी बात पर अपनी आपत्ति जताना चाहता हूं कि एक साल पहले मई में आप जो आर्डिनेंस लाये और आज आर्डिनेंस को एक्सटेंड करने के लिए इस सदन में आये हैं। मंत्री महोदय जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आप यहां उपस्थित हुए हैं। मेरा यक्ष प्रश्न यह है कि वर्तमान मैडीकल काउंसिल के तहत अभी के जो प्रावधान हैं, इसमें प्रोवीजन ऑफ इन्क्वायरी है तो इन्क्वायरी करके कानून को कानून की रीति से काम करने के लिए आपने उसको चलने नहीं दिया और आपने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाकर नई व्यवस्था की है। दरअसल बोर्ड ऑफ गवर्नर लाना ही गलत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या चीज़ है, उसके बारे में सदन में अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत स्पष्टता से बात कही है। यह उन पर एक संशय खड़ा करता है तो मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑटोनोमी है, उसमें मैडीकल एजुकेशन एण्ड मैडीकल प्रोफेशन की मोनेटरिंग के लिए मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। मंत्री जी, मेरी आपसे स्पष्ट मांग है कि मैडीकल प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। हमारे पूर्वजों ने मैडीकल काउंसिल का जो गठन किया था, मैडीकल काउंसिल का जो ख्याल किया था, उसमें नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज़ की ओर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैडीकल काउंसिल की पवित्रता को यथावत रखकर अगर उसमें कोई भी प्रावधान, कोई संशोधन करना है तो उसके लिए करना चाहिए। मैडीकल काउंसिल का जो मूल स्वरूप है, उसको यथावत रहना चाहिए, यह मेरी बात है।

उसके बाद आज मैं बोलूं तो मैडीकल कालेज में पूरा व्यापारीकरण हो गया है। अगर आज के प्रमुख वर्तमान पत्र को आप देखें तो नवी मुम्बई में वासी के एक मैडीकल कालेज में रेडियोलोजी की पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए 1.70 करोड़ रुपये देकर कई लोग अन्दर दाखिल होते हैं, यह सब क्या है? मेरा स्पष्ट मानना है कि मैडीकल प्रोफेशन का, मैडीकल एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है। इतने सालों से आप जो पूर्व प्रमुख के बारे में बात करते थे, पूर्व प्रमुख पर इतने सालों से घुसपैठ करने का आक्षेप है कि सरकार ने उसे देखा नहीं? जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है कि डेंटल काउंसिल में भी इसी तरह के एलीगेशंस हैं। अगर सरकार ने यह सब नहीं देखा, सरकार ने इसे नज़रअंदाज़ किया, हम लोगों के बीच में घूमते हैं, लोगों में प्रश्न होता है कि क्या पूर्व के चेयरमैन को स्केपगोट यानि बालि का बकरा तो सरकार ने नहीं बना रखा है, क्योंकि आजकल मैडीकल एजुकेशन has become an industry. उसका पूरा व्यापारीकरण हुआ है, उसमें करोड़ों-अरबों रुपये का व्यापार होता है।

इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार बैकडोर से मेडिकल एजुकेशन और एमसीआई पर लगाम लगाने का प्रयत्न करती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मेडिकल एजुकेशन से कोई खिलवाड़ न करिए।

मेडिकल के बारे में कुछ सजेशन दूंगा। आपने बोर्ड आफ गवर्नर नियुक्त किया। मेरे और हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र अहमदाबाद में मणिनगर में एलजी मेडिकल कालेज है। एलजी मेडिकल कालेज के इंस्पेक्शन में एक टीम आफ इंस्पेक्टर्स आयी, जिसमें से एक इंस्पेक्टर एम्स से थे। मेडिकल टीचर्स के लिए जब उसकी क्वालिफिकेशन का जिक्र होता है, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने, उस टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसका कारण उसने यह बताया कि पूर्ण टीचिंग एक्सपीरियंस वह पजेस नहीं करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए, तो मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का प्रावधान यह है कि जिस टीचर को तीन वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यह उसकी योग्यता होती है। जिस टीम को बोर्ड आफ गवर्नर ने भेजी थी, उसे रिजेक्ट कर दिया और एलजी मेडिकल कालेज को रिकग्नेशन देने से इन्कार कर दिया। मगर हकीकत वो थी कि एमसीआई के कानून के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल टीचिंग एक्सपिरियंस की योग्यता थी। मैंने अपने क्षेत्र में सभी डीन्स की मीटिंग बुलायी, गुजरात के सभी डीन्स की मीटिंग बुलायी। जितने भी गुजरात के मेडिकल कालेजेज को रिजेक्ट किया था, उनका दौरा किया और उस वक्त के जो चेयरमैन थे, बोर्ड आफ गवर्नर्स थे, मैं उनसे मिला और केस प्रेजेंट किया। जो एमसीआई के इंस्पेंक्टर आए थे, it is a different qualification in AIIMS than other medical college. तो वह यह प्रावधान जानता था, अगर मेडिकल का इंस्ट्रक्टर ही खुद जानता नहीं है, तो वह डी-रेकग्नाइज्ड करके कोई भी क्षेत्र या राज्य के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टीचर्स के बारे में भी बहुत कुछ बात हुयी। नॉन क्लीनिकल टीचर्स की बहुत डिमांड है। The teachers related to the basic subjects, the Anatomy, Physiology, Forensic Medicine, and Pharmacology. These are the non-clinical teachers. ये आजकल उपलबध नहीं होते हैं। इसीलिए उनकी बहुत डिमांड होती है। उनका बहुत रेड कार्पेट वेलकम होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि नॉन क्लीनिकल टीचर्स के प्रावधानों में, उनके college attachment में कुछ रिलैक्सेशन करना चाहिए।

मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट भी सरकार से करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेज और प्राइवेट मेडिकल कालेज दोनों के मापदंड अलग-अलग होने चाहिए। जितनी सख्ती हम प्राइवेट मेडिकल कालेज के साथ करते हैं, उतनी ही सख्ती गवर्नमेंट मेडिकल के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने टीचर्स को अच्छी तरह से रखेंगे, अगर टीचर्स नहीं मिलते हैं तो नहीं रख

सकते और जैसे भी टीचर्स की उपलब्धि होगी, जैसे भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि होगी, वह लोग उनको इंक्ल्यूड (include) करेंगे। मेरा एक सुझाव है कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेजेज के लिए टीचर्स और अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में और भी कड़े से कड़े तेवर अपनाए जाने चाहिए। आज गरीब लोग कैसे डाक्टर बनेंगे? मैं करीब चालीस वर्ष पहले डाक्टर हुआ था, अगर आज की स्थिति होती तो मैं डाक्टर नहीं हो सकता था। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो व्यापारीकरण होता है, जो कैपिटेशन हो रही है, उस पर एक रोक लगानी चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में गरीबों के लड़कों के लिए, बीपीएल लड़कों के लिए, दलितों के लड़कों के लिए, वनवासी लड़कों के लिए स्पेशल आयोजन इन प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में होना चाहिए।

महोदय, रूरल एरिया की बात कही गयी। रूरल एरिया में अभी इंबैलेंस है, जैसे जायसवाल जी ने कहा कि पुदुचेरी में नौ मेडिकल कालेजेज हैं, जबकि बड़े-बड़े स्टेटों में मेडिकल कालेजेज में गिने-चुने मेडिकल कालेज हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि एरिया के अनुसार, सभी जगह का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रूल के अनुसार मेडिकल कालेजेज की मंजूरी देनी चाहिए। गांव में डाक्टर्स नहीं जाते हैं, क्योंकि डाक्टर्स को वहां पर्याप्त सुविधा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अगर कोई डाक्टर एक साल रूरल सर्विस करता है, तो दस फीसदी उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, अगर दो वर्ष करता है तो बीस परसेंट का इंसेंटिव मिलना चाहिए और अगर तीन वर्ष करता है तो उसे तीस प्रतिशत का इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि कोई भी डाक्टर गांव में जाकर अपनी सर्विस कर सके।

16.00 hrs.

गांव में मेडिकल कालेज रखने के प्रावधान के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने जो बोला, अगर आप इतने कड़े प्रावधान रखेंगे तो कोई व्यक्ति गांव में मेडिकल कालेज कैसे खोलेगा। गांव में मेडिकल कालेज, अस्पताल खोलेंगे तो पेशेंट कम भी हो सकते हैं। उसमें कुछ स्पैशल रिलैकसेशन देना चाहिए। गांव में मेडिकल कालेज खोलने के बारे में नीति में और रिलैकसेशन करना चाहिए।

मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में पिछली बार जिन चार मेडिकल कालेजों को मान्यता दी गई, कभी-कभी छोटी सी बात पर मान्यता अटका दी जाती है कि आपके वहां लेबोरेटरी नहीं है, एनिमल लैब नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि छोटे-छोटे मसलों को बाहर लाकर कालेजों की मान्यता रिजैक्ट मत कीजिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. प्रभा किशोर तावियाड (दाहोद): सभापति महोदय, मंत्री जी बहुत अहम ईशू लेकर आए हैं which is related to the noble profession of medical science. First of all, I would support the Bill. बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं पहले शर्मिंदगी महसूस करती हूं कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के एक्स प्रैज़िडैंट ने मेडिकल सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया।

अभी किरीट भाई, संजय भाई बोल रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि हमने उन्हें एक ओर रैड हैंडेड पकड़ा और इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उनकी डिग्री लेने की बात की, लेकिन दूसरी ओर मुझे दर्द के साथ कहना पड़ता है*

MR. CHAIRMAN : Do not take the name.

डॉ. प्रभा किशोर तावियाड : सरकार के आशीर्वाद से गुजरात यूनिवर्सिटी में बैक डोर एंट्री द्वारा वे डैलीगेट बनकर, सिनेट मैम्बर बनकर अभी भी बैठे हैं।...(व्यवधान) हमें यह सुनकर बहुत धक्का लगा।...(व्यवधान) अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि डैमोक्रेटिक, चुने हुए हैं। उनके सामने दो डाक्टर्स ने फार्म भरे। साम, दाम, दंड, भेद करके उनके फार्म विदड्रा करवा लिए। वे वहां अभी यूनैनिमसली सिनेट मैम्बर बनकर बैठे हैं। मेरे भाई इसके गवाह हैं।

मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। जिस तरह ज्योति जी और दूसरे माननीय सदस्य ने गुजारिश की, मैं चाहूंगी कि मंत्री जी बहुत जल्दी इंडियन मेडिकल काउंसिल का रैगुलर बिल लेकर आएंगे। Health and Education are the responsibility of the Government. Be it the State Government or be it the Central Government, it is the responsibility of the Government. It is the fundamental right of the person. I would say that the cost of education and the cost of medical services are reciprocal. आप अभी सुन रहे थे कि डाक्टर बनने के लिए सैल्फ फाइनैंस कालेजों में काफी डोनेशन देने के बाद यदि कोई डाक्टर बनता है तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मैं अपने पैसे कैसे रिकवर करूं। I am very proud of our leaders. सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की जो सोच थी, I became the MBBS doctor in the year 1976. मै कैसे पढ़ पाई। It is because we were supported by the Government and the other students.

* Not recorded.

जो डाक्टर बन रहे थे, वे डाक्टर कैसे बन पाते? उनको इतनी ज्यादा फीस नहीं भरनी पड़ती थी। Those students were intellectual but poor. Yes, they were coming into the field of medical science. मेरे साथ एक पोर्टर का बेटा पढ़ता था, जो फर्स्ट नम्बर लाकर डाक्टर बना था। मेरे कहने का मतलब है कि यही डाक्टर जब गवर्नमैंट ऐड से पढ़कर जाते हैं, तो रूरल एरिया में सर्विस करने की ज्यादा कनैक्टिविटी रहती है। मैं इस प्वाइंट पर एक बात कहना चाहती हूं कि पांच-छः साल पहले एक मेडिकल फैमिली प्लानिंग का कैम्प लगा था। More than 100 patients were registered. I came to know that 100 patients were registered. Earlier, incentive of Rs. 25 per patient was given; Rs.15 from the State and Rs.10 from the Government Centre. 25 रुपये पर पैशेंट इंसेटिव स्टेट वालों ने बंद कर दिया, तो सैंट्रल वाला 10 रुपया पर पैशेंट इंसेंटिव कम हो गया। ...(व्यवधान) यह बहुत बड़ी बात है। Doctor refused to go to operate the patient, Sir.

सभापति महोदय, आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। एक डाक्टर ने 100 से ज्यादा पैशेंट्स रजिस्टर्ड किये थे, लेकिन उसने दो बजे के बाद बोला कि मैं 10 रुपये में ऑपरेट करने नहीं आऊंगा, जबकि उसे गवर्नमैंट फैसिलिटी के साथ ऑपरेट करना था। I came to know at 2 p.m. उस समय रास्ता खराब था, लेकिन मैंने वहां दो घंटे में पहुंचकर नौ बजे तक 85 पैशेंट्स आपरेट किये। मेरे कहने का मतलब है कि that Doctor refused to operate because he was after money. मैं गवर्नमैंट की हैसियत से डॉक्टर बनी हूं। I operated that patient.

सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि जो भी मेडिकल कालेज गवर्नमैंट सपोर्टेड हैं, उनमें सीटें बढ़ाइये, उसके बाद ही आपको डाक्टर्स मिलेंगे। दूसरा, मैं मंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट करूंगी कि जो डाक्टर बन चुके हैं, उनकी एक साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद अगर कोई डाक्टर पीजी करना चाहता है, तो उसे कम्पीटिटिव टैस्ट देना पड़ता है। They can give competitive tests. यह टैस्ट वह तीन साल तक दे सकता है। मैं चाहूंगी कि अगर वह डाक्टर रूरल एरिया में सर्विस करता है, तो वह तीन साल तक एग्जाम देता रहेगा। अगर उसमें एडमिशन मिल गया तो वह पीजी करने चला जायेगा, लेकिन यदि उसे एडमिशन नहीं मिला, और वह यदि चार साल तक रूरल एरिया में सर्विस दे देता है, तो उसे प्रायरिटी देनी चाहिए और पीजी में उसे कुछ परसेंटेज तक एडमिशन मिलनी चाहिए। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि रूरल सर्विस में डाक्टर नहीं मिलते। मैं कहना चाहती हूं कि अगर ऐसा हो गया, तो रूरल सर्विस में डाक्टर मिलेंगे। Though they are having less

facilities, they are going to serve the rural people, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे-छोटे होते हैं और वे वहां पर कोई प्रौब्लम फेस नहीं करते।

दूसरा, मैं ब्रेन ड्रेन के बारे मे कहना चाहती हूं। जब हम सेवन्टीज में मेडिकल स्टडी कर रहे थे, तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं कि यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे लोग डाक्टर बनकर चले जाते हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले डाक्टर भी अभी अमेरिका, लंदन में बैठे हुए हैं। अभी हमारे यहां इतनी फैसिलिटी मिल रही है जिसकी वजह से वे लोग वापस आते हैं। हमारे यहां मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। लोग बाहर से आकर मेडिकल सर्विस का लाभ उठाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो डाक्टर इंडिया में पैदा होता है, उसकी क्रेडेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब वह पढ़ता है, तो उसे earliest रोग के डिटैंशन का भी पता होता है और वह लेट स्टेज के रोगी का भी ट्रीटमैंट कर सकता है।

एक पेशेंट को आठ-आठ बोतल ब्लड देकर बचाने का जब एक्सपीरिएंस मिलता है, तो वह डाक्टर कहीं भी जाएगा, तो उसकी वैल्यू होगी। इंडियन डाक्टर्स की क्रेडिबिल्टी बहुत है। मेडिकल कॉलेजेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में सीटें बढ़ाइए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, पेशेंट भी नहीं होते है क्योंकि उनके पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकार मेडिकल कॉलेजेज बनाइए, सीटें बढ़ाइए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, MCI was established in the year 1956. Since then, 45 years have passed. It was set up as a Government body whose function was to increase the number of medical colleges in the country, to look after the health sector, to confer degrees and to monitor or inspect the work done. But actually, for so many years, the Government did not pay heed to the medical fraternity and it overlooked every demand. When the newspapers and media started raising a hue and cry about rampant corruption and commercialization, at that point of time, the Government woke up. So the current situation is the handiwork of Congress party – it is solely responsible for the mismanagement. Did not the Government know that the posts of Presidents or Vice-Presidents of the committees must not be for lifetime? This practice is not proper – didn't the Government realize this? If a person holds a particular post for a very long time, then corruption and laxity are bound to creep in.

This organization is an autonomous and statutory body and functions democratically. The members are mostly elected from different medical colleges and universities. The Government representatives are also present in it. This provision has been done away with by an ordinance. It is true that President has been put behind bars on the charge of corruption. Corruption must be uprooted at any cost. The Government must answer as to why it turned a blind eye to the malpractices that were going on.

India is a huge country where people ask for food, education, shelter, medical facilities. But in the rural areas, proper health care facilities are almost absent. Doctors do not want to go to the villages. Privatisation is the order of the

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

day. Total number of medical colleges in India is 353 out of which, only 107 or 108 are run by the Government. Others are private college owned by corporate houses. They are trying to have monopoly over the medical facilities of the country through privatization. Treatment of diseases has become so costly that ordinary, poor people of the nation remain deprived of it. The duties of the IMC and the Government were to look into these problems and make healthcare services more affordable. Thus such a law should be framed which will compel the doctors to go and serve in the villages and far flung areas.

Another issue is that, there is dearth of non-clinical teachers. So, this problem must be addressed immediately. I have also heard that a common entrance test will be introduced for medical students. If this proposal materializes then it will be very difficult for the rural students to compete and get selected while the states will also be deprived in a big way. Moreover, the autonomy of the institution must be preserved. Because, India is a democratic country and safeguarding its autonomy will be a step towards realizing the flavour of true democracy. This aspect must be kept in mind.

There also should not be any further extension as many years have already passed. It is late and must not be stretched till 2016 or 2020. Based on the democratic tenets, this must be run in a structured manner.

Thus, I conclude by saying that I cannot support this Indian Medical Council (Amendment) Bill-2011 and end my speech here.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, I cannot support this amendment because the hon. Minister is shifting from his earlier commitment of restoration of the Medical Council of India just after one year.

Sir, in the plea of forming an over-arching body, in the name of National Commission of Human Resources for Health, the hon. Minister and the Ministry are actually undermining the autonomy, the independence and the self-exercising power of a body which was formed by an Act of this Parliament. It cannot be done away with by the whims or by the wish of a Minister. Being a member of the Standing Committee, I wanted that it should come into the Standing Committee for discussion. But taking into account the previous experience of the Ministry, they did not allow us to ponder over the merits and demerits of the amendments.

Sir, some of the hon. Members of this House, where I am standing and speaking here, have been put inside jail and their image has been tarnished in front of 1.2 billion people of this country. But we did not dismantle the Parliament; we did not dismantle many other bodies when the image of many of the officials and persons have been tarnished and they have put into jail in cases of corruption. When the system has been corrupt or the system has been reeling under corruption, no institution can escape from corruption and all that.

Sir, this idea of over-arching body will be a death knell for our medical education training and maintaining of medical ethics, which is also a very important purpose maintained by this Medical Council of India. This is only in the interest of the corporate sector, I would like to mention this in front of the hon. Minister and the Ministry, that medical education, training and maintaining of standards of medical practitioners is a very complex subject. When you are bringing an over-arching body for medicine, pharmacy, nursing, ayurveda and so many things then that will be far more difficult to control the standards and affairs of all the other systems in a single over-arching body.

It is in the interest of the corporates. For that reason, they want a single window. The corporate sector wants to build up a medical college, a pharmacy college, a nursing college, and so many other things. When they have to go to the Medical Council of India, the Dental Council of India, the Nursing Council of India, there is some check and balance by the respective individual bodies. But if it comes under one window, it will be easy for the corporate sector to get a licence and to build a nursing college, a medical college and a pharmacy. So, in that way, we are lowering the standards of our medical education by bringing out this overarching body. We cannot support it; we cannot do it.… (*Interruptions*)

This is very important. It is a very serious issue. The way the Ordinance is put by the Ministry, it appears to us like this. A thief was entering a house particularly at night. When he was caught and he was asked: "Why do you come in night only?" The thief replied: "It is because, during daytime, there are many eyes over me; there is police; there are many people to catch me. At night people are sleeping." Once, you have introduced that Ordinance bypassing the Parliament, in the inter-Session. Second time, again you have done the same thing. Why? What was the emergency? Why did you not put the matter before the Standing Committee? So, it is a violation of democratic norms. It is bypassing the democratic system; it is bypassing Parliament. We cannot allow it for such an important body.

Sir, I have got two more points. The common entrance test for both under-graduate and post-graduate systems, which is being supported by the Board of Governors which has practically been selected undemocratically, cannot do any good for the rural people, rural students and the under-developed students of many States.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Others are waiting.

DR. TARUN MANDAL : Sir, I am just concluding. The common entrance test will include the matters of language barrier etc. and both health and education are State Subjects. But, what is the interest of the Union Government in doing it? Let

the States decide. It is because, the States build up their medical colleges, professional colleges for getting their manpower … (*Interruptions*) Let me finish.

So, the States which are already weak and do not have the infrastructure to develop their manpower, they would be deprived by these types of common entrance tests. Unless and until we build up infrastructure, it will harm us. And 3 ½ years medical course will be a danger for our people. It is going against the Constitutional norms and even against the promises of the UPA Government of giving equity up to the village level. Rather, I would suggest that if the village practitioners, the rural doctors, can be taken up not as a doctor but as a health worker giving them some scientific training and education, they can be good health workers… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will call the next speaker; please conclude.

DR. TARUN MANDAL : I have got one more point, Sir. The Vision 2015 which this Governing Body, instead of the Medical Council is contemplating, that will be a death knell to our medical education, post-graduations and everything. So, that should not be done. I again appeal to our Minister that there are many avenues within the rules and regulations and statutes of the Medical Council of India, that I have gone through where the Central Government has ample regulatory power; that they can exercise to control the Medical Council of India and remove any corrupt person by the law of this land but not by enactment of an Ordinance at night when others are sleeping. I cannot support this amendment because it is anti-people, anti-students, and anti-doctors and anti-poor. So, I cannot support this amendment.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Chairman, Sir. Today, we are actually debating on a small amendment. But this gives us an opportunity to put a lot of our views in front of the hon. Minister through you.

16.25 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

I have to raise just two-three points. The first is this. The change has been necessitated because of corrupt practices. If you take-up the entire regulatory body - as you have suggested that you will bring, maybe in the current Session of Parliament or in the next Session of Parliament - I think it will send a very good message in this particular time when corruption has become such a major issue.

The other point that I would like to quickly make is this. We need Parliament oversight into health and all the practices surrounding health. The Medical Council of India has proved inadequate as many of our previous speakers have already stated. Today, technology, especially in the field of genetics, is moving at a very rapid pace. So, therefore, it necessitates that we keep an eye on many of the issues related to the technological and in the fields of robotics and others which are now impinging upon the area of health.

I would like to make a last point which is related to Sikkim where we have a Medical Institute which has been started in the private sector through the Sikkim Manipal Institution. The Medical Council of India has actually, in this current Session, reduced the number of seats from 100 to 50. We do not know, why. I would like to put this request forward through you, Mr. Chairman, to the hon. Minister to look into this particular case. I would also like to know as to why these kinds of arbitrary measures are taken without consultation that creates a lot of difficulty on local students and local medical aspirants.

With this, I support the Bill.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने तमाम साथियों का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। एमसीआई ने जो गड़बड़ की है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। भारत सरकार ने एमसीआई को बहुत ज्यादा पावर्स दी हुई हैं। एक बार भगवान शिव के पास एक असुर आशीर्वाद मांगने के लिए आया। शिवजी ने कहा कि किस तरह का वरदान मांगने आए हो। उस असुर का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने कहा शिवजी भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, जिस वरदान के मिलने के बाद अगर मैं किसी के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दूं, तो वह भस्म हो जाए। शिवजी ने असुर को वही वरदान दे दिया। भस्मासुर ने वरदान मिलने के बाद शिवजी से प्रार्थना की कि आपके सिर पर मैं अपने हाथ रखूंगा और वरदान की प्रमाणिकता देखूंगा कि वरदान सही है या नहीं है। इसके बाद बेचारे भगवान शिव को भागते-भागते अपनी रक्षा करनी पड़ी और आज यही हालत एमसीआई को लेकर भारत सरकार की है। ऐसे ही शिव को भी खुद की रक्षा करनी पड़ी, वही हालत हमारे देश की सरकार की भी हुई।...(व्यवधान) एमसीआई को इतना पॉवर दिया और उस एमसीआई ने आज हिन्दुस्तान की सरकार में क्या किया?...(व्यवधान) This is the kind of situation. It is a very heartrending fact.

The amendment that the Government is trying to bring out is very welcome, and I support it. लेकिन बिल पर समर्थन के साथ साथ मेरी कुछ मांग है। पूरे जोर से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला मुद्दा है कि आज हमारे बोडोलैंड अंचल में कम से कम 30 लाख पोपुलेशन के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।...(व्यवधान) उन्होंने क्या अपराध किया है? What kind of crime has been committed by the people of Bodoland? Why should they be deprived of having at least one medical college?

So, I would like to urge upon the Government of India, through you, Sir, to take an appropriate policy decision for setting up a separate medical college for Bodoland.

During the NDA regime, one policy decision was taken to set up six numbers of AIIMS model Institutes in different States of the country. अभी की यूपीए सरकार उसको इम्पलीमेंट करने जा रही है। You are going to establish six numbers of AIIMS model Institutes in different States of the country. Why do you not establish one such Institute in Bodoland? That is a vital question. हमारे लोगों को अनेक तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। काफी लोग असम में मर रहे हैं। हर साल काफी लोग टी.बी. से और मलेरिया से

मर रहे हैं। This kind of discrimination is not at all tolerable. मेरी एक मांग है कि हिन्दुस्तान में जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में सीट्स वृद्धि करने की दिशा में आप कदम उठाएं। Why should there be only 50 seats in AIIMS for MBBS course? एमबीबीएस कोर्स की सिर्फ 50 सीट्स हैं। आप 100 क्यों नहीं कर सकते? Why can you not increase the number of seats to 100 or 200? आज हमारे एक साथी सदस्य डाक्टर ने जिक्र किया कि मुम्बई में एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देना पड़ा। कितने लोग दे पाएंगे?

आप लोग हमेशा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। You keep on boasting of India's GDP growth. उस इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से हमारा क्या होगा? वह 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 11 प्रतिशत तक भी वृद्धि होने से भी देश के पिछड़े हुए अंचल के लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होगा? देश की जीडीपी सारी दुनिया में एक नम्बर पर चले जाने से भी हमारा क्या फायदा होगा? इसलिए मेरी मांग है कि हमारे बोडोलैंड अंचल के लिए कम से कम एम्स मॉडल का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए और उसका नाम अगर जरुरत पड़े तो राजीव गांधी मैमोरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट आप लोग रखिए। नाम से हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए।...(व्यवधान) एम्स जैसा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए। आपने पिछले जुलाई महीने में चार लोगों को गवर्निंग बॉडी में रखा। इनमें से चारों आदमी भी बाहर से हैं। Why have you kept only these outsiders? These four members have been inducted from different private companies and corporate houses. Why not from the Government of India from either AIIMS or any other else? एम्स से कोई भी प्रोफैसर इस एमसीआई में सदस्य के रूप में नहीं है। यह बहुत शर्मिन्दगी की बात है। Why should they be inducted only from private medical institutes? मैं आपको बताता हूं कि एक के.शर्मा हैं, उनको टाटा मैमोरियल सेन्ट्रल मुम्बई से लाया गया है। सरकार के साथ उनका क्या रिश्ता है? दूसरे हरबदन सिंह साहब हैं, उनको मैक्स हार्ट एंड वसकुलर इंस्टीट्यूट, दिल्ली से लाया गया है। उनका क्या रिश्ता है और तीसरे राजीव चिंतामोहन हैं। उनको सिम्बैसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लाया गया है।

उनसे क्या लेनादेना है? पुरुषोत्तम लाल साहब को इंटरनेशनल कार्डियोलाजी एंड चेयरमैन मेट्रो ग्रुप आफ हास्पीटल से लाया गया। सरकार के साथ क्या रिश्ता है? यह बहुत गलत है। मैं मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से लाना चाहिए। एम्स की तरफ से लाइए, हिन्दुस्तान में जहां मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटीज है,

वहां से लाइए। नया मेडिकल कालेज खोलने के सिलसिले में जो प्रावधान है, उसे सरल करना चाहिए ताकि रुरल एरिया में मेडिकल कालेज बन सके।

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I welcome this amendment to the Indian Medical Council Act brought before this august House. As of now, education is neither in the exclusive domain of the Union nor of the States. It is in the Concurrent List. Now we understand that the Union Government proposes to hold Common Entrance Test for admission in professional courses like engineering and medicine. Especially the move of the Government of India to go in for a Common Entrance Test for those who seek medical education would be like taking away the rights of the State Governments. I would like to urge upon the Union Government to give a freehand to the state governments to evolve policies pertaining to education particularly professional education like medical education. Centre must ensure that more seats are available in Government run medical colleges. Our education system has become highly commercial because of private players. Children belonging to poor families and rural areas are not able to get admissions in Medical colleges even if they obtain 1150 out of 1200. It has become wide and open all over India that medical seats sell at 25 to 50 lakhs. This sort of trend is prevailing because of corrupt practices resorted to by private players. This has resulted in denial of seats in medical institutions to the deserving poorer sections of the society. People hailing from rural areas are not able to get access to medical education. The sole reason behind this, in my opinion, is the undue importance given by the Government of India to private medical institutions. When we highlight this mismatch the Government of India comes out with an explanation that the Medical Council of India is an autonomous body. They also say that they cannot intervene in the affairs of that independent body. The Union Government must not shirk its responsibility and it

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

must ensure that the bright people from poor background and rural areas also get their due share in getting opportunities to get admission in professional institutions like medical colleges.

We strongly oppose the move of the Union Government to hold Common Entrance Test for medical college admissions. As far as Tamil Nadu is concerned, the State Government there is taking steps to hold a Common Entrance Test within the State. All the political parties in Tamil Nadu are united in their view that there must not be a Common Entrance Test at the national level and if need be, it can be at the State level. The Centre must not interfere and it must give a free hand to the State Governments to decide their education policy which would include medical education also. It would be an unequal race to force students rural areas to take Common Medical Entrance Test at the national level. Hence I urge upon the Union Government to once and for all give up this move to hold national level Common Entrance Test.

We watch repeatedly the move of the Union Government to decide things pertaining to education though it is in the Concurrent List. Hence I strongly feel that it would be better to bring back Education to the State List. In the case of medicine, we find that private sector is encouraged more by the Centre leading to deprivation caused to the rural poor. Education as a business and being run as teaching shops and commercialization of professional education like medicine must be checked.

I urge upon the Union Government to take effective measures to arrest this trend. With these words, I conclude.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : माननीय मंत्री जी, कृपया हिंदी में बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं, चूंकि 90 परसैन्ट भाषण यहां हिन्दी में ही हुए हैं, सिर्फ हमारे दो-तीन साउथ के साथियों को छोड़कर सभी ने हिन्दी में भाषण किये हैं। इसलिए मैं हिन्दी में ही भाषण करूंगा। यहां करीब 18 सांसदों ने भाषण दिये, अपनी राय रखी, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे पहले कि मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूं, मैं आप सबसे दायें, बायें, सैन्टर और अपने पीछे भी निवेदन करूंगा कि सैशन से पहले मई, जून के महीने में जब यूपीए-2 ने दो साल पूरे किये थे तो इसके बाद एक किताब हमने छपवाई कि दो साल में क्या-क्या एक्टिविटीज हुईं और वह हमने सभी ऑनरेबल मैम्बर्स, लोक सभा और राज्य सभा के घरो के एड्रैस पर भेजी, ताकि इंटरसैशन में हमारे साथी उसे पढ़ें। लेकिन जब भी कोई साथी मेरे ऑफिस में आते हैं और मैं उन्हें बताता हूं तो वह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। आज जो चर्चा हुई या इससे पहले इस सदन में या उस सदन में चर्चा हुई तो मुझे लगता है कि एक या दो साथियों के अलावा आठ सौ मैम्बर्स के सदन में किसी ने वह किताब नहीं पढ़ी है। वह किताब मेरे लिए जरूरी नहीं है, वह इस देश के लिए जरूरी है और हम सबके लिए जरूरी है। यदि आप उसे पढ़ना चाहें तो मैं उसे दोबारा भिजवा सकता हूं। सैशन के दौरान यहां सभी को भिजवा दूंगा। जाहिर है एमपीज की डाक बहुत आती है। लेकिन वह हमने इतनी सुंदर बनाई थी, ताकि वह आपकी नजरों से हट न जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : लेकिन उसे हिंदी में बनवाइये, सब पढ़ते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उसका यह फायदा होता कि मेरी अकेले की या मंत्रालय की आवाज हर जगह नहीं पहुंच सकती। स्वास्थ्य का संबंध हर व्यक्ति से है, जिस वक्त उसने जन्म लिया और जब तक वह कब्र या श्मशान घाट में नहीं पहुंचे, तब तक उसका संबंध स्वास्थ्य से रहता है। जो इनिशिएटिव्ज सरकार ने लिये हैं, उस स्वास्थ्य को हर घर में पहुंचाने के लिए यदि आप वह किताब पढ़ेंगे तो आप अपनी कांस्टीटुएंसी के मतदाताओं के स्वास्थ्य लिए खुद उसका प्रचार करेंगे। यह मेरा सबसे पहला निवेदन है।

मैं एक चीज बताना चाहता हूं, चूंकि आखिर के स्पीकर ने भी और उनसे पहले श्री संजय जायसवाल जी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो नये मैम्बर्स हैं, ये कौन हैं, कहां से आये और कैसे आये हैं। आप अकेले आदमी नहीं है। जब कम जगहें होती हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें लेना चाहते हैं। हमको सब अनुभव है, मुझे भी संसद के इस हाउस, उस हाउस और विधान सभा में मिलाकर 32 साल हो गये हैं। जब हम इलैक्शन लड़ते हैं तो पूरे 15-20 लाख में एक कैन्डीडेट होता है तो दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं, वे दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया होता है, उस तरह के आरोप लगते हैं। इसीलिए इस तरह की जब जगहें होती हैं, मैडिकल काउंसिल में बनने वाले छः या सात होते हैं और कई

हजार डाक्टर बनना चाहते हैं और जब वे नहीं बन पाते हैं तो वे मुझे भी फैक्स भेजते हैं, प्रधान मंत्री को भी भेजते हैं, एमपीज. को भी भेजते हैं और कभी-कभी उसे वैरिफाई किये बगैर हम उनके झांसे में आ जाते हैं और एक व्यक्ति की जो उम्र भर की छवि है, एक भाषण में उसे खत्म कर देते हैं।

मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि न सिर्फ एमसीआई के लिए, बहुत सारे बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि होते हैं। कभी भी हम किसी के कहने से न करें क्योंकि हर आदमी का कोई न कोई अपना वेस्टिड इंट्रस्ट होता है और इसमें भी ऐसा ही लगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये कौन हैं इनका कोई पता नहीं? मै शायद कह सकता हूँ कि यह पहली दफा है कि पांच सदस्यों में एक पद्मश्री है, एक पद्मभूषण है, एक पद्मविभूषण है। जिन लोगों ने पद्मश्री दिया, जिन लोगों ने पद्मभूषण दिया, जिन लोगों ने इनको पद्मविभूषण दिया, वह घर में बैठकर नहीं दिया होगा। होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं। आज सभी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जो वह करेगी। वे तमाम जांच-पड़ताल करने के बाद उनकी मेरिट पर ही पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण देते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और उनका पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। मैं यह आप सभी से कह रहा हूँ, किसी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ।

DR. SANJAY JAISWAL : He should be a teacher

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अच्छा! टीचर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यह आपने वेरीफाई किया है?

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): एमबीबीएस कोर्स के कोई टीचर नहीं हैं।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let me read it. Let the House decide. Let me, first of all, say about Mr. Talwar. He is Padma Bhushan – Assistant Professor 1977; Lecturer 1977-78; in Chandigarh PGI, Assistant Professor 1978-79; Assistant Professor Cardiology, All India Institute of Medical Sciences, Delhi 1980-85; Associate Professor of Cardiology, AIIMS 1986-87; Additional Professor, AIIMS 1988-92, Professor Cardiology, AIIMS 1992-2004; and Professor and Head of Department Cardiology 2004-05. He is Doctor, Professor and Head of Department Cardiology, PGI Chandigarh and Padma Shri. आपने भी कहा कि डा. के.एस. शर्मा कौन हैं? हमारे देश का सबसे प्रिस्टीजश, गवर्मेंट ऑफ इण्डिया का, एटामिक एनर्जी का, एटामिक एनर्जी के मंत्री पं.नेहरू से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी हैं। जो आप कह रहे हैं यह गवर्मेंट ऑफ इण्डिया का हास्पिटल है, प्राइवेट नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Tarun, please take your seat.

SHRI GHULAM NABI AZAD: You had your say. Please let me complete. I am not saying any individual thing against anybody.

MR. CHAIRMAN: Except Minister's statement, nothing will go in record.

(Interruptions) ... *

SHRI GHULAM NABI AZAD: I will come to that. First of all, who is who, who they are वह तो सेटल होना चाहिए। जब हम यहां हाऊस में बोलते हैं तो अखबरों में छपता है। इनमें से कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमने भी मेरिट पर सलेक्ट किया है। देश का एकमात्र सबसे बड़ा कैंसर का सरकारी हॉस्पिटल, टाटा मैमोरियल, मुम्बई में है। He served as Senior Resident, Joint Department of Anesthesiology Critical Care, Tata Memorial and then selected as Assistant Professor 1985 in the Department of Anesthesiology and Critical Care in Tata Memorial Hospital, Mumbai. After that he was promoted as Associate Professor in 1990, then Postgraduate Teacher and Examiner for MD.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मंत्री जी, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सभापति जी, एसोसियेट प्रोफैसर प्रोफैसरों को पढ़ाता है। क्या बात करते हैं! जो एमबीबीएस करके आते हैं, ये उनको पढ़ाते हैं। एमबीबीएस करे बिना कोई प्रोफैसर कैसे बनेगा। क्या बात करते हैं आप? ...(व्यवधान) एसोसियेट प्रोफैसर कैसे बनेगा एसिस्टैन्ट प्रोफैसर - तब बनेगा, जब एमबीबीएस करेगा, उसके बाद एमडी करेगा, उसके बाद डीएम करेगा, तब एसिस्टैन्ट प्रोफैसर बनेगा। उसके बाद 1995 में वह प्रोफैसर और हैड ऑफ द डिपार्टमैंट भी बन गया। लैक्चरर भी, एसिस्टैन्ट प्रोफैसर भी, एसोसियेट प्रोफैसर भी, प्रोफैसर और हैड ऑफ द डिपार्टमैंट भी और आज हैड ऑफ डिपार्टमैंट और डायरैक्टर है। खुदा के लिए आप अपना ज्योगराफ़िया ठीक कर लीजिए। ...(व्यवधान) आप कहते हैं कि डाक्टर प्रोफैसर रिसम कौन हैं? डॉक्टर प्रोफैसर एच.एस.रिसम हैं एमडी, डीएम, एफआईसीआई, आरसीपीआई, और भी एक दर्जन डिग्रियाँ हैं। ये भी पद्मश्री हैं। ये डायरैक्टर, मैडिकल साइन्सेज़, बतरा हॉस्पिटल में रहे, एसोसियेट डायरैक्टर, एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में रहे। आप सुनिये। जब कोई प्रोफैसर बनता है तो पहले लैक्चरर बनता है, फिर एसिस्टैन्ट प्रोफैसर बनता है, फिर एसोसियेट प्रोफैसर बनता है, और फिर प्रोफैसर बनता है। ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूँ ना। आप कल मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइए। ये रहे हैं प्रोफैसर ऑफ मैडिसिन, कार्डियोलॉजी, गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज, जो आज का नहीं है, महाराजा जम्मू कश्मीर के समय का है, जो आज से नहीं है, आज़ादी से पहले का है और स्टेट कैपिटल का

* Not recorded.

मैडिकल कालेज है। जो स्टेट कैपिटल का मैडिकल कालेज का प्रोफैसर रहा, किसी गाँव का होता, तो भी आप कहते। प्रोफैसर वह तभी बना जब नीचे सब सीढ़ियाँ चढ़ा और लैक्चरर से प्रोफैसर बन गया। ये मेरे साथी बैठे हैं। आज ये देश के टॉप वकील हैं लेकिन होम मिनिस्टर हैं। आप कहें कि यह प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए ये होम मिनिस्टर नहीं हो सकते। अरे भाई! कल तक तो प्रोफैसर थे, बीस साल प्रोफैसर रहे, आज अगर वे प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरैक्टर बन गए तो उसकी बीस साल की पढ़ाई एज़ प्रोफैसर, एज़ एसिस्टैन्ट प्रोफैसर क्या धुल गई? यहाँ भी माननीय संजय जी, आप गलत हैं। ...(व्यवधान) इसमें सुझाव की क्या बात है? यह गलत बात होती है अगर किसी को आप इस तरह से डिसमिस कर दें तो बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको गलत नहीं करना है।

फिर डॉ. राजीव का आपने बताया। हमारे देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन है सिम्बियॉसिस इंस्टीट्यूशन। 27000 बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पूरे देश के पढ़ते हैं। 3000 बच्चे तकरीबन 80 देशों से पढ़ते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस यूनिवर्सिटी को, जिसमें 70 देशों से ज्यादा देशों के लोग और 27000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, उसको चलाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होगा। आप कहेंगे कि क्या कालेज में पढ़ाया है? मैं उस पर आता हूँ। Educated from the prestigious JB Medical College, Pune in 1985 securing the top honours in the General Surgery and Gynaecology. He completed his Masters in 1989 and was awarded gold medal by the university for his academic profession and was selected by the Public Service Commission for teaching profession in JB Medical College. His teaching experience to-date is 24 years.

Now I come to Dr. Purushottam. … (*Interruptions*) He is Padma Vibhushan, not Padma Shree. After Padma Shri comes Padma Bhushan and then Padma Vibhushan. He has got post-graduate training and teaching experience of more than 20 years. In addition to this, he is a Fellow, American College of Cardiology; Fellow, American College of Medicine; Fellow, Royal College of Physicians, Canada; Fellow, Society of Cardiac Angiography and Interventions, USA: Fellow, Indian College of Cardiology; Member, British Cardiovascular Interventional Society; Member, German Society of Cardiovascular Research; and Member, Council of Health. … (*Interruptions*)

मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया, आप इसे पर्सनल मत लीजिए। जब जगह बहुत होती हैं और मांगने वाले बहुत होते हैं तो इस तरह की कम्पलेंट भेजते रहते हैं। इसलिए हम जब भी किसी के बारे में किसी फोरम में बोलें, केवल इन्हीं के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी, तो हमें हमेशा ही वैरीफाई करना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। यह मेरे अपने साथियों के लिए है। यह एक सदन है और में पक्ष और विपक्ष का भेदभाव नहीं करना चाहता हूं। मैं भी यही करता हूं कि जब भी कोई किसी के बारे में शिकायत भेजता है तो मैं उसको डिफरैंट सोर्सिज़ से वैरीफाई करता हूं, वरना तो रोज़ ही हम गर्दनें काटेंगे डॉक्टरों की और इसकी-उसकी।

जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल है कि यह क्यों आया? उसके बारे में मुझे नहीं कहना है क्योंकि जब एक साल गुज़र जाता है, तो उसके बाद भूल जाता है कि उस वक्त क्या हालात थे। उस वक्त बहुत ख़राब हालात थे। सदन में घुसना बड़ा ही मुश्किल होता था। लोग कहते थे, जल्दी ही एक्शन ले लो और जल्दी एक्शन लेने के हमारे पास दो ही रास्ते थे। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ओवरआर्चिंग बॉडी और इसका नाम है नेशनल कमीशन फोर ह्यूमन रिसोर्स फोर हेल्थ। हमारी सरकार जब आयी थी, तब राष्ट्रपति जी के प्रथम अभिभाषण में हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक ओवरआर्चिंग बॉडी रखी गई। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यह नहीं मालूम होता है कि कितना इसमें डीप जाना है। उसमें जब आप डीप जाएंगे, विभिन्न लोगों से बात करेंगे तो मालूम होता है कि यह बहुत गहरा है। ऊपर से जितना दिखता है, उतना शैलो नहीं है। जब मालूम हुआ कि इसमें हमारी मिनिस्ट्री ने केवल काग़ज़ नहीं भरने हैं। इसमें राज्यों, मेडिकल कॉलेजों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलरों और राज्य सरकारों से बात करनी होगी। यह बहुत लंबा प्रोसैस चला, जिसमें कितने ही सेमिनार और मीटिंग्स हुईं। उसके बाद इंटर मिनीस्ट्रियल डिसक्शन में भी समय लग गया। अभी यह लॉ मिनिस्ट्री से क्लीयर होकर कभी भी केबिनेट में आ सकता है। हमारे साथियों ने कहा कि आप इस बारे में बिलकुल पक्का क्यों नहीं कहते हैं। अब मैं कल के लिए कह दूं तो क्या आपमें से कोई मुझे गारण्टी दे सकता है कि कल आप 12 बजे नहीं जाएंगे, कोई नहीं दे सकता है। आप पूरे दो हफ्ते सदन चलने देंगे। क्या आप इसकी गारण्टी दे सकते हैं कि आप विंटर सैशन चलने देंगे? क्या आपमें से कोई गारण्टी दे सकते हैं कि आप अगला बजट सैशन चलने देंगे? यह तमाम चीजें, मैं मज़ाक में बात नहीं कर रहा हूं। यह बिल मुझे पिछले साल लाना था, लेकिन यह पिछले दो सैशन में नहीं आ पाया, क्योंकि हाउस नहीं चला। इसलिए यह तमाम चीजें किसी इंसान के या किसी मिनिस्टर के हाथ में नहीं होती हैं, बल्कि हालात पर निर्भर होता है। मैं यदि इसे अब ले भी आता हूं, तो लाने के बाद भी यदि इस सैशन में बिल तैयार हो गया तो मुझे केबिनट से पास करके सदन के पटल पर रखना है।

17.00 hrs.

फिर यह जाएगा स्टैण्डिंग कमेटी में। अब स्टैण्डिंग कमेटी मेरे हाथ में नहीं है। वह स्टैण्डिंग कमेटी इसको छः महीने के बाद भेजेगी या एक साल के बाद भेजेगी। यदि मैंने आज आपको आश्वासन दिलाया और फिर स्टैण्डिंग कमेटी उस पर एक साल बैठ गयी तो फिर आप मुझे पकड़ेंगे कि आपने मुझे डेट दी। अगर स्टैण्डिंग कमेटी से आ भी गया तो इसकी कौन जिम्मेदारी देगा कि आप सदन चलने देंगे और मैं बिल पास कराउंगा। यह हकीकत है। मुझे पार्लियामेंटरी अफेयर्स का तकरीबन बीस सालों का अनुभव है। इस लोकतंत्र में और इस सिस्टम में यह आश्वासन देना कि बिल्कुल इस दिन आएगा, यह कहना मुश्किल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जितना भी प्रयास सरकार की तरफ से हो जाए उतना जल्दी से जल्दी आ जाए। आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है कि हमारे सर से ये जो बोझ हल्का हो जाए, उस ओवर आरचिंग बॉडी के पास चला जाए। मैं सामान्य बातें कह रहा हूं।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने कहा कि इसने एजुकेशन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं लाया है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप लोगों ने वह बुकलेट पढ़ी होती तो आपको "दूध का दूध और पानी का पानी" मालूम होता। शायद जितने दो सालों में मेडिकल एजुकेशन में हमने परिवर्तन लाए, इतना 62 साल में कभी भी सीटें बढ़ाने में इतना परिवर्तन नहीं आया। कभी भी एक साल में पांच या छः मेडिकल कॉलेजों से ज्यादा नहीं बढ़े। यह पहली दफा है कि पिछले तीन सालों में 46 नए मेडिकल कॉलेज आ गए। एक अकेले इस साल 21 नए मेडिकल कॉलेज आ गए। मैं इसमें बताता भी हूं कि कैसे आ गए?...(व्यवधान) मैं सबका उत्तर दूंगा। उसके बाद किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। मैं सब चीजों पर जवाब दे रहा हूं। ये सीटें बढ़ गयीं। अब तीन सालों में 8000 एम.बी.ए.एस.। जब मैं आया था तो मंत्रालय में तो 32000 सीटें थीं, आज 41000 सीटें हैं। कभी भी इतनी सीटें दो साल के अंदर नहीं बढ़ी। अब एम.डी. की सीट को देखें। मैंने दो सालों में रिकार्ड देखा। कभी भी एम.डी. की सीटें दो साल में 600 से ज्यादा नहीं बढ़ीं। यह 65 सालों में पहली दफा है कि दो सालों में 8000 एम.डी. की सीटें बढ़ी। ये कैसे बढ़ी? जब मैंने यह देखा कि लड़ाई एम.सी.आई. और कॉलेजों की चल रही हैं तो मैं दो नतीजों पर पहुंचा कि एक लड़ाई इसलिए है कि मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टीज की कमी है, पढ़ाने वालों की कमी है क्योंकि एक ही प्रोफेसर को दस मेडिकल कॉलेज लेते हैं। जैसे आज डॉक्टरों को लेते हैं। एक कॉलेज प्रोफेसर को लेता है 50000 रूपए में। दूसरा कॉलेज उस प्रोफेसर को वहां से भगा कर लेता है एक लाख रूपए में, तीसरा उसको वहां से भगाकर उसे दो लाख रूपए देता है, चौथा कॉलेज उसे चार लाख रूपए देता है। जिस वक्त मेडिकल कॉलेज में वे प्रोफेसर थे, उस वक्त तो एम.सी.आई. ने अनुमति दी, लेकिन जब निरीक्षण करने आ

गया तो पता चला कि छः भाग गए हैं तो एम.सी.आई. वाला तो उस कॉलेज को रिजेक्ट करेगा ही। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके पास पूरी फैकल्टीज नहीं है। मैं इस मामले में इस नतीजे पर पहुंचा कि हमको एक्जीस्टिंग मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टीज बढ़ानी है और क्वालिटी एजुकेशन देनी है। यह एम.सी.आई. जो कभी उन्हें एक साल मान्यता देती है और दूसरे साल नहीं देती है, यह भी सवाल आप पूछेंगे कि इस साल मान्यता दी और अगले साल क्यों नहीं दी। लेकिन अगले साल उस कॉलेज के प्रोफेसर को कोई भगा कर ले गया और अगर एम.सी.आई. इसके बीच में आएगी तो वह तो मान्यता नहीं देगी। ये टेक्नीकल चीजें आपको मालूम नहीं होगी। लेकिन यह होती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हम लोगों ने यह किया कि अगर सबसे ज्यादा हमें किसी पर ध्यान देना है तो हमको फैकल्टीज बनाने पर ध्यान देना होगा।

हमने पहला आर्डर दे दिया कि दुनिया के दूसरे देशों में देखें कि वहां एक प्रोफेसर और एक एडीशनल प्रोफेसर कितने एमडी के स्टुडेंट्स को पढ़ाता है। हमारे यहां एक प्रोफेसर और एक एडीशनल प्रोफेसर सिर्फ एक एमडी वाले को पढ़ाता था। हमने वह रूल चेंज कर दिया कि एक प्रोफेसर और एक एडीशनल प्रोफेसर दो एमडी स्टुडेंट्स को दूसरे देशों की तरह पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली डबल हो गए। ये आठ हजार मैंने अपनी जेब से नहीं दिए। हमने पॉलिसी में परिवर्तन लाया, हमने दिमाग लगाया, जैसे वकील साहब कह रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ गई। दूसरा हमने यह किया कि उम्र बढ़ा दी। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर तजुर्बा किया, ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट हो, पीजीआई हो, नौ इंस्टीट्यूशंस हमारे अंडर हैं, जिनके स्वास्थ्य मंत्री प्रेजीडेंट होते हैं। उनमें हमने रिटायरमेंट की फेकल्टी की उम्र बढ़ा कर 65 साल कर दी। उसके बाद हमने पूरे देश के मुख्य मंत्रियों को लिखा कि आप फेकल्टी की उम्र 65 साल करें, क्योंकि जो रिटायर होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं उम्र 58 साल है और कहीं 55 साल है तो आपको छः-सात साल के लिए, जब तक हमारे नये एमडी तैयार हो जाएंगे, तब तक आपको फेकल्टी मिलेगी।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में मेरे कहने से फेकल्टी की उम्र बढ़ाई, लेकिन हमारे यहां कुछ साथी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ स्टेट्स में सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरे कई दफा मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों को लिखने के बावजूद भी वे फेकल्टी की उम्र नहीं बढ़ा रहे हैं, उससे उनका नुकसान हो रहा है। वे रिटायर हो जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): मध्य प्रदेश में बढ़ाया है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मुझे नहीं लगता और अगर बढ़ाया होगा तो आपको बहुत बधाई। हमने एक काम यह किया कि प्राइवेट कॉलेजों में पिछले साल 60 से 65 साल किए और इस साल 65 से 70 फेकल्टी के लिए किए, क्योंकि हमने विदेशों में देखा कि अमेरिका में पढ़ाने वाले की कोई उम्र ही नहीं है। वहां 80-85 साल का प्रोफेसर भी पढ़ा रहा है तो हमने कहा कि यहां हमें प्रोफेसरों और लेक्चरार्स की इतनी जरूरत है और यहां हम 55 साल में ही उन्हें रिटायर कर देते हैं। इसलिए हमने इनकी उम्र बढ़ा दी। आज मैं, बजाए आप मुझे कहते हैं कि फेकल्टी नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से एमडी की सीटें बढ़ाई, अगले साल और बढ़ाईं। मेरा पांच साल का टारगेट है कि कम से कम 15 हजार सीटें बढ़ें। 60 सालों में सिर्फ 13 हजार बढ़ी हैं, मैं सिर्फ पांच सालों में 15हजार बढ़ाना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। ...(व्यवधान) ये कॉलेजेज़ राज्य सरकारों को बनाने होते हैं, हम नहीं बनाते। माफ कीजिए, मेडीकल कॉलेज राज्य सरकार बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाती है।

मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपने-अपने राज्य में जाएं। अगर छ:-सात साल के लिए आपने मेडीकल कॉलजेस को चलाना है, जब तक ये फेकल्टी एमडी करके आएंगे तो कृपा कर उन्हें कहें कि जो हमने नया परिवर्तन कहा कि 65 साल उनकी उम्र कर दीजिए तो आपकी फेकल्टी की प्रोबलम अपने आप ठीक हो जाएगी।

अब ये 46 मैडीकल कालेज कैसे आ गये, इतने सालों में क्यों नहीं आये। हमने मैडीकल कालेज के बनाने के नोर्म्स में भी परिवर्तन लाया। 35 एकड़ जमीन चाहिए, उस 35 एकड़ का एक पीस होना चाहिए, हमने उस 35 एकड़ को 20 एकड़ कर दिया। उस 20 एकड़ को भी, जो पूरी कंट्री के नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिल स्टेट्स हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं, उस 20 एकड़ को 10-10 एकड़ अलग-अलग जगह किया, क्योंकि एक जगह हिल स्टेशन में 20 एकड़ जमीन मिलना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने इसे किया। बड़े शहरों के लिए, जो मैट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं, उनमें 20 एकड़ जमीन भी नहीं मिलेगी, उसके लिए 10 एकड़ रख दिया, ताकि वह वर्टिकल जायें, होरीजेंटल नहीं जायें, यह परिवर्तन लाये। हम इतना ही परिवर्तन नहीं लाये, जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैडीकल कालेज में कैपीटल कॉस्ट 200-

250 करोड़ रुपया लगती है, इसके लिए नहीं बनाते। यह सच है। आज क्यों प्राइवेट सैक्टर में मैडीकल कालेजेज़ आते हैं, यह एम.सी.आई. का कसूर या हैल्थ मिनिस्ट्री का कसूर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लोगों में जिसके पास 250-300 करोड़ रुपया हो, वही मैडीकल कालेज बना सकता है, साधारण आदमी नहीं बना सकता और यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास 250-300 करोड़ रुपया है तो वह बनाये, उनको किसने रोका है। चूंकि मैडीकल कालेज सब स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाती है तो इसलिए यह मत पूछिये कि वहां क्यों बना और यहां क्यों नहीं बना। वह तो राज्य सरकारों को बनाना है।...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): लेकिन बोड़ोलैंड के ट्राइबल एरिया के लिए क्या प्रोवीज़न है?...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं उसी पर आ रहा हूं। इसीलिए तो मैंने लैंड का बताया कि बोड़ोलैंड हो या नोर्थ ईस्ट हो या हिल स्टेट हों, उनमें ज्यादा कंसेशन है।

अब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 250 करोड़ रुपये से भी कैसे कम आ जाये, ताकि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पीटल्स बनें, उसमें भी बहुत परिवर्तन लाये। उसमें ऑडिटोरियम की बिल्डिंग में परिवर्तन लाये, इत्तेफाक से मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा, इसलिए मुझे मालूम है। हम देखते हैं कि फिजिक्स की एक लैबोरेट्री अलग होती थी, कैमिस्ट्री की अलग, बोटेनी की अलग, जूलोजी की अलग होती थी और एक दिन में एक लेबोरेट्री में एक ही क्लास होती थी तो उसको हमने रैशनेलाइज़ किया कि क्यों एक लेबोरेट्री में फर्स्ट ईयर की, सैकिण्ड ईयर की या थर्ड ईयर की एक ही क्लास हो और एक ही पढ़े। सैकिण्ड ईयर वाला अगर दो घंटे करता है तो उसी लैब में थर्ड ईयर वाला 12 से दो तक करे, उसी लैब में दूसरी क्लास वाला 3 से चार तक करे, उसी लैब में 4 से 5 तक दूसरी क्लास करे तो इसको रैशनेलाइज़ किया और 14 लैब्स के बजाय 6 लैब पर लाये तो ऑटोमेटीकली उसकी कॉस्ट कम हो जायेगी, उसकी ऑडीटोरियम की कॉस्ट कम हो जायेगी। जो बिल्डिंग हैं, दूसरी बिल्डिंग हैं, उसमें कॉस्ट कम हो जायेगी।

मैडीकल कालेज किसी जंगल में नहीं होते हैं, इसलिए हमने लड़कियों की जो अनिवार्यता पहले की कि 100 परसेंट हॉस्टल होना चाहिए, हमने अब उसे सिर्फ लड़कियों के लिए अनिवार्य रखा। लड़कों के लिए सिर्फ 70 परसेंट पर आ गये, हम उसको 50 परसेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मैडीकल कालेज शहर में होते हैं, इसलिए गरीब लोगों के लिए किराये पर कोई रह जाये तो वह भी गरीबों के लिए एक इकोनोमिक एक्टिविटी होती है। उसमें भी उनकी कॉस्ट बदल गई। उस नये प्रोग्राम को चलते हुए अब नये एण्टरप्रिन्योर्स आ रहे हैं और ये ज्यादा मैडीकल कालेज ला रहे हैं। हम और देख रहे हैं कि क्या-क्या कंसेशंस किये जा

सकते हैं, without compromising the quality of the education, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैडीकल कालेजेज़ आयें, उसके लिए हम परिवर्तन ला रहे हैं।

ये परिवर्तन आज तक 60 साल से ज्यादा समय तक मैडीकल कालेज लाने के लिए कभी नहीं आये थे, जिसको आज आप बहुत सारे अनडैमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। उसी सो काल्ड अनडैमोक्रेटिक सिस्टम में हमने यह परिवर्तन लाया और जो सो काल्ड डैमोक्रेटिक सिस्टम था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, 60-65 साल से जो चलता था, उसी को चलने दिया, क्योंकि हमने परिवर्तन की पॉलिसी हैल्थ मिनिस्ट्री के पास रखी है और हमको डिमांड और सप्लाई मालूम है। जब एम.सी.आई. इलैक्टिड थी तो उनको खाली क्वालिटी देखनी थी कि क्वालिटी है कि नहीं, उनको डिमांड और सप्लाई का मालूम नहीं था। डिमांड और सप्लाई जो होती है, वह मिनिस्ट्री को मालूम होती है। चूंकि मिनिस्ट्री को डिमांड और सप्लाई मालूम थी और हमने पालिसी डिसीजन अपने ऊपर रखे और उनको बताया कि हमें यह चाहिए और यह परिवर्तन करो, यह उसी का परिणाम है, जिसको आप नकारते हैं कि यह सिस्टम आपने दो साल से गलत किया। मेरे हिसाब से यदि नहीं करते, तो आप वहीं 13 हजार पर आज होते, एमडी की सीटें 20 हजार पर नहीं होतीं, वहीं 32 हजार एमबीबीएस सीट पर होते, आप 41 हजार पर नहीं होते, आप उतने ही कालेजेज पर होते, आपको चालीस कालेजेज और नहीं मिलते। अगले साल और भी तीस-चालीस कालेजेज मिलेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, बीजेपी के एक साथी ने कहा, वहां से डाक्टर साहब ने कहा, डाक्टर साहब ने अगर बुकलेट पढ़ा होता तो चार महीने पहले ही उनको मालूम हो गया होता। मैं बहुत ही चैंपियन हूं, ...(व्यवधान) मैं चैंपियन हूं रूरल एरियाज का, 95 परसेंट हमारे एमपीज चैंपियन हैं, कॉज फार रूरल एरियाज, आई एम वन आफ देम। इसमें मैंने खुद रूचि ली, मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन से हमने यह कराया कि हमें रूरल एरियाज में डाक्टर्स को पुश करने के लिए क्या करना चाहिए। बदकिस्मती आज है, दुर्भाग्य से डाक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की लत लग गयी है, जबकि गांव में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है। अगर कर भी देगा तो उसे मरीज दस रूपए देगा जबकि शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस है, जहां मुंहबोली मांग मिलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नयी बीमारी पैसे कमाने की लग गयी है। कितना भी नोबल प्रोफेशन है, माफ कीजिए लेकिन उतना ही नोबल पैसे कमाने का भी कॉज बन गया है। यही कारण है कि आज आप कोई भी कंसैशन दीजिए तो कोई भी गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। डेढ़-दो साल पहले हमने यह शुरू किया, फिर नोटिफिकेशन भी की और एमसीआई के द्वारा दो बड़े परिवर्तन लाए। कुछ परिवर्तन हमारी मिनिस्ट्री के अंदर थे। एमसीआई के बारे में दो परिवर्तन लाए कि एक जो लड़का एमबीबीएस करेगा, जब वह इंट्रेंस एग्जाम में नेशनल लेवल पर बैठेगा, बहुत सारे लड़के

इसमें फेल भी होते हैं, यदि वह एक साल डिजिग्नेटेड रूरल एरिया में काम करेगा, हमने मिनिस्ट्री में बना दिया है कि डिजिग्नेटेड एरियाज कौन से हैं वरना डिजिग्नेटेड नहीं रखेंगे तो गांधी नगर वाला कहेगा, अहमदनगर आबाद रूरल एरिया है और हम दिल्ली वाले यहां कहेंगे कि जामा मस्जिद रूरल एरिया है, मैं वहां काम करके आया हूं। इसलिए हमने डिजिग्नेटेड एरियाज रखे हैं। जो उन डिजिग्नेटेड एरियाज में एमबीबीएस करने के बाद एक साल सर्विस करेगा और उसमें केवल सरकारी नहीं, मैंने उसमें खुद प्रोवीजन चेंज किया कि सरकारी नौकरी ही नहीं, एडहॉक पर भी लग जाए या कांट्रैक्चुअल पर लग जाए, ताकि ऐसा न हो छः महीने या एक साल सिलेक्शन न हो। मैंने यह शब्द भी यूज किया है कि कांट्रैक्चुअल भी लगाओ, क्योंकि कांट्रैक्चुअल तो वाक-इन इंटरव्यू से हो जाता है। अगर वह एक साल रहा, तो जितने भी उसे इंट्रेंस एग्जाम में नंबर मिलेंगे, उसके ऊपर दस परसेंट मार्क्स मिलेंगे। यदि मैंने एग्जाम दिया, टोटल नंबर सौ हैं और मुझे पचास नंबर मिले तो पचास पर मुझे एक्स्ट्रा दस नंबर मिलेंगे। यदि अगर वह दो साल लगातार उस रूरल एरिया में रहेगा तो उसे दस परसेंट मार्क्स और मिलेंगे, यदि तीन साल रहा तो तीस परसेंट मिलेंगे। मैंने कई प्रेस कांफ्रेंसों में कहा कि अगर वह तीस परसेंट के बाद भी फेल हो जाता है, तो उसे एमडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं भी तीस परसेंट के बाद एग्जाम पास कर सकता हूं। ...(व्यवधान) यह अभी डेढ़ साल से चल रहा है, लेकिन कोई खुद का बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐज प्रेजीडेंट आफ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और पीजीआई जाता हूं, जब साल के बाद कन्वोकेशन में उनको डिग्री देता हूं। मैं थोड़ा ज्यादा समय उस पर बर्बाद करता हूं। पांच सौ से छः सौ लड़के-लड़कियों को जब डिग्री देता हूं, साथ में कान में पूछता हूं, कोई असम की होती है, कोई कश्मीर की होती है, कोई केरल की होती है, कोई नागालैंड की होती है, तो उन चार सौ में से एक भी अपनी स्टेट में जाने के लिए तैयार नहीं होता है।

जब मैं उनसे पूछता हूं कि अब एमडी की डिग्री मिलेगी तो अपने स्टेट में जाएंगे। वे कहते हैं कि नहीं, यहीं दिल्ली में ही रहेंगे। यह मानसिकता बनी है कि वे अपने स्टेट में भी नहीं जाना चाहते। जो व्यक्ति ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वह अपने स्टेट में भी नहीं जाना चाहता, आप रूरल एरिया की बात करते हैं। सर्विंग डाक्टर्स जो एमडी के लिए ऐंट्रेंस इग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दस साल से डाक्टर बना है, कोई बीस साल से बना है, वह इम्तहान नहीं दे सकता, उनके लिए हमने एक स्कीम निकाली। सर्विंग डाक्टर जिन्हें एमडी का डिप्लोमा मिलता है, उसके लिए हमने कहा जो सर्विंग डाक्टर तीन साल डैज़िगनेटेड रूरल एरिया में सर्विस करेगा, उसके लिए दस, बीस, तीस, चालीस नहीं बल्कि पचास प्रतिशत रिजर्वेशन होगी। इस बात को डेढ़ साल हो गए, लेकिन कोई नहीं आता। पचास प्रतिशत रिजर्वेशन डिप्लोमा के लिए, वह दस, बीस लाख रुपये घूस देगा, एडमिशन लेगा, लेकिन तीन साल रूरल एरिया में काम करने

के लिए पचास प्रतिशत के रिजर्वेशन के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइए कि हैल्थ मिनिस्टर इससे ज्यादा क्या कर सकता है। क्या मैं इसके अलावा और कुछ कर सकता हूं? मैं डिक्टेटर नहीं हूं। जब मैं कोई

परिवर्तन लाना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि रूरल एरिया के लिए हम यह स्कीम करेंगे, वह स्कीम करेंगे, उनकी मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि यह मत कीजिए, हमारे डाक्टर कहां जाएंगे, वे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने उन्हें अपने ऑफिस में कहा कि मैं आपको पूरी कंट्री की प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स की लिस्ट, जिसमें हर स्टेट के दस-दस, बीस-बीस सैंटर हैं, देता हूं। आप पांच सौ डाक्टर उन प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स में भिजवा दीजिए तो मैं रूरल एरियाज़ के लिए कोई नई स्कीम नहीं सोचूंगा। उन्होंने कहा कि यह तो हम नहीं दे सकते। जब आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने डाक्टर को रूरल एरिया में भेजने की बात कर सकते हैं तो आपको उस संस्था का प्रैज़ीडैंट बनने और उनकी वकालत करने का क्या हक है। यह तमाम चीजें हैं। वह एक किस्म की ट्रेड यूनियन ही होगी। इस वक्त कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। बीमार बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, बीएसपी, समाजवादी नहीं होता, बीमार बीमार होता है। बच्चा बच्चा होता है, प्रैगनैंट वूमैन प्रैगनैंट वूमैन होती है। हमें इन कुछ चीजों में एक होना चाहिए, इसमें पार्टी और पक्ष नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। अगर मैं पूरी बुक को विस्तार से पढ़ूंगा तो मुझे उसके लिए दो दिन चाहिए। इसलिए मैं आपको वह बुक भेजूंगा, आप उसे पढ़िए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा, माननीय सांसदों ने जो सवाल उठाए हैं, मैं उन सब सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम हूं, लेकिन उसके लिए दो-तीन घंटे लगेंगे जो मैं नहीं लगाना चाहता।...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को पास करें, उसके बाद एक दूसरा बिल है, उसे भी ऐसे ही पास कीजिए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापति महोदय, मैं अकलियतों के बारे में एक क्वश्चेन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, अकलियतों का सवाल है। ...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अभी दूसरा बिल भी है। ...(व्यवधान) आप इसे अलग से पूछिये। ...(व्यवधान) आप किसी वक्त क्वश्चेन में पूछिये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Sir, I would like to assure the House that the questions raised by the hon. Members with regard to individual areas, States, streams, medical colleges… (*Interruptions*) I would also like to tell the hon. Members that in the Five Year Plan, which has started, I have requested the Planning Commission, Vice Chairman and the Prime Minister to give me more funds, which they have assured to a great extent, to construct more hospitals across the country. This I think will

take care of the entire population and the entire region of the country.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आपने बिहार के बारे में कहां बोला? ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं उस पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अकलियतों की बात है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has already answered your questions.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एमसीआई ने ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not make a speech. You can only seek clarifications.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I will allow only one question.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह : सभापति महोदय, एमसीआई ने 21.12.2010 में एक सूचना जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय और कर्नाटक खंडपीठ, जिसमें 11 जजेज थे, उनका फैसला है कि जो माइनोरिटी के इंस्टीट्यूशन्स होंगे, उन्हें विशेष सुविधा और छूट दी जायेगी। वे अपना इम्तिहान स्वयं करा सकेंगे और एमसीआई के रूल्स से गाइडेड नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय और कर्नाटक की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसे मानकर आप इसमें संशोधन करेंगे और माइनोरिटी, अकलियतों के इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्हें विशेष सुविधा देंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : सभापति महोदय, मैंने एक क्वेरी की थी कि जो नया बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एमबीबीएस की जो परीक्षा होती है, उसे आप रीजनल लेंग्वेज और हिन्दी में करवायेंगे, जिससे गांव के गरीब वर्ग के बच्चे और बच्चियां अपना इम्तिहान पास कर सकें। ...(व्यवधान) आप इन दो बातों का जवाब हमे दीजिए। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): What are we doing? यह बिल पासिंग स्टेज पर है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

डॉ. ज्योति मिर्धा : सभापति महोदय, मैंने इस बिल पर बोलते समय एक मुद्दा उठाया था। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : बंसल जी, इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं सबके क्वश्चेन्स सुनने के बाद जवाब दूंगा। ...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : शैलेन्द्र कुमार जी, मुझे दो मिनट में अपनी बात कहने दीजिए। आप नया मुद्दा उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is your question?

… (*Interruptions*)

डॉ. ज्योति मिर्धा : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please ask a specific question.

DR. JYOTI MIRDHA : Yes, Sir. I am asking a specific question which I had already raised and I want the Minister to answer it. I had raised one query. The people who are in the new Board of Governors, they may be coming from the private sector. I wanted to get an assurance from the Minister. It is the responsibility of the MCI to look into the code of ethics and look into the ethics which are being practised by the medical practitioners. So, if these private hospitals or the private doctors have a conflict of interest how the Minister is going to safeguard it? This is my only question.

डॉ. संजय जायसवाल : सबसे पहले मुझ पर यह एलिगेशन लगाया गया था कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ...(व्यवधान) I have done MBBS from the Government Medical College. He does not know anything. I have done private practice for 12 years.

MR. CHAIRMAN : What do you want? You tell that.

DR. SANJAY JAISWAL : Sir, please put on the mike.

---

[*] Not recorded

हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा भाषण दिया हेल्थ पर, केवल एमसीआई पर नहीं कुछ नहीं बोला, neither he told why six MCI members have been removed nor why a decision was taken without the approval of Secretary of Appointments Committee of Cabinet?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपके प्रश्न का जवाब यह है कि वहां के सेक्रेटरी को हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं एप्वाइंट किया है, वह एप्वाइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की है। उसके खिलाफ एलिगेशन्स आई हैं और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री का एप्वाइंटमेंट से कोई लेना-देना नहीं है।

आपका और डाक्टर साहिबा का प्रश्न है कि इनको हटाया क्यों गया, उनको हटाया नहीं गया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डाक्टर सरीन गवर्नमेंट के डाक्टर हैं, एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकारी डाक्टरों से हम दो चीजें चाहते हैं, अगर हम एमसीआई का भी काम लें और साथ में कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाओ, वह सरकार के ही एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हम एमसीआई में फुलटाइम चेयरमैन चाहते हैं। आज एमसीआई वह नहीं है, जो 20 साल पहले थी, एमसीआई वह भी नहीं है जो दो साल पहले थी, मैंने जितनी परिवर्तन की चीजें बताई हैं, उनके लागू करने के लिए 24 घण्टे भी कम हैं। इसलिए एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होने के बाद वह एमसीआई को पूरा टाइम नहीं दे सकते थे। इसलिए हम इंतजार कर रहे थे कि कोई फुलफ्लेज्ड चेयरमैन मिले। इत्तेफाक से पीजीआई, चंडीगढ़ के डायरेक्टर, जिनकी मैंने डिग्रियां इतनी गिनीं, रिटायर होने वाले थे। उनको हमने फुलटाइम चेयरमैन लगाया। उसके साथ ही, जब आप चेयरमैन को हटाते, तो लोग कहते कि मेम्बर्स ने कुछ गड़बड़ की है या चेयरमैन ने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए आपने चेयरमैन को हटा दिया और मेम्बर्स को बनाए रखा, इसलिए हमने यह सोचा कि इस तरह से किसी पर इल्जाम न आए, उसके साथ मेम्बर्स भी हमने चेंज कर दिए। कई लोगों ने कहा कि उसमें पूरी कंट्री से लोगों को क्यों नहीं लिया गया, पहले हमने अलग-अलग राज्यों से एक-एक व्यक्ति लिया। वे सभी डाक्टर थे या सरकारी लोग थे, तो डिसीजन लेने के लिए कोरम भी नहीं होता था। जिसकी वजह से देर हो जाती थी, इसलिए हमने दिल्ली से तीन लोगों को लिया - एक फुलटाइम लिया, दो डिफ्रेंट इंस्टीट्यूशन्स से लिए। इस तरह से कम से कम तीन सदस्य डेली बैठ सकते हैं और जो दूसरे दो बाहर से लिए, उनको भी एप्वाइंटमेंट से पहले कहा गया कि यदि आप समय नहीं देंगे, तो आपसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। किसी ने यह भी पूछा कि वे डेली एलाउंसेज वगैरह कितना लेते हैं, उसमें मैंने आलरेडी ऑब्जेक्शन किया है और जो नई कमेटी बनी है, उसको कहा है कि इसमें परिवर्तन लाएं क्योंकि वह मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। पिछले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसे बहुत ज्यादा रखा था, मैंने नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कहा है कि यह बहुत ज्यादा है, इसे कम करना चाहिए। उन्होंने पहले एक सिटिंग के लिए प्रति दिन

10,000 रुपये रखा था और हॉफ सिटिंग के लिए 5,000 रुपये रखा था। मैंने उनको कहा है कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है और मैंने नए बीओजी को बताया है कि इसे कम से कम एक-तिहाई पर या आधे पर लाना चाहिए। ये तमाम चीजें उससे संबंधित हैं। इसके साथ ही एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहूंगा। करप्शन पर बात हुई, एमसीआई में करप्शन है, यहां सभी ने उस पर बात की।

लेकिन करप्शन जब दिमाग में चला जाता है, तो न उसमें हैल्थ मिनिस्टर कुछ कर सकता है और न ही प्रधान मंत्री।...(व्यवधान) यह दिमाग में यहां नहीं है, यह दिमाग की हर जगह में पहुंच गया है। यह दिमाग में पहले से ही था, क्योंकि पोलिटीशियंस इज़ी टार्गेट होते हैं, जैसे मिलीटेंट्स का इज़ी टार्गेट है इसलिए उन्हें सब पकड़ते हैं। लेकिन समाज कोई जगह ऐसी नहीं रही, जहां यह न हो। मैं पहला हैल्थ मिनिस्टर होऊंगा, मैंने अपनी पहली प्रैस कांफ्रेंस की और उसमें कहा था कि आज से हैल्थ मिनिस्टरी के कोरिडोर में कोई मेडिकल कालेज कि कोई टाउट मेडिकल कालेज में देखेगा तो उसे पुलिस को अरैस्ट करना चाहिए, हैंडओवर करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप हैल्थ मिनिस्टरी की वैबसाइट खोलें, मेरे हैल्थ मिनिस्टर बनने के 15 दिन के अंदर मैंने वैबसाइट में डाला कि कोई भी हैल्थ मिनिस्टरी का, मेरे स्टाफ का सेक्रेटरी, जाइंट सेक्रेटरी, की तरफ से अगर किसी को एप्रोच करता है, प्राइवेट मेडिकल कालेज को या एमसीआई की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कालेज को एप्रोच करता है कि हम उनकी तरफ से यहां पैसे लेने के लिए आएं, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं मोबाइल फोन तो रखता नहीं, लेकिन घर का प्राइवेट नम्बर जो किसी को नहीं मालूम, मैंने सिर्फ उन्हें दिया है, उस नम्बर पर और इस फैक्स पर और इस ई-मेल पर मुझे बता दीजिए कि कौन मांगने आएगा। वह 24 घंटे में गिरफ्तार होगा। नहीं आता।...(व्यवधान) सर, एक मिनट, पहले मैं इसे खत्म कर लूं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): बिना वैरिफाई किए हुए ही क्या फंसा देंगे?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: नहीं, हम इनकी तरह नहीं है, हम वैरिफाई करेंगे। मैंने मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के 15 दिन के अंदर देश के सभी मेडिकल कालेजेज़ के प्रिंसीपल्स को और प्राइवेट कालेजज़ के चेयरमैन तथा प्रिंसीपल्स को पत्र लिखा कि यदि कोई पैसे मांगता है, ये फैक्स नम्बर्स हैं, मेरे घर पर भेज दें, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि शुरूआत वहीं से होती है गलत काम कराने की, तो शिकायत कौन करेगा। इसलिए घूस देने की कार्यवाही वहीं से होती है इसलिए शिकायत कौन करेगा। फिर मेडिकल कौंसिल फंसती है या दूसरा कोई फंसता है। इसलिए इसे समाज से दूर करना होगा किसी एमपी या एमसीआई पर दोष नहीं देना चाहते। रमन सिंह जी ने बताया, तो मैं कहना चाहता हूं कि एमसीआई में तो कोई परिवर्तन

ला नहीं सकते, लेकिन मैं इसकी जरूर स्टडी कराऊंगा। यदि इस तरह की कोर्ट की कोई जजमेंट है तो हम नई ओवरआर्चिंग बॉडी है, उसमें देख लेंगे कि उसे किस तरह से इनकोरपोरेट कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.39 hrs.

JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PUDUCHERRY (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up Item No.14.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

मैं इसमें से एक ही चीज बताना चाहूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। यह चार साल पहले नया इंस्टीट्यूट बना था। इसके पहले जितने भी मुलाजिम थे वे सीजीएचएस के थे। उसके बाद यह इंस्टीट्यूट बना, एटोनॉमस इंस्टीट्यूट बना, जिस तरह से पीजीआई का है। उसके बाद यह इंस्टीट्यूट जब बना, तो कानून उस वक्त एक्ट में यह रखा था कि एक साल के अंदर जितने भी मुलाजिम हैं वे चॉइस देना चाहें तो दे सकते हैं कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुलाजिम रहेंगे या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के मुलाजिम रहेंगे। इसमें तकरीबन 2000 के करीब मुलाजिम हैं और उसमें से करीब-करीब 100 लोगों ने चॉइस दी, बाकियों ने नहीं दी, क्योंकि बाकियों का पेंशन का मसला डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए हमने उसे पहले ढाई साल किया, हम अमेंडमेंट नहीं लाए और अब साढ़े तीन साल हुआ है। हम चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट को पास किया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी चॉइस देने के लिए और कुछ समय देना है।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to amend the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): Sir, I was supposed to speak on this from party. But I do not want to speak anything. I am supporting this Bill but I am requesting only one thing to the Ministers. There have been two Members of Parliament in the Governing Body of the JIPMER, Puducherry. एक को केवल फाइनेंस देने के लिए बुलाया जाता है और दूसरे को उसकी फंक्शनिंग देखने के लिए बुलाया जाता है। मेरी रिक्वैस्ट होगी कि दोनों सांसदों को फाइनेंस में भी बुलवाया जाए और फंक्शनिंग में भी बुलवाया जाए, तभी तो यह पता चलेगा कि जो फाइनेंस है उसका युटिलाइजेशन ठीक हो रहा है कि नहीं और जो युटिलाइजेशन है उसका फाइनेंस ठीक हो रहा है या नहीं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, जो ऑनरेबल मैम्बर ने सजेशन दी है उस पर हम जरूर विचार करेंगे, लेकिन अभी ऑफ-हैंड मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके साथ मैं निवेदन करुंगा कि संख्या में यदि मैंने कुछ ऊपर-नीचे किया कि कितने लोगों ने चॉइस दी है तो काफी संख्या में एम्प्लाइज ने अपनी चॉइस नहीं दी है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, only one hon. Member has made a point and that has been answered by the hon. Minister. We may take it up for consideration.

MR. CHAIRMAN : We can do that if the House agrees.

Those who want to give their opinion can send it to the hon. Minister in writing and he will take that into consideration.

The question is:

"That the Bill to amend the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up matters of urgent public importance.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान इस वर्ष रेल बजट घोषणा की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी से देवाशरीफ होते हुए फतेहपुर तक 25 किलोमीटर लम्बी अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की गयी है। इसके लिए मैं तत्कालीन रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होगी, जो अयोध्या से देवाशरीफ-फतेहपुर होते हुए, धार्मिक स्थान नेमीसारण-सीतापुर तक लोगों के जाने के लिए अत्यन्त सुविधापूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त इस नयी रेलवे लाइन से बिना लखनऊ पर बोझ डाले गाड़ियां सीधे दिल्ली जा सकती हैं। इसी प्रकार जिन माल गाड़ियों का लखनऊ जाना अनिवार्य नहीं है, वे इस मार्ग से होते हुए सीतापुर से दिल्ली तक सीधे चल सकती हैं। इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन की रेलवे बजट में की गई घोषणा के उपरांत आज तक पर्याप्त धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उक्त महत्वपूर्ण रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए बजट आबंटित करने की कृपा करें, जिससे सर्वेक्षण का कार्य जल्दी से पूरा हो सके।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : महोदय, मैं अपने को श्री पुनिया जी द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, कल का भारत जिस नई पीढ़ी पर निर्भर है, उसकी दयनीय दशा की स्थिति की तरफ मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में आज बालक-बालिकाओं की क्या स्थिती है, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की 2011 की ताज़ा रिपोर्ट में है। भारत उन अग्रणी देशों में है, जिसने 20 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मामले में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली थी।

भारत में आज किशोरवय के बच्चों की संख्या करीब 24 करोड़ 30 लाख है। इनमें लगभग 47 प्रतिशत किशोरियां कुपोषण और औसत से कम वजन की शिकार हैं तथा पूरे विश्व में कुपोषण की शिकार सर्वाधिक लड़कियां भारत में हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के आर्थिक विकास के बड़े दावों के बावजूद

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2010 की लिंग असमानता अनुसूची में 169 देशों की रैंकिंग में भारत 119वें पायदान पर है।

आज भारत में किशोरवय के बच्चे सामाजिक-आर्थिक अंधेरे से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। बाल-मजदूरी, समाज में अलग-थलग, कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव, गर्भावस्था में ही किशोरियों की मृत्यु जैसी स्थितियां आधुनिक भारत के लिए कलंक हैं। आज भारत में एक तरफ गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार किशोर हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक सुख-सुविधाओं से संपन्न होते हुए अकेलेपन से जूझते किशोर हैं। ये आज चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं तथा इन पर काबू पाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि जब देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है। यह उपयुक्त समय है, जब किशोरों का भविष्य संवारने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम तैयार कर समुचित बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि कल के भारत का उत्तरदायित्व आज की इस पीढ़ी के ही कंधों पर होगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, महाराष्ट्र में पंढ़रपुर एक सुविख्यात तीर्थस्थान है, जहां पर वायु मार्ग द्वारा तथा सड़क मार्ग के ज़रिए पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। सभी धर्म एवं संप्रदायों को मानने वाले लोग देश के कोने-कोने से यहां आते हैं। असाढ़ी के मौके पर भगवान विट्ठल के दर्शन हेतु महाराष्ट्र के कोने-कोने से पताका-डिंडी लेकर इस तीर्थस्थल पर पैदल चलकर लोग यहां इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अडंदी में जमा होते हैं और पूना तथा जजूरी होते हुए पंढ़रपुर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से दिंडी जाना जाता है।

महोदय, इसी तरह दूसरी डिंडी विदर्भ क्षेत्र से निकलती है तथा वह खामगांव, जालना, अंबड़ तथा बीड़ होते हुए पंढ़रपुर पहुंचती है। बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालु बहुत अनुशासन और संयम धारण करके हर साल यहां पहुंचते हैं।

महोदय, इस साल 25 जुलाई को यह डिंडी लेकर वापस लौटते हुए श्रद्धालु अंबड़ के पास परिनर भोजन करके सड़क किनारे ठहरे थे, उनको एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें तेरह श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई।

MR. CHAIRMAN: This is a state subject.

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महोदय, अन्य कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। इस दुर्घटना की सूचना आसपास के गांवों के लोगों को पहुंची और स्थानीय लोग घायलों की मदद हेतु वहां पहुंचे, जिन पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मृत्यु हो गई तथा निहत्थे लोगों पर पुलिस की इस दमनपूर्ण कार्यवाही में 42 लोग घायल हुए।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी व्यक्तियों को न बख्शा जाए। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि यह रास्ता छह पदरी बनाया जाए और जिन श्रद्धालुओं की इस हादसे में मुत्यु हो गई है, उनको पांच लाख और घायलों को दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और निरापराधों को इसमें न फंसाया जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। गोरखपुर और लखनऊ जो रेल खंड है, इसके दोहरीकरण कार्य के दौरान डोमिनगढ़ से सहजनवा के बीच लगभग तीन दर्जन से भी अधिक गांव ऐसे हैं जिनके आवागमन को रेलवे दोहरीकरण लाइन के कारण पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। उन गांवों में हजारों की संख्या में नागरिक आज बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अव्यवस्था की स्थिति है। रेलवे दोहरीकरण के नाम पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम का हम लोग समर्थन करते हैं लेकिन गोरखपुर महानगर से जोड़ने के लिए डोमिनगढ़ में रोहिन नदी पर पुल बनाने की कार्यवाही और साथ साथ डोमिनगढ़ से लेकर जगतबेला और जगतबेला से मोहम्मदपुर माथे तक जो सड़क सम्पर्क पूरी तरह बाधित हुआ है, रेलवे दोहरीकरण के नाम पर जो पूरा मार्ग समाप्त कर दिया गया है, उस कार्य को रेलवे को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए क्योंकि पूरा मार्ग अवरुद्ध होने से आवागमन बाधित है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोग अव्यवस्थित तरीके से वहां जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां हस्तक्षेप करे और रेलवे दोहरीकरण के नाम पर जो सड़क डोमिनगढ़ से जगतबेला और जगतबेला से मोहम्मदपुर माथे तक टूट चुकी है, उसे अवलिम्ब बनाए। रोहिन नदी पर डोमिनगढ़ में पुल का निर्माण कराए और वहां की समस्या का अविलम्ब समाधान करें जिससे तीन दर्जन गांव जो आवागमन से बाधित हैं, उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय नदी गंगा से चारों तरफ से घिरे धार क्षेत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है खास तौर से जब वहां बाढ़ आती है। अभी गंगा

में बाढ़ है। एक उपधारा अवैध खनन के चलते बन गई है जिससे करीब 10 हजार से लेकर 25 हजार के बीच की आबादी और दो दर्जन गांव उन दो धाराओं के बीच में घिर जाते हैं और 5-6 महीने उनका पूरी तरह से आवागमन बंद हो जाता है। वहां बिजली के कनैक्शन रोक दिये जाते हैं। अस्पताल आदि में डॉक्टर जाना बंद कर देते हैं। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल हैं, वहां शिक्षक भी नहीं पहुंच पाते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो एक तरह से चिरई गांव ब्लॉक का क्षेत्र समुद्री टापू के क्षेत्र जैसा हो जाता है जिसमें लगभग आधा दर्जन गांव मुस्तफाबाद, रंचंदीपुर, मोकलपुर, गुबराह, छितौनी, गंगाधरपुर और धराधरपुर जैसे गांव हैं। अवैध खनन से भी जो उपधारा है, उसके अवैध खनन से उसमें गहराई और चौड़ाई बढ़ती जा रही है। उस अवैध खनन को रोका जाए और हमेशा आवागमन को चालू करने के लिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि उस क्षेत्र में एक पुल का निर्माण हो क्योंकि यह राष्ट्रीय नदी है, कटान हो रहा है, इतने लोग वहां रहते हैं और बरसात के दिनों में वहां आवागमन बंद हो जाता है। गंभीर बीमारियां होती हैं। लोगों का इलाज न होने के कारण दम निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय सहायता राशि से गंगा नदी की उपधारा में धार क्षेत्र में एक पुल निर्माण कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जितनी भी योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, उन सभी को हिमाचल प्रदेश अपने यहां पूर्ण रूप से लागू करता है। हिमाचल प्रदेश में इस कार्य हेतु निर्देशक के अधीन सैनिक कल्याण बोर्ड के नाम एक सम्पूर्ण विभाग कार्यरत है। मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हिमाचली अपने शौर्य प्रताप लगन से देश की सेवा में समर्पित हैं। वर्ष 1962, 1965 और 1975 की लड़ाई में 523 हिमाचली सैनिकों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कारगिल की लड़ाई में 52 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश की सीमा की रक्षा की। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परमवीर चक्र विजेताओं के लिए राशि 4500 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए, अशोक चक्र की राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए, महावीर चक्र की राशि 3600 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए, कीर्ति चक्र की राशि 3300 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई है। इसके अलावा बाकी के गैलंटरी अवार्ड्स की धनराशि को दुगुना किया गया है। एकमुश्त अवार्ड्स परमवीर और अशोक चक्र की राशि 25 लाख, महावीर और कीर्ति चक्र की राशि 15 लाख, वीर और शौर्य चक्र की राशि दस लाख देनी प्रारंभ की गई है। मैं जिस बात पर आ रहा हूं वह सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने नौजवानों ने अपना जीवन देश की सीमा की रक्षा के लिए

दिया। केंद्र सरकार द्वारा भर्ती की नई नीति, आनुपातिक नियुक्ति नीति जिसके अनुसार प्रदेश में भर्ती पुरुषों की संख्या के आधार पर की जाती है, इसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर इतने नौजवानों ने देश के लिए जीवन दिया है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्य के लोग जब अपना जीवन देने के लिए सबसे आगे आते हैं तो उस प्रदेश की कम जनसंख्या होने के आधार पर वहां के कम नौजवानों को भर्ती में लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्तराखंड से आते हैं और वे यहां मौजूद भी हैं, पहाड़ी राज्यों की कम जनसंख्या के कारण नौजवानों को कम भर्ती का मौका मिलता है। इस नीति में बदलाव लाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग भी नहीं हैं, आय के ज्यादा साधन भी नहीं हैं इसलिए वहां ज्यादा लोगों की भर्ती हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए।

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर): मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि दिनांक 16.09.1973 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का सोन नदी के जल को बाणसागर बांध बनाकर दो, एक, एक के अनुपात में बटवारे को लेकर बनी बाणसागर परियोजना 38 वर्ष व्यतीत होने के बाजवूद भी गैर नियोजन की चपेट में आकर अर्थहीन बनी हुई है। मिर्जापुर जनपद में मेजा-जरगो बाणसागर नहर निर्माण हेतु 13 खंड कार्यरत हैं। लेकिन नहर निर्माण में सहायक अभियन्ता स्तर पर फर्जी सम्पर्क मार्ग निर्माण, खंड स्तर पर गैर अस्तित्व वाली फर्मों से फर्जी क्रय दिखाकर धन का प्रतिवर्ष बन्दरबाट किया जा रहा है। लाभान्वित होने वाली जनता जल के अभाव में कराह रही है और धन खर्च हो रहा है। लेकिन परियोजना पूर्णता की तरफ कछुआ चाल से बढ़ रही है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन जिस परियोजना को 20 वर्ष पूर्व पूर्ण हो जाना था, वह अब तक निष्प्रयोज्य ही है। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तब न तो जल ही प्राप्त हो सकेगा और न ही विद्युत प्राप्त हो सकेगी। नियंत्रक एवं सम्प्रेक्ष्क भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में गैर नियोजन होने की बात की गंभीर टिप्पणी बाणसागर के द्वितीय परियोजना के संबध में की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से उक्त परियोजना पर गंभीर होने की अपेक्षा करता हूं जिससे राजकीय धन का बंटरबाट बंद कर अवशेष कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाएं। उक्त परियोजना पूर्ण होने से तीनों राज्यों की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी एवं 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी राष्ट्र हित में हो सकेगा।

श्री नीरज शेखर (बलिया): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनमें लगभग 2400 किलोमीटर राजमार्ग आज की स्थिति में चलने लायक नहीं है। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की दुर्घटनाओं के कारण मौत हो गई है। हम पिछले डेढ़

साल से लगातार उस समय के और वर्तमान भूतल परिवहन मंत्री से मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दो बार माननीय मंत्री जी से मिल चुके हैं। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक पैसे की भी मदद संबंधित मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है।

18.00 hrs.

मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि या तो भारत सरकार इन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को डीनोटिफाई कर दे अन्यथा मध्य प्रदेश की सरकार सारे मार्गों को स्वयं बनाने के लिए तैयार है। परंतु केन्द्र सरकार द्वारा इन मार्गों को न तो डीनोटिफाई किया जा रहा है और न राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश की जनता को जनहानि और आर्थिक हानि हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच-26 और एन.एच-86 निकलते हैं। लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत यह है कि उन पर चला नहीं जा सकता है। इन पर कोई गाड़ी जा नहीं सकती और कोई चल भी नहीं सकता। यदि इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत नहीं होगी, इनका पुनर्निर्माण नहीं होगा तो यह समस्या कैसे दूर होगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि या तो वह इन मार्गों को डीनोटिफाई करे और यदि सरकार इन्हें डीनोटिफाई नहीं कर सकती हैं तो आप इन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का काम करिये।

मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इसके बाद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग बाध्य होंगे कि जहां भी ऐसी स्थिति है, वहां पर प्रधान मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री का फोटो लगायेंगे। हम इस बात को और बर्दाश्त नहीं करेंगे।

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, we can extend the time of sitting of the House till all the Members complete their 'Zero Hour' submissions.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN : The time is extended.

श्री भूपेन्द्र सिंह : लोग इन सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं। लोगों की सड़कों पर मौतें हो रही हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। आखिर हम लोग इसे कब तक बर्दाश्त करें। अब हम जबरदस्ती सड़कें बनाने का काम करेंगे और प्रधान मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी की फोटो लगायेंगे।...(व्यवधान)

पूरे प्रदेश में कहीं भी चला नहीं जा सकता, यह हालत पूरे प्रदेश की हो गई है।

MR. CHAIRMAN : Shri Ganesh Singh, Dr. Virendra Kumar and Shri Rakesh Singh associate with the issue raised by Shri Bhupender Singh.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश में भारतीय संविधान को लागू हुए साठ साल से ऊपर हो गये हैं, परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सपने संजोये थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि 14 साल के अंदर धीरे-धीरे हमें अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कामकाज की भाषा बनानी होगी। परंतु आज अंग्रेजी कम होने की बजाय और ज्यादा हो गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद सी-48 की धारा-1 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के स्थान पर अन्य प्रादेशिक भाषा का उपबंध न करे, तब तक अंग्रेजी उच्च न्यायालय में लागू रहेगी, परंतु सरकार ने अब तक इस अनुच्छेद का पालन नहीं किया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि कई ऐसे राज्य हैं, जहां उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में न्यायालय में जो काम किया जाता है, उसे साधारण जनता समझ नहीं पाती है। जहां पर जिस भाषा में पचास प्रतिशत से अधिक लोग हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय में उसी प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा बनाया जाए।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने और एक सूत्र में बांधने की भाषा हिंदी है। मगर इस पर भी केन्द्र सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। यहां तक कि अपने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री भी इंग्लिश में भाषण देते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत के संविधान का सम्मान करते हुए और मैज्योरिटी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा-1 के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा बनाने का तत्काल प्रावधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद, जय भारत।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल में बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण पर तथाकथित रोक संबंधी फैसला अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के हित में नहीं है तथा इस फैसले से इन समाजों को बहुत आघात पहुंचा है। ये समाज सदियों से दबे और पिछड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों में समानता के अधिकार का अभी तक दस फीसदी लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है।

दलित व शोषित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अन्य भारतीय समाज में समान रूप से विकसित एवं व्यवस्थित करने के लिए संविधान में आरक्षण का लाभ दिया गया है। परंतु इस निर्णय से अकेले राजस्थान राज्य में लगभग एक लाख चालीस हजार कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में पदोन्नति प्रभावित हुई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए पूर्ववत आरक्षण मिले इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन एवं निर्णय प्रदान कराएं। हम आपके बहुत आभारी होंगे।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल):माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल की जनहित समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यहां पर कोई भी अच्छा विद्यालय नहीं है। यहां पर अभी तक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है। इस विषय को मैंने पूर्व में नियम 377 के माध्यम से उठाते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के कई उपक्रम के साथ-साथ कई कैप भी हैं। सीमा एरिया होने के कारण बेहतर शिक्षा हेतु कोई शिक्षण संस्थान नहीं हैं। केंद्रीय विद्याय में नामांकन हेतु नियम के तहत हमें दो विद्यालयों का कूपन मिलता है, जिसका उपयोग भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): मान्यवर, पिछले कई सालों से हमारे देश में किसानों द्वारा जितना अनाज पैदा किया गया, वह एक रिकार्ड उत्पादन है। आपको याद होगा कि आज से तीस साल पहले हम पीएल-480 के द्वारा अमरीका से अनाज मंगवाते थे। जो अनाज वहां जानवर खाते थे, वह अनाज अमेरिका यहां के आदमियों के खाने के लिए भेजता था। वह लाल गेहूँ होता था। मान्यवर, बहुत विकट स्थिति थी। लेकिन हमारे किसानों ने मेहनत से किसानी कर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया और इतना ही नहीं, हम अनाज का निर्यात भी करने लगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इतना अनाज पैदा होने के बाद भी आज अनाज सड़ रहा है। यूपीए सरकार-1 और यूपीए सरकार-2, दोनों सरकारों में अनाज का जो भण्डारण होना चाहिए था वह भण्डारण आजतक यह सरकार नहीं करवा पाई है। इन्होनें कहा कि हम निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। निजी क्षेत्र ने कहां बनाया? इसका भी ब्योरा नहीं है। मान्यवर, अनाज का सड़ना कब तक चलता रहेगा? अगर अनाज सड़ रहा है तो क्यों नहीं वह अनाज हमारे गरीबों में वितरित कर दिया जाए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि वह अनाज गरीबों में वितरित कर दो। सरकार अभी तक यह भी तय नहीं कर

पाई है कि बीपीएल या एपीएल 40 फीसदी हैं, 50 फीसदी हैं या 32 फीसदी हैं। चार-पांच कमेटी बनीं। हेगड़े कमेटी, सक्सेना कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी। सभी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब सरकार उनकी समीक्षा करवा रही है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आप अकृष्ट करने की कृपा करें।

मान्यवर, यह ज़ीरो ऑवर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि एक भी मंत्री इस समय सदन में नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal, Dr. Kiritpremjibhai Solanki, Dr. Rajan Sushant and Shri Bishnu Pada Ray associate with the issue raised by Shri Rewati Raman Singh.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार के सामने आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई है। अण्णा हजारे जी के साथ सारे देशवासी एक हो गये हैं। ऐसी लड़ाई वर्ष 1947 के पहले जब लड़ी गयी थी तो सारे देश के सभी प्रान्तों के सभी क्रान्तिकारियों ने अपने जीवन की आहूति दी थी। तब ऐसे क्रान्तिकारी और ऐसे राज्य जिनका योगदान काफी बड़ा था, ऐसा ही एक राज्य गुजरात है। मैं वहां से आता हूं और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है।

महोदय, जब ऐसे क्रान्तिकारियों की बात की जाती है तो सबसे पहले साबरमती के सन्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम जुबान पर आता है, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर विठ्ठल भाई पटेल, मोरारजी भाई देसाई, कन्हैयालाल मुंशी, महादेव देसाई, झवेरचंद मेहाणी, सरदार सिंह राणा ऐसे सब लोग जो आजादी दिलाने के लिए लड़े, उनका नाम जुबान पर आता है। इन्हीं में से ऐसे दो भाईयों, सरदार बल्लभ भाई पटेल और वीर विठ्ठल भाई पटेल की बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। हम सभी जानते हैं कि ये ऐसे दो भाई थे, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर देश को आजादी दिलाने के लिए काफी कुछ किया।...(व्यवधान) मैं वही बोल रहा हूं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो देश को आजादी मिली। मुझे गर्व है कि मंत्री श्री यहां उपस्थित हैं। वह दो मिनट मेरी बात सुन लें। मैं कोई ऐसा लफ्ज यूज नहीं करूंगा, जिससे आपको नुकसान हो।

महोदय, वीर विठ्ठल भाई पटेल का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को हुआ था और इनका स्वर्गवास भी 22 अक्टूबर 1933 को हुआ था। ये सशस्त्र क्रान्ति के हिमायती थे। उन्होंने जो कुछ भी देश के लिए किया, उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी जान की आहूति लगा दी, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1875 को हुआ था और उनका स्वर्गवास 15 दिसम्बर 1950 को हुआ था। अहिंसक लड़ाई में सबसे पहले देश में कहीं आन्दोलन हुआ तो वह गुजरात में हुआ था, बारडोली सत्याग्रह हुआ था और उसके साथ-साथ

खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। जब स्वतंत्र भारत को एकत्रीकरण करने की बात आयी तो 550 रियासतों को एकत्र करके लौह पुरूष का नाम उन्होंने गौरवशाली रूप में आगे बढ़ाया। इन दोनों भाईयों वीर विठ्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक करमसद में बना हुआ है। इस स्मारक का एक हेतु है कि वह एक ऐसा नेशनल रिसोर्स सेंटर बने कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर विठ्ठल भाई पटेल की सभी जानकारियां एकत्रित हों और देश-विदेश से सभी लोग वहां आयें। इसके लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2006 में केंद्र सरकार को दरखास्त दी थी कि एक कॉरपस फंड पांच करोड़ रूपये का दिया जाये। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के फंड का आबंटन किया जाये। धन्यवाद।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways regarding the 'strike call' given by the South Zone Motor Transporters Welfare Association affiliated to the All India Motor Transport Congress.

Over 22 lakh trucks in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Puducherry and Maharashtra will be off the roads in response to the strike. The Association has put forth certain demands including reduction in the toll charges, roll back of diesel price, reduction in third party insurance premium rate and also reduction of import duty on tyres.

Their demands are just and reasonable. The collection of toll in the National Highways and the charges are not only high but also arbitrary. The agreement entered into between National Highways Authority of India and concessionaries for collection of toll, lacks transparency, accountability and clarity. I believe, this is a concerted attempt to make the private toll operators to earn more by fleecing the vehicle users.

The increase in toll charges, leave heavy burden on the truck operators, which ultimately affects the consumers in the form of higher prices.

So, I earnestly appeal to the Government to hold negotiations with the Association and bring out an amicable settlement on the demands put forth by them and relieve the people from the hardship. I hope the Centre will act in time.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय बारिश का मौसम है। यहाँ बैठे हुए सभी माननीय सांसदगण जानते हैं कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सड़क रास्ते से जाते हैं तो सभी सड़कों पर बड़ी संख्या में गायें सड़कों पर बैठी मिल जाती हैं। परिणाम होता है कि जब वाहन तेज़ी से चलते हैं तो या तो वाहन चालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर गायों की मृत्यु हो जाती है।

हमारे देश में गायों को बहुत आदर दिया जाता है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। गौमाता हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। गाय का गोबर घरों में पूजन के समय जहाँ लीपने के काम आता है, वहीं उपलों के रूप में ईंधन की पूर्ति भी करता है। गाय का दूध सर्वाधिक पौष्टिक होता है, वहीं गोबर एवं गोमूत्र से बनने वाली खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करने से धरती अन्न और धन-धान्य से भर जाती है। गोधन राष्ट्रवर्द्धनं। गाय धरती के लिए वरदान है, गौदेवी संपदा है, गाय एवं गोवंश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्धि का प्रमुख आधार है। आज गोबर और गोमूत्र के उद्योगीकरण की आवश्यकता है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जल स्तर नीचे चला गया है, प्रदूषण की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जैविक खाद की आवश्यकता है। आज देश में कत्लखानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जिससे गोवंश की रक्षा का प्रश्न और गंभीर हो गया है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोवंश की रक्षा हेतु गोहत्या-निवारण कानून लाएँ, गौ-मांस का व्यापार और निर्यात पूर्णतया बंद हो, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, गाय एवं गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अलग मंत्रालय बनाया जाए। जैविक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए।

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने जा रही हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र वाशिम में जिला कोआपरेटिव बैंक की मांग बहुत सालों से हो रही है। वहाँ के किसान और जनता बहुत सालों से यह मांग कर रहे हैं। अकोला जिला कोआपरेटिव बैंक का विभाजन कर वाशिम में जिला कोआपरेटिव बैंक खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वह प्रस्ताव नाबार्ड के पास न भेजने के कारण बैंक का निर्माण रुक गया है। प्रस्ताव के लंबित होने से क्षेत्रीय जनता और किसान काफी परेशान हैं जिसके लिए वाशिम में आंदोलन होते रहते हैं। यदि वाशिम में जिला कोआपरेटिव बैंक की स्थापना होती है तो वहाँ के किसानों और जनता अकोला जिला कोआपरेटिव बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अकोला जिला काआपरेटिव बैंक का विभाजन कर वाशिम जिला कोआपरेटिव बैंक की स्थापना करने का आदेश नाबार्ड को दें। इससे वाशिम के किसानों और जनता को सुविधा होगी। किसानों और क्षेत्रीय जनता को भी इसका फायदा होगा। मैं मांग करती हूँ कि केन्द्र सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और जो वहाँ की जनता की मांग है, वह जल्द से जल्द पूरी करे।

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Hon. Chairman, Sir, I welcome the intention of the NHAI to provide good road connectivity at NH-209 between Dindigul to Sathyamangalam *via* Udumalpet Pollachi and Kinathukadavu. Kinathukadavu, an assembly segment of my Parliamentary Constituency Pollachi in Tamil Nadu is a Town Panchayat. The approximate population of this Town Panchayat is more than 25,000. Most of the people are poor agriculturists, small and medium businessmen. They are having small houses and business centres in the main road of Kinathukadavu.

Now, there is a proposal with the NHAI for conversion of the existing two-lane road of NH-209 into four-lane, which will result, the demolition of the houses of poor agriculturists and business centres of small and medium businessmen. There are Government Offices and the Lord Murugan Temple, which is 750 years old, on the main road of Kinathukadavu. They will be affected by the proposed conversion.

The people of Kinathukadavu are requesting for the formation of a by-pass road instead of converting the existing NH-209 to save their small properties.

On behalf of the public, I would earnestly request the Ministry of Road Transport and Highways to drop the present proposal of conversion of NH-209 passing through Kinathukadavu to save the public and instead to form a by-pass road at Kinathukadavu.

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या, यानी प्रदूषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं, जो कि हेवी मेटल, कैमिकल और बायो कैमिकल द्वारा होती है और देश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या स्वास्थ्य के नज़रिए से होती जा रही है। आज भारत एक तरफ

तो तेज़ी से बढ़ रहा है और किसानी के अलावा उद्योग भी लग रहे हैं, लेकिन उद्योग लगने की वजह से जंगल साफ किए जा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के मसले से तो हम जूझ ही रहे हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा अनुमान लगाया गया है कि प्रदूषण से हिन्दुस्तान का नुक़सान क़रीब 4365 करोड़ रुपए यानी 4.5 ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्टस होता है। इसमें 59 प्रतिशत प्रदूषण पानी की वजह से होता है और सबसे ज्यादा हवा या पानी की वजह से होता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र उन्नाव में भूमिगत पानी बहुत ज़हरीला एवं अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि यहां कि जो लैदर टैनरी यूनिट्स हैं और स्लॉटर हाउसिज़ हैं, वे बेधड़क अपना प्रदूषण आस-पास के इलाकों में फैला रहे हैं और अपना गंदा पानी जलस्रोतों में छोड़ रहे हैं, कभी-कभी वे ज़मीन में बोरिंग करके भी डाल रहे हैं। इस बात की पुष्टि सैन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड और इण्डियन इंस्टिटयूट ऑफ टॉक्सीकोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट में भी पायी गई है। कुछ समय पूर्व मेरी मुलाकात सीपीसीबी के अधिकारियों से हुई थी और उन्होंने लाइफोलाइज़र टैक्नोलॉजी के बारे में बताया, जिसमें वैक्यूम द्वारा लैदर को सुखाया जा सकता है। उसमें नमक का इस्तेमाल बहुत कम होगा और नमक का इस्तेमाल कम होने की वजह से प्रदूषण कम हो सकता है। लेकिन चमड़ा उद्योग इसकी ख़िलाफ़त इसलिए कर रही है, क्योंकि उन्हें अपने पुराने ढंग को बनाए रखना है। अपने मुनाफ़े को बनाए रखना है और कोई बदलाव वे नहीं चाहते हैं। एक तरफ इंसानों की ज़िंदगी और दूसरी तरफ उद्योगपतियों का मुनाफ़ा। यदि हम ही नहीं बचेंगे, हमारे उन्नाव की पीढ़ी जो कि समाप्त होने के कग़ार पर है, उसको उद्योग से क्या मतलब रहेगा। इन उद्योगपतियों के बच्चे बिसलैरी का पानी पी सकते हैं, लेकिन एक ग़रीब का बच्चा हैण्डपम्प का पीला, गंदा, महक वाला पानी कैसे पीए?

सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि उद्योग हमारी जनता को रोज़ग़ार देता है और हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं आपके द्वारा सभी संबंधित मंत्रालयों से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि लैदर टैनरी यूनिट्स और स्लॉटर हाउसिज़ चलाने वाले उद्योगपतियों को आग्रह करें, कोई ऐसी पॉलिसी लाएं, यदि लाइफोलाइज़र टैक्नोलॉजी उन्हें नापसंद हो, तो कोई भी ऐसी टैक्नोलॉजी को अपनाएं जिसमें नमक का इस्तेमाल कम हो। नमक का इस्तेमाल कम होगा तो क्रोमियम का इस्तेमाल कम होगा, क्रोमियम का इस्तेमाल कम होगा, तो पानी का इस्तेमाल कम होगा और उससे हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। कोई भी नई टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे उन्नाव क्षेत्र और पूरे हिन्दुस्तान को प्रदूषण से बचाने का सरकार काम करे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं श्रीमती अन्नू टण्डन द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित और अति पिछड़ा जिला है। बालाघाट जिले के बालाघाट-वारासनी, रामपायली-खैरलांजी-तुमसर मार्ग में से 33 किलोमीटर गर्रा से नवे गांव तक हालत बहुत ही खराब हो गई है। यह मार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता है। इस मार्ग पर आम लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों में तीव्र आक्रोश के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन गई है। इस मार्ग को एलडब्ल्युई (वामपंथ उग्रवाद) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा केंद्र शासन के निर्देश पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा इस मार्ग के साथ बालाघाट जिले के छह पुल एवं 13 मार्ग जिनकी लागत 3.58 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं, जो सड़क परिवहन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु एक वर्ष से लम्बित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट जिले के तमाम सड़कों को एलडब्ल्युई के अंतर्गत भेजने जाने के कारण इन मार्गों को राज्य शासन मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु कोई राशि प्रदान नहीं कर रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क भंडारा-तुमसर-बारासिवनी-बालाघाट-बैहर-मवई-मलाज़खण्ड तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव विगत दो वर्षों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लम्बित है। स्वीकृति की आशा में राज्य शासन द्वारा मरम्मत एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः इस मार्ग पर लोगों का आवागमन अवरूद्ध हो गया है।

अतएव आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त मार्गों की स्वीकृति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दी जाए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सैफ गेम्स में हुई भारी धांधली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड में सफल सैफ गेम्स के आयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 130 करोड़ रूपए दिया गया था। सैफ गेम्स आयोजन के तहत चेयरकार लिफ्टिंग की मरम्मत के नाम पर पिछले तीन वर्षों में करोड़ों रूपए खर्च किए गए। करोड़ों रूपए की लागत से रोप-वे वायर खरीदे गए जो आज खुले में पड़े जंग खा रहे हैं जिनकी कीमत सात करोड़ रूपए से दस करोड़ रूपए तक है। इस प्रकार कृत्रिम बर्फ बनाने हेतु 6.5 करोड़ रूपए की लागत से 70 के दशक की पुरानी स्नो-मेकिंग मशीन खरीदी गयी जिसे सही करवाने के नाम पर लाखों रूपए खर्च कर दिए गए। परन्तु, वह सही नहीं हुई। सैफ गेम्स के आयोजन हेतु स्कीइंग स्लोप के अनियोजित निर्माण के कारण बरसात के दौरान स्लोप बह गया था तथा उसके मलबे ने जोशीमठ में ही नहीं, बल्कि सैकड़ों नाली-उपजाऊ भूमि को

नष्ट कर दिया है। लगभग सत्रह लाख रूपए खर्च करने के बाद भी ऑली में स्केटिंग रिंग का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी जांच अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सैफ गेम्स के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित 130 करोड़ रूपए का हिसाब उत्तराखंड सरकार से मांगे तथा उसमें हुई धांधली की जांच करे। धन्यवाद।

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, Sir, immediately on assuming power in Tamil Nadu, the State Government led by the Chief Minister, hon. Amma has embarked upon an ambitious target of food production of 115 lakh tonnes during the current year, covering an area of 56 lakh hectare. In the Kharif of 2011, it is proposed to cover 25.4 lakh hectare. The Chief Minister had instructed the Agricultural Department to preposition itself to meet the demands of the farmers in this regard.

Fertilizer is the key input to increase productivity; and timely supply of fertilizer is essential to see that sufficient quantity of food grains is produced. In Tamil Nadu, presently the total requirement of various fertilizers is to the tune of 26 lakh tonne – 11.12 lakh tonnes of urea; 3.66 lakh tonnes of DAP, 4.8 lakh tonnes of MOP; and 6.52 lakh tonnes of complex fertilizers.

The Union Government has allocated 47,000 tonnes of DAP for April-May 2011, but the supply was only 26,000 tonnes. There is a shortfall of 21,000 tonnes of DAP. For June 2011 also, it was less than what was promised.

Since fertilizer is an essential ingredient for food grain production, the Chief Minister of Tamil Nadu, the hon. Amma had written a letter to the hon. Prime Minister requesting him to ensure adequate supply of DAP and also other fertilizers.

I would, therefore, request the Central Government to see that adequate supply of fertilizers is ensured to Tamil Nadu so that Tamil Nadu could produce sufficient quantity of food grains to feed the entire nation. Thank you.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Sir, I also want to associate myself on this issue raised by Shri Rajendran

MR. CHAIRMAN : Okay. Your name will be associated.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आज देश सेना की जरूरत के लगभग 70 प्रतिशत हथियार के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। देश में निर्मित होने वाले आयुध में भी देश की सरकारी क्षेत्र की निर्माणियों की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए यहां पर सरकारी क्षेत्र की नई आयुध निमार्णियां खोली जानी हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र जबलपुर में चार बड़ी ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां जिसमें ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया, वेहिकल फैक्ट्री, तोप गाड़ी निर्माणी तथा जी.आई.एफ. फैक्ट्रियों के साथ ही 506, आर्मी बेस वर्कशॉप भी है। जबलपुर इन सुरक्षा संस्थानों के कारण पहचाना जाता है और हमारे लिए यह गौरव की बात भी है। लेकिन सरकारी नीतियों के कारण धीरे-धीरे इन संस्थानों को काम मिलना लगभग कम होता गया है। जहां पहले इनमें पर्याप्त वर्क लोड होता था और करीब 50000 कर्मचारी होते थे, वहां अब कर्मचारियों की संख्या मात्र 15000 ही बची है।

इसके कारण आस-पास के उनके जो रहवासी क्षेत्र, क्वार्टस थे, वे भी लगभग सभी खाली हो गए हैं। यहां की जो आयुध निर्माणियां हैं, इनमें खमरिया में फिलिंग के कार्य में लगने वाला बारूद आयुध निर्माणी चांदा, अम्बाझरी या फिर अन्य दूसरी संस्थाओं से लाया जाता है। इसके लिए खमरिया फैक्ट्री को इन पर निर्भर रहना पड़ता है और सप्लाई करने वाली इन फैक्ट्रियों के दूर होने के कारण इस कार्य में समय भी अधिक लगता है तथा ट्रांसपोर्टेशन पर भी अनावश्यक रूप से अधिक व्यय होता है। ऐसे में जबलपुर में अगर नयी बारूद फैक्ट्री खुले तो इससे इस विलम्ब और अपव्यय को दोनों को रोका जा सकता है। इसी तरह आर्डीनेंस के हथियारों के निर्माण में लगने वाला जो प्रपोलेंट है, उसकी भी आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसे बनाने वाली देश की जो मौजूदा प्रपोलेंट फैक्ट्रियां हैं, उनमें कच्चे माल की कमी के कारण वे इसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। जबलपुर में नयी निर्माणियों के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हैं और साथ ही यहां की निर्माणियों में उपलब्ध मशीनरी का उपयोग भी इसके लिए किया जा सकता है। इसके अलावा नयी फैक्ट्री के लिए आयुध निर्माणी खमरिया के खाली होने जा रहे एल.पी.आर. रेंज की भूमि और यहां के कर्मचारियों के रिहायशी क्षेत्र का बड़ा भूभाग, जिसके जर्जर मकानों को गिरा दिया गया है, उस भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है। यहां के कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टस भी, जो आज सेवानिवृत्ति के कारण खाली पड़े हैं, वे भी इनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जबलपुर में नये सुरक्षा संस्थानों के लिए समस्त परिस्थितियां अनुकूल हैं। अत: यहां नई बारूद फैक्ट्री एवं प्रपोलेंट फैक्ट्री खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

MR. CHAIRMAN : You send your slip.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, राकेश सिंह जी द्वारा आयुध निर्माण पर बोले गए विषय से मैं अपने को संबंद्ध करता हूं।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Sir, I would like to draw the attention of the Government, through you, to the coal trade in Assam and Meghalaya. Coal has been exported from Assam and Meghalaya to Bangladesh through Karimganj border, Dawuki and Garo Hills border. Coal has been exported for quite a long time and under-billing is going on in connivance with the corrupt officials and unscrupulous business men. But the Government has not taken any stringent view because of which the Government is losing revenues in this trade.

Again, lump coal from Assam and Meghalaya has been transported by rail to the other States for the brick kilns. I wrote letters to the Railway Minister on 14th June and to the Chairman on 30th June that excess coal has been transported by the unscrupulous business men in connivance with the railway officers for which the State Government has lost the revenues and the Central Government has also lost the revenue of transportation. But nothing has been done by the Government.

So, I would like to urge the Government, through you, to take a stringent view so that these unscrupulous business men cannot take advantage with the help of corrupt officials. Thank you.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, आपकी परमीशन से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-काश्मीर में दो हाई-कोर्ट्स हैं, एक जम्मू में और एक काश्मीर में है। वहां जो एक कोर्ट की स्ट्रेंथ ऑफ जजेस होती है, वह 13 है। हमारे जम्मू में इस समय सिर्फ छ: जज हैं। इस समय जम्मू में हाई-कोर्ट मेस बनी है, वहां लोगों के डिसीजन, अपीलें और लोगों के जो फैसले होने हैं, वे विचाराधीन पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरा कहने का मकसद यह है कि वे लोग परेशान हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपनी दरख्वास्तें कागज देकर, वकील करके रखे हैं। कई लोगों की बहुत सालों से जमानते नहीं हो रहीं। कई लोग ऐसे हैं, जिनके अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुए, ऐसे ही पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि ये उन लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी है, वे लोग हाई-कोर्ट में अपनी कोई भी मांग रखने और अपना केस लड़ने के लिए जाते हैं। हम लॉ मिनिस्टर साहब से कहना चाहेंगे कि वे मेहरबानी करके हमारे जो हाई-कोर्ट के जजेस यहां से लगने होते हैं, उन्हें लगाया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल पाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, जो भारत का आखिरी हिस्सा है, जिसका नाम कैम्बल बे है, जिसे इन्दिरा गांधी के नाम पर इन्दिरा पाइंट भी लोग कहते हैं। उस धरती पर 2004 में सुनामी आई और बड़ी तबाही हुई। भारत सरकार ने बड़े-बड़े डॉयलॉग मारे कि सुनामी शैल्टर के नाम पर उनका यह कर दिया, वह कर दिया। देश का कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा, जो वहां घूमकर नहीं आया हो। लेकिन आज हालत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं।

1980 में भारत में एक्स-सर्विसमेन को, आर्मी के लोगों को लेकर इंडोनेशिया के बगल में कैम्बल बे में बिठाया गया था। सुनामी के पश्चात् परमानेंट शैल्टर्स बने, करोड़ों रुपये का घोटाला किया, लेकिन अंडमान निकोबार के जो कॉमर्शियल ट्रीज़ हैं, जिनकी लम्बाई 80 फीट से 200 फीट होती है, शैल्टर्स के बगल में वे कॉमर्शियल ट्रीज़ खड़े हुए हैं। उस स्थान का नाम गांधीनगर और लक्ष्मीनगर है। वहां पी.एच.सी. के बगल में, शैल्टर्स के बगल में बड़े वाले पेड़ खड़े हैं। उनको काटने के नाम पर इसका-उसका बहाना कर रहे हैं। उनको तुरन्त कटवाया जाये, यह मेरी पहली मांग है।

दूसरी मेरी मांग है कि कैम्बल बे को जीरो पोइंट से...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please raise only one point.

SHRI BISHNU PADA RAY: It is only the issue of Campbell Bay. I am not diverting from it. कैम्बल बे को जीरो पोइंट से बाजार तक सुनामी के नाम पर डीपनिंग वाल बनाई गई, सी वॉल बनाई गई, उस पर 46 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वह वॉल तो बना दी गई, लेकिन वॉल के होल से पानी आता है, जाता है। मैं मांग करूंगा कि उस एरिया में मिट्टी फिल-अप करके जो पंचायत का मार्केट है, जो हॉज़पाइप हैं, वहां शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनाने के लिए लैंड फिल करें।

आखिरी कैम्बल बे की एक और समस्या किसान भाईयों की है। करीब-करीब 2200 किसान लोगों के जो खेत गांधीनगर कॉमर्शियल बाजार से शास्त्रीनगर तक डूबे पड़े हैं, आज तक उस जमीन पर डूबे पड़े हैं। मैं मांग करूंगा कि तुरन्त गैवियन बॉक्स केबिन जो बनाया गया, जैसा पुदुच्चेरी में बनाया गया, वैसा केबिन बनाया जाये। वहां मिट्टी भर दी जाये और स्लूज़ गेट बना दिया जाये और किसानों की जमीन में अर्थ फिल किया जाये, यह हमारी मांग है।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति जी, मैं सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको तो पता है कि जनप्रतिनिधियों में से कोई भी अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करता है और उसके खिलाफ कोई भी आदमी कोर्ट में जाता है तो वह डिस्क्वालीफाई होता है। वह चाहे पार्षद हो, एम.एल.ए. हो या एम.पी. हो, कोई भी हो। लेकिन जिसके वक्त में यह किया जाता है, चाहे कोई भी आफिसर हो तो उसको कभी निकाला नहीं जाता है। अभी महाराष्ट्र में यह प्रोब्लम हुई थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, जिसके माध्यम से जिस आफिसर के वक्त में अगर कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उस आफिसर को भी वहां से डिस्क्वालीफाई किया जाये, उसको भी वहां से निकाला जाये और उसकी सर्विस वहां से कट की जाये। यह प्रावधान हमारे महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एमेंडमेंट बिल, 2010-एल.सी. बिल नं. 7/2010 में किया गया और उसके बाद उसे स्टेट लैजिस्लेटिव के दोनों हाउसों द्वारा पारित किया गया। उसके बाद आर्टीकल 254(2) के तहत हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की उस पर मोहर लगनी जरूरी होती है, इसलिए यह बिल होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हाउसिंग एण्ट पावर्टी एलीविएशन की कमेटी के लिए यहां भेजा गया है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जल्दी से जल्दी पास किया जाये। महाराष्ट्र शासन में चूंकि सरकार में बहुत दिक्कत है, वहां इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे यहां यह विनती करता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय सभापति जी, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाये।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आज सदन में काफी चर्चा हुई। इसी के विषय में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जनपद जालौन में उरई में मैडीकल कालेज बना पड़ा है। 105 एकड़ जमीन में वह मैडीकल कालेज बना है, वहां उसकी करीब 4-5 सौ करोड़ रुपये की लागत से बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। दुख इस बात का है कि वहां अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, अभी दो बिल्डिंगें ऐसी हैं, जो नहीं बनी हैं और कक्षाएं चालू हो गई हैं। चूंकि वहां अत्यंत गरीबी है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं, वहां गंभीर समस्यायें हैं, बीमारियां ज्यादा हैं, लोग भूख से तड़पकर मरते हैं। अभी बताया गया कि एमसीआई ने उसे मान्यता नहीं दी, एमसीआई उसे मान्यता दे और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश करें कि उसमें तत्काल कक्षायें चलायी जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उस मेडिकल कालेज को बेचना चाहती है। मैं यह भी

चाहता हूं कि बुंदेलखंड में, उरई में एम्स की तरह व्यवस्था हो, जिससे वहां की समस्या का समाधान हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान से आता हूं। राजस्थान से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुयी है। लाल सिंह जी आपका भी ईश्यू इसमें है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां बीएसएफ का या सेना का यह कानून है कि बार्डर लाइन से पांच सौ मीटर तक कोई भी किसान जो फसल बोएगा, वह पांच फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मैं राजस्थान से आता हूं, वहां मेरा बाजरा छः से सात फीट तक जाता है, तो वह कैसे संभव हो सकता है? वहां कानून लागू है। मैं जब बार्डर एरिया में जनता के बीच गया तो उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी एक पाबंदी और लगा रखी है कि किसान को अपने ही खेत में जाने की अनुमति 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वह क्या काम करेगा? अगर इरीगेटेड एरिया में रात को पानी छोड़ दिया तो पानी बेकार चला जाएगा। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को यह कहना है कि इस नियम में परिवर्तन करे, जिससे किसानों को राहत मिले। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वह उस जमीन को अपनी समझे और उसका मुआवजा किसानों को दे। यही मेरी मांग आपके माध्यम से है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Dr. Kirit Premjibhai Solanki and Dr. Rajan Sushant are also associating on this issue.

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में सितारगंज के अंतर्गत ग्राम गोठा एवं लौका पंडरी के दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमि को पुनः राजस्व भूमि घोषित करने तथा मालिकाना हक दिलाने के संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बेगुल बांध के निर्माण के बाद बांध के आस-पास बची भूमि पर ग्राम गोठा एवं लोका पंडरी के भूमिहीन दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों ने कठिन परिश्रम कर बंजर भूमि को अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि योग्य बनाया। यह भूमि पहले राजस्व भूमि थी। ग्राम निवासी इस भूमि पर लगभग पिछले चालीस वर्षों से खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते आ रहे हैं। कई दशकों से इन परिवारों द्वारा कब्जे वाली भूमि में से कुछ भूमि को वन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोकहित के अति महत्वपूर्ण मामले पर हस्तक्षेप कर गरीब, भूमिहीन, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि को राजस्व भूमि

घोषित करें, मालिकाना हक दिया जाए जिससे ये लोग अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जनवरी 2011 में मध्य प्रदेश में भंयकर पाले के कारण लगभग 36 लाख हेक्टेअर भूमि पर बोई हुयी दलहन और तिलहन की फसल को नुकसान हुआ था। लगभग 33 लाख किसान इसमें प्रभावित हुए थे। इसका जो आकलन हुआ था, जिसमें 7,624 करोड़ रूपए की फसल नष्ट हुयी थी। ऐसा अनुमान है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों को 1,400 करोड़ रूपए के लगभग राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी बीच में हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि पाले को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तब माननीय वित्त मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गठित हुआ था और उसकी बैठक भी 26 मई, 2011 को हुयी थी। एक केन्द्रीय अध्ययन दल वहां गया था। अध्ययन दल ने अपनी सिफारिश भी की है कि वहां के किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा में पाले को भी शामिल किया जाए। यह विषय सरकार के पास विचाराधीन है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों को कम से कम 2442 करोड़ रूपये जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हेतु उनको राहत दी जाए। राज्य सरकार ने तो अपने पैसे से सहयता की लेकिन भारत सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि प्रभावित किसानों को अपनी तरफ से सहायता पहुंचाने का काम करे। मेरी मांग है कि मंत्री समूह तत्काल निर्णय ले और पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल करते हुए मध्य प्रदेश के किसानों को 2442 करोड़ रूपये राहत की राशि देने का काम करे।

*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance pertaining to the demands of the people of my constituency to be placed before and considered by the Ministry of Railways.

I urge upon the Minister of Railways to take suitable action to speed up the doubling work between Chengalpet and Viluppuram Section, and also between Viluppuram and Trichy to extend undelayed benefits to the passengers traveling between Chennai and Kanyakumari and other southern districts of Tamil Nadu.

Ulundurpet Railway Station situated in my constituency in the district of Viluppuram is one of the oldest stations. The station needs to be improved with adequate infrastructural facilities. Even the basic amenities like toilet facilities are not available. Hence I urge upon the Railway Minister to go in for modernizing this station.

There is a long-felt need and demand to lay a new railway line between Ulundurpet and Kallakkurichi. The people of my constituency have been raising this issue for very long. If this connection is provided, Ulundurpet will be directly connected with Salem and Coimbatore thereby benefiting the traveling public and also the people in this region to expand both the industrial and commercial activities.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

Ulundurpet is situated right in the middle of Tamil Nadu. As it is, all the Express Trains passing through this station do not have a stoppage there. I would like to point out that there is an old airstrip near Ulundurpet Railway Station. Soon a military training facility is to be established over there. Considering the emerging importance of this place, the Railway authorities must come forward to provide stoppage at Ulundurpet to all the Express Trains passing by.

Kallakkurichi-Chinnasalem Railway line laying work is going on at a snail's pace for want of funds. I urge upon the Railway Ministry to release adequate funds at the earliest to see that this work is expedited. With these words, I conclude.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस प्रयोजन के लिए यह किया जाता है उस प्रयोजन में इसे न ला कर दूसरे प्रयोजन के लिए दिया जाता है जिससे पूरे देश के किसानों में असंतोष व्याप्त है। मेरे संसदीय क्षेत्र, शादीपुर न्याय पंचायत में 950 एकड़ जमीन यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई। वह जमीन इंडस्ट्री के उद्देश्य से धिग्रहित की गई थी। लेकिन आज बड़े-बड़े बिल्डरों को वह जमीन दी जा रही है। जिस के कारण पूरे क्षेत्र का किसान 15 दिनों से धरने पर बैठा है। धरने पर महिलाएं, बच्चे, सभी खुले आसमान में बैठे हैं। उनका कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मैं आप के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि शीध्र ही नया अधिग्रहण कानून लाया जाए और किसानों को जो जमीन यूपीएसआईडीसी को 7 लाख रूपये प्रति बिघे के मुआवजा में ली गई है उसका आज बाजार रेट 20 लाख रूपये प्रति बिघा हैं। उन्हें मुआवजा 20 लाख रूपये बिघे के हिसाब से दिया जाए एवं उन आश्रित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में उन्हें एक-एक प्लॉट दिया जाए।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): धन्यवाद सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में आज कल काफी ज्यादा मॉनसून हो रहा है। उसके कारण हमारे दो जलाशयों, भाखड़ा बांध और पौंग बांध का पानी सीमा से बहुत ऊपर आ गया है। वहां बांध एथॉरिटी निरन्तर जल छोड़ रही है जिससे निचले क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं। उनके जान और माल पर भारी खतरा बना हुआ है। वर्ष 1988 में भी इसी तरह से हुआ था जब लोगों को

तीन-तीन दिन वृक्षों पर अपनी जान बचाने के लिए रहना पड़ा था। सेना के हेलिकॉप्टरों का प्रयोग कर उनको वहां से निकाला गया था। आज वही स्थिति वहां पैदा हो रही है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि तुरन्त उपाए किए जाएं और भविष्य में इस समस्या का परमानेन्ट सॉल्यूशन निकाल जाए। धन्यवाद।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): धन्यवाद सभापति महोदय,उर्वरक के बिना खेती की बात बेइमानी है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ की फसल हेतु नौ-दस फरवरी 2011 को जोनल कॉनफ्रेन्स में अंतिम निर्णय किया। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख टन यूरिया 10.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 5.25 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 1.50 लाख मीट्रिक टन एमओपी की आपूर्ति किए जाने की सहमति की गई। जून, 2011 तक मांग के सापेक्ष यूरिया 80 प्रतिशत, डीएपी 30 प्रतिशत, एनपीके 78 प्रतिशत और पोटाश 27 प्रतिशत की आपूर्ति हो पाई है। इस प्रकार जून तक मांग के सापेक्ष 32 प्रतिशत की आपूर्ति की कमी रह गई। इस दिशा में भारत सरकार की सहमति के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से मांग की कि आप यह कमी पूरी करें। मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध न होने की दिशा में कृषकों को व्यापक असंतोष हो रहा है। इतना ही नहीं, 278 रुपये प्रति बोरी डीएपी में बढ़ा। जिसने भारत सरकार के स्तर पर वर्ष 2010-11 के सापेक्ष यूरिया में 18.88 पैसे की वृद्धि, डीएपी में 109 रुपये की वृद्धि और एनपीके में 143 रुपये की वृद्धि हुई जो किसानों के हित में नहीं है।...(व्यवधान)

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मूल्य वृद्धि घटाई जाए और खाद की जो मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने की, वह उसे दी जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन भूमि की बाहुल्यता के कारण विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के औपचारिक प्रत्यावर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में स्वीकृति किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की भूमि के मामले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को संदर्भित कुल प्रस्तावों में से 60 से 70 प्रतिशत प्रस्ताव केवल उत्तराखंड राज्य से संबंधित होते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु राज्य की परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को देहरादून स्थानान्तरित किया जाए। ...(व्यवधान) यदि ऐसा संभव न हो तो देहरादून में अलग कार्यालय बनाया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जिसकी व्यापकता किसी राज्य तक नहीं, बल्कि पूरे देश तक सीमित है।...(व्यवधान) आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर अरुणाचल में पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण हिन्दुस्तान के तमाम मुखतलिफ राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का चकसनी बाट कट गया। नेपाल की जलकुंडी करनाली नदियों के पानी के बैराज छोड़ने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बहराइच, गिरी लखीमपुर, बाराबंकी, गोंडा के सैंकड़ों गांव जलमग्न हो गए, यहां तक कि पीलीभीत-बहराइच राजमार्ग भी। आज हिमाचल में बारिश के कारण व्यास नदी उफान पर है। कुल्लू-मनाली पूरा बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के फिरोजपुर, सतलुज में बाढ़ की स्थिति है जिसके कारण जम्मू-फिरोजपुर रास्ता बंद है। यहां घटोवार साहब बैठे हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों में 28 लोगों की मौत हो गई। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अत्यन्त लोक महत्व का विषय कोई और नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) आज जब इन राज्यों में लगातार...(व्यवधान) आज असम में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, डेमापुर डिस्ट्रिक्ट में सात लोगों की मौतें हो गईं। अरुणाचल की बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। घाघरा सरजू जिसके तटबंधों में कटान के कारण पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश...(व्यवधान) बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति खराब है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत कार्य दिए जाएं और जो तचबंध कट रहे हैं, उनकी रक्षा की जाए।...(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, कोल इंडिया द्वारा लगभग दस वर्षों से ...(व्यवधान) कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल है। लगभग सात-आठ वर्षों से यहां का माइन्स बंद पड़ा हुआ है, चाहे वह लोयाबाद की माइन्स, लोयाबाद कोल प्लांट, हाथुडीड, जोगीडीह, महेशपुर, गोविन्दपुर, इस्ट कतरास, फुलाड़ीटाड, पद्दुगोडा, लौहपीटी आदि हो। इन सब माइन्स में बीसियों हजार मजदूर इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन ये माइन्स बंद पड़े हुए हैं। सीसीएल में भी माइन्स बंद पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, यह बात हमने पिछली बार भी उठायी थी कि अंगवाली माइन्स बंद पड़ी हुई है। वहां पर जमीन के एवज में नौकरी भी दी गयी, मुआवजा भी दिया गया, लेकिन आज भी माइन्स बंद है और वहां पर इललीगल माइनिंग हो रही है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What do you want? Please speak about that.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि दामोदर रिवर डायवर्शन का जो प्रौजेक्ट है, वह पहले मात्र 30 करोड़ रुपये का था, लेकिन आज वह बढ़कर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। कोल इंडिया की प्लानिंग है कि वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं को चालू करे।

सभापति महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि जब नौकरी दी गयी, मुआवजा दिया गया, तो वहां पर सीसीएल (सैंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड) खुद कोयले का उत्पादन करे, ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 19th of August, 2011, at 11 a.m.

18.56 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 19, 2011/Sravana 28, 1933 (Saka).